₹ 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

जनवरी 2012



♣ अनुपम अलैकिक क़ुरआन
–कर्नल सतीश शर्मा

♣ आतंकवाद और इस्लाम
–डॉ॰ शेख़ सईद

♣ इस्लामी कृषि अर्थव्यवस्था की कल्याणकारिता
–मुहम्मद क़ुत्ब

♣ न्याय तंत्र से घटता विश्वास
–मुहम्मद सलीम इंजीनियर

♣ लड़खड़ाता लोकतंत्र और बेबस जनता
–डॉ॰ सैयद अब्दुल बारी

हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल॰) से पूछा : "कौन-सा कर्म अल्लाह तआला को सबसे बढ़कर प्रिय है ?" आप (सल्ल॰) ने कहा : "नमाज़ उसके अपने समय पर पढ़नी ।" मैंने कहा, फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना ।" फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह की राह में जिहाद करना ।"

(बुख़ारी, मुस्लिम)

A WELL WISHER
MUMBAI

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 21 अंक 7 जनवरी 2012

उनको हमने धरती में वह प्रभुत्व प्रदान किया था जो तुम्हें नहीं प्रदान किया है, उनपर हमने आसमान से ख़ूब बारिशें बरसायीं और उनके नीचे नहरें बहा दीं, (मगर जब उन्होंने कृतघ्नता से काम लिया तो) आख़िरकार हमने उनके गुनाहों के बदले में उन्हें तबाह कर दिया। और उनकी जगह दूसरे दौर की क़ौमों को उठाया।

–क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-

दो वर्ष 300/- पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

चेक ड्राफ्ट 'मासिक कान्ति' के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

दिल-फ़रोशों[1] के लिए कूचा-ओ-बाज़ार[2] बने
और जांबाज़ों की ख़ातिर रसनो-दार[3] बने

बस यही दौड़ है इस दौर के इन्सानों की
तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने

छीन कर ग़ैर से अपनों ने मुझे क़त्ल किया
आप ही ढाल बने, आप ही तलवार बने

हो गये लोग अपाहिज यही कहते-कहते
अभी चलते हैं ज़रा राह तो हमवार बने

मुझको मम्नूने-करम[4] करके वो फ़रमाते हैं
आदमी सोच-समझ कर ज़रा ख़ुद्दार बने

ख़ुदशनासी[5] के न होने से यही होता है
जिनको फ़नकार[6] न बनना था वो फ़नकार बने

तुझसे कितना है हमें प्यार कुछ अंदाज़ा कर
हम तेरे चाहने वालों के रवादार[7] बने

जब मुझे अपना कहा है तो फिर अपनाओ भी
दाम ऊंचे जो लगाये वो ख़रीदार बने

शानो-शौकत के लिए तू है परेशान 'हफ़ीज़'
मुझको यह फ़िक्र कि कैसे तेरा किरदार[8] बने।

● **हफ़ीज़ मेरठी**

1. दिल बेंचने वालों, आत्मा को बेच देने वालों 2. गली और बाज़ार 3. फांसी का तख़्ता और फ़ंदा 4 कृतज्ञ 5. आत्मज्ञान, अपने आपकी पहचान 6. कलाकर 7. उदार, सहन करने वाले 8. चरित्र



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–हफ़ीज़ मेरठी	3
क़ुरआन ज्योति		5
न्यायप्रिय हाकिम (हदीस मंजरी)		6
धर्मनिरपेक्षता और मध्यकाल (संपादकीय)		7
अद्वितीय क़ुरआन (आपके पत्र)		9
अनुपम अलौकिक क़ुरआन	–कर्नल सतीश शर्मा	13
नक़ुशा (कविता)	–इन्तिज़ार नईम	14
ईश्वरीय ग्रंथ पवित्र क़ुरआन	–अब्दुल्लाह अडियार	15
हज़रत उमामा बिन्ते अबुल आस रज़ि० (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशमी	17
डॉक्टरों का नैतिक दायित्व (सवाल-जवाब)		19
मुरब्बी (कहानी)	–विष्णु प्रभाकर	21
इस्लामी कृषि-व्यवस्था की कल्याणकारिता	–मुहम्मद क़ुत्ब	26-27
लड़खड़ाता लोकतंत्र और बेबस जनता	–डॉ० सैयद अब्दुल बारी	33
आतंकवाद और धर्म	–डॉ० शेख़ सईद	35
गुंडे (लघुकथा)	–डॉ० तारिक़ असलम 'तस्नीम'	36
डॉ० मानव को कई सम्मान (साहित्य समाचार)		37
इस्लाम में अंधभक्ति नहीं	–डॉ० आयशा अब्दुल्लाह	39
क़द (लघुकथा)	–रोहित यादव	40
क्यों न लगे मीडिया पर लगाम ?	–सी०के० रहमानी	41
आजकल (लघुकथा)	–डॉ० तारिक़ असलम 'तस्नीम'	42
न्यायतंत्र से घटता विश्वास : एक गंभीर चुनौती	–मुहम्मद सलीम इंजीनियर	43
पर्यावरण संकट से निबटें	–अक्षय कुमार झा 'सत्य'	45
इस्लाम : एक बुद्धिसंगत धर्म	–वी० गोर्डविन चाइल्ड	
समय का महत्व (बालवीथी)		49

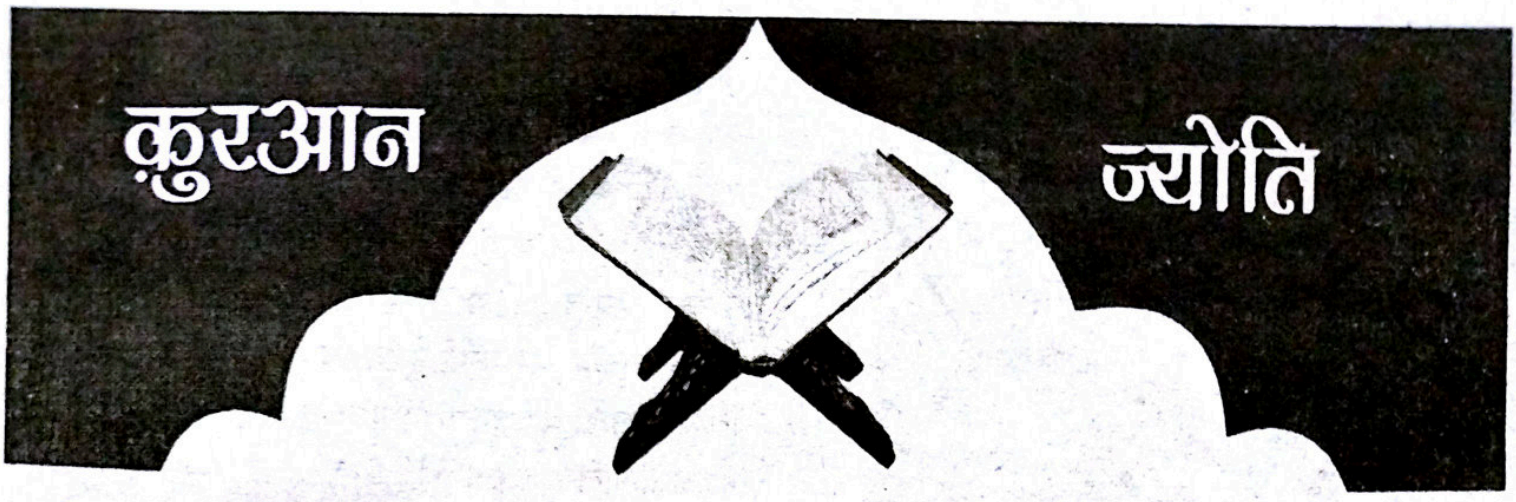

(42) याद करो वह समय जबकि तुम घाटी के इस ओर थे और वे दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए थे और क़ाफ़िला तुमसे नीचे (तट) की ओर था। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके बीच मुक़ाबले का निश्चय हो चुका होता तो तुम अवश्य इस अवसर पर पहलू बचा जाते, लेकिन जो कुछ सामने आया, वह इसलिए था कि जिस बात का निर्णय अल्लाह कर चुका था उसे प्रकाश में ले आये, ताकि जिसे नष्ट होना है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ नष्ट हो और जिसे जीवित रहना है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ जीवित रहे।[34] निश्चय ही अल्लाह सुनने और जानने वाला है।[35]

(43) और याद करो वह समय जबकि ऐ नबी ! अल्लाह उनको तुम्हारे सपने में थोड़ा दिखा रहा था।[36] अगर कहीं वह तुम्हें उनकी संख्या अधिक दिखा देता तो अवश्य तुम लोग हिम्मत हार जाते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह ही ने इससे तुम्हें बचाया, निश्चय ही वह सीनों का हाल तक जानता है।

(44) और याद करो जबकि मुक़ाबले के समय अल्लाह ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मनों को थोड़ा दिखाया और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, ताकि जो बात होनी थी उसे अल्लाह प्रकाश में ले आये, और अन्ततः सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं।

(45) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ! जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुक़ाबला हो तो जमे रहो और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो, आशा है कि तुम्हें सफलता मिलेगी। –क़ुरआन, 8 : 42-45

---

34. अर्थात सिद्ध हो जाए कि जो ज़िन्दा रहा, उसे ज़िन्दा ही रहना चाहिए था और जो नष्ट हुआ, उसे नष्ट ही होना चाहिए था। यहां ज़िन्दा रहने वाले और नष्ट होने वाले से तात्पर्य व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि इस्लाम और अज्ञानता हैं।

35. अर्थात ख़ुदा अंधा, बहरा, बेख़बर नहीं है, बल्कि जानने वाला और देखने वाला है। उसके साम्राज्य में अंधाधुंध काम नहीं हो रहा है।

36. यह उस समय की बात है जब नबी (सल्ल०) मुसलमानों को लेकर मदीना से निकल रहे थे या रास्ते में किसी मंज़िल पर थे और इसकी जांच न हो सकी थी कि दुश्मनों की फ़ौज वास्तव में कितनी है। उस समय नबी (सल्ल०) ने सपने में उस सेना को देखा और जो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया, उससे आपने अनुमान लगाया कि दुश्मनों की तादाद कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। यही सपना आपने मुसलमानों को सुना दिया और उससे हौसला पाकर मुसलमान आगे बढ़ते गये।



न्यायप्रिय हाकिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "सात व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह उस दिन अपने साये में ले लेगा जिस दिन उसके साये के अतिरिक्त कोई साया नहीं होगा । (और वे ये हैं) : न्यायशील शासक, वह नवयुवक जो गरिमा के स्वामी प्रतापवान अल्लाह की बन्दगी करते हुए जवान हुआ, वह व्यक्ति जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे, और वे दो व्यक्ति जो अल्लाह के लिए एक-दूसरे से प्रेम करें, मिलें तो उसी के लिए, अलग हों तो उसी के लिए, वह व्यक्ति जिसे किसी सुन्दर और रूपवती स्त्री ने अपनी ओर बुलाया तो उसनें कहा : मैं अल्लाह से डरता हूं, वह व्यक्ति जो दान दे तो उसको इतना छुपाये कि उसके बायें हाथ को मालूम न हो कि दायें हाथ ने क्या ख़र्च किया, और वह व्यक्ति जो अकेले में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह पड़ें ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "न्याय करने वाले अल्लाह के पास प्रकाश के मिंबरों (पीठक) पर होंगे । ये वे लोग होंगे जो अपने हुक्म में और अपने घर वालों में और जो कुछ उनके अधिकार-क्षेत्र में हो उसमें न्याय से काम लेते हैं ।"

–मुस्लिम

हाकिमों के आदेशों का सशर्त पालन

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "सुनना और आज्ञापालन करना मुस्लिम व्यक्ति के लिए अनिवार्य है चाहे वह उसको पसन्द हो या नापसन्द हो सिवाय इसके कि उसको गुनाह का कोई हुक्म दिया जाए । तो जब उसे किसी गुनाह का हुक्म दिया जाए, तो न सुनना है और न आज्ञापालन करना ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "मेरे बाद ऐसा अधिमान और ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिनको तुम नापसन्द करोगे ।" सहाबा ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), हममें से जो व्यक्ति इस हालत को देखे, उसके लिए आपका क्या आदेश है ? आपने कहा : "जो हक़ तुम पर है अदा करना और अपना हक़ अल्लाह से मांगना ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जिस किसी ने मेरी आज्ञा का पालन किया, उसने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया । और जिस किसी ने मेरी अवज्ञा की उसने अल्लाह की अवज्ञा की । और जिसने हाकिम की आज्ञा का पालन किया, उसने मेरी आज्ञा का पालन किया और जिसने हाकिम की अवज्ञा की, उसने मेरी अवज्ञा की ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत इब्न अब्बास (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : 'जो व्यक्ति अपने अमीर (हाकिम) की तरफ़ से कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे नागवार हो, तो उसे चाहिए कि सब्र करे । क्योंकि जो व्यक्ति हाकिम से एक बालिश्त (बित्ता) भी अलग हो गया, उसकी मृत्यु अज्ञान-काल की मृत्यु होगी।'

–बुख़ारी, मुस्लिम

(रियाजुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.quranhindi.com
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

धर्मनिरपेक्षता और मध्यकाल

26 जनवरी 2012 को हमारे देश का 62वां गणतंत्र दिवस है । 1950 ई॰ में इसी दिन भारतीय गणतांत्रिक संविधान लागू किया गया था । यह देश में जनतांत्रिक शासन का नव विहान था, जिसकी आधारशिला 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए' जैसे सिद्धांत-वाक्य पर रखी गयी थी । भारतीय संविधान का चरित्र धर्मनिरपेक्ष रखा गया और इसे संपुष्ट करने के लिए आगे चलकर 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भी संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया । भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का सीधा अर्थ पहले भी यही था और आज भी है कि धार्मिक आधार पर न तो देश का सरकारी और प्रशासनिक कामकाज होगा और न ही इस आधार पर किसी प्रकार का पक्षपाती और पूर्वाग्रही क़दम ही उठाया जाएगा । यह तो हुई सैद्धांतिक बात, लेकिन क्या व्यवहार में इस सिद्धांत को अपनाया जा सका है ? बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि संविधान की दुहाई देने वालों और संरक्षकों ने इसके इस चरित्र को भी बुरी तरह नष्ट-भ्रष्ट कर डाला है । इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । देश में साम्प्रदायिक दंगों का इतिहास बताता है कि सत्ता-संचालकों ने संविधान की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की घोर अवहेलना की है और जनतंत्र पर हिन्दू राष्ट्र का भगवाई रंग चढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है । एन॰डी॰ए॰ के शासनकाल में संविधान-समीक्षा का भी दुस्साहस किया जा चुका है । यह बात सामान्य रूप से कही जा सकती है कि साम्प्रदायिक दंगों के ज़रिये मुसलमानों का सुनियोजित ढंग से दमन किया गया है और असहिष्णुता की यही बर्बर अघोषित नीति अभी भी जारी है ।

दूसरी ओर देश के संविधान का पालन करने का दम भरा जाता है । वास्तव में ढोंगी सत्ताधारियों को अपने दिल के भीतर झांकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे कितने धर्मनिरपेक्ष हैं । यदि वे धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं तो सत्ता-संचालन के पात्र भी नहीं हैं । संविधान-द्रोही कभी राजसत्ता के पात्र बन भी नहीं सकते, लेकिन हमारे देश में यह सब कुछ हो रहा है ! धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हर कुत्सित और कलंकित उद्देश्य पूरे किये जाते हैं । अब तो यह बात कहावत बन चुकी है कि धर्मनिरपेक्षता की बाध्यता हमेशा ही सत्ता के लिए होती है । पश्चिम के लोकतंत्र में और अंग्रेज़ी 'सेकुलर' शब्द सत्ताधारी के कर्तव्यों का व्यंजक और कर्तव्यबोधक शब्द है । इसलिए धर्मनिरपेक्षता की निर्मम हत्या का ज़िम्मेदार सत्ताधारी वर्ग ही ठहरता है । जनता को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता । जनता तो उसके छलावे का शिकार हो जाया करती है । इस प्रकार संविधान प्रदत्त जनता के मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जाता है । इस सिलसिले में सर्वप्रथम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख करना समीचीन होगा । यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है । इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को अंत:करण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने,

आचरण करने और प्रचार करने का समान हक़ होगा । इसी क्रम में अनुच्छेद 26 में धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण, अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों के प्रबंध करने का और स्थावर तथा जंगम संपत्ति के अर्जन का अधिकार भी दिया गया है । इससे स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्षता का पालन केवल नागरिक को नहीं सत्ता को भी करना है ।

अंग्रेज़ी की वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार 'सेकुलर' वह है जो धर्म से बंधा न रहे । 'सेकुलरिस्ट' वह है जो धर्म के बजाय दुनियावी मामलों में विश्वास करता है और 'सेकुलरिज़्म' ऐसे लोगों के पोषण का तंत्र है । 'आक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी' के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म को संरक्षण न देने वाली सरकार । अमेरिकी संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी जो व्यवस्था अनुच्छेद 6 धारा 3(1787) में है, उसमें कहा गया है कि अमेरिका में किसी पद और दायित्व की अर्हता के लिए किसी धार्मिक तुला की बाध्यता नहीं रहेगी । पश्चिम के सभी लोकतंत्रों में यह व्यवस्था है कि राज्य द्वारा किसी धर्म या सम्प्रदाय को संरक्षण नहीं दिया जाएगा और न तो धार्मिक आधारों पर सेवा या सार्वजनिक पद हेतु योग्यता का निर्धारण होगा । अत: किसी भी धर्मनिरपेक्ष शासनतंत्र का यह दायित्व और काम है कि वह किसी पद या नौकरी में धर्म के आधार पर भेदभाव न करे, किसी धार्मिक संस्था को संरक्षण न दे और राज्य धर्म के रूप में किसी धर्म को अंगीकार न करे । दुर्भाग्य और चिंता की बात यह भी है कि हमारे देश में ये सारे अवांछित दुष्कर्म गणतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इनकी आड़ में किये जा रहे हैं । नौकरियों में भेदभाव अब भी न्यूनाधिक रूप में विद्यमान है, कुछ धार्मिक संस्थाओं को उच्छृंखलता की सीमा तक स्वतंत्रता मिली हुई है और एक धर्मविशेष का अघोषित रूप से पृष्ठपोषण किया जा रहा है । इस विषम स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि भारतीय गणतंत्र और धर्मनिरपेक्षता फल-फूल रही है और इनकी गति व स्थिति के पुनरावलोकन की आवश्यकता नहीं है । इस विषम स्थिति को सुधारने की तत्काल आवश्यकता है । इस आशय का संकल्प गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक भारतीय को लेना चाहिए । वास्तव में 'धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र' औपनिवेशिक आधुनिकता का शब्द है, जो नागरिकों को त्रासद स्थिति में ले जाकर उनका भरपूर शोषण करता है और समाज के जिस वर्ग एवं समुदाय का विकास अवरुद्ध करना चाहता है कर देता है, फिर भी शोषणकर्ता 'निष्कलंक' बच रहने में सफल हो जाता है । स्पष्ट है, अंग्रेज़ों ने मुस्लिम शासनकाल के सहज चरित्र को त्याग कर इसे अपनाया था । हमारे देश के संविधान-निर्माताओं ने इसे नि:संकोच अपना लिया । यहां यह कहना अनुचित न होगा कि अगर संविधान-निर्माता मुस्लिम शासनकाल की विशिष्टताओं और उदारवादी सहिष्णु मनोवृत्तियों को अंगीकार करते, तो यह त्रासद स्थिति नहीं आती । इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए श्री रवीन्द्र कुमार लिखते हैं कि "18वीं और 19वीं सदी में उपनिवेशवाद का मुखैटा लगाये आधुनिकता ने प्रवेश किया । ...इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में सहज आन्दोलनों द्वारा भारतोय समाज के भीतर एक ऐसे सहिष्णु और करुणामय समाज का गठन होता चला गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक मतावलंबी स्त्री-पुरुष बिना हिंसात्मक टकराहटों के बड़े आनन्द से समवेत रह सकते थे ।" (नवभारत टाइम्स, 27 मई 1991, नयी दिल्ली संस्करण)

अद्वितीय क़ुरआन

मेरा मानना ही नहीं विश्वास है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पवित्र सीरत (जीवन चरित) और आपकी हदीसों (वचनों-कर्मों) के बिना पवित्र क़ुरआन का अध्ययन करने से उसमें निहित ज्ञान एवं सत्य को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता है । क़ुरआन के अनुसार जीवन जिएं, तो क़ुरआन का प्रकाश दिखने लगता है और अहमियत समझ में आती है । वैसे क़ुरआन के विषयों पर दस हज़ार काग़ज़ भी भर दिये जाएं, तब भी क़ुरआन अद्वितीय बना रहेगा ।

कर्नल सतीश शर्मा

जयपुर (राज०)

बेहद लोकप्रिय

मैं कई सालों से आपकी 'कान्ति' (मासिक) पत्रिका का ग्राहक हूं । आपकी पत्रिका आपके कुशल संपादन के कारण सभी-धर्म के लोगों में बेहद लोकप्रिय है और सभी को सही मार्गदर्शन भी कराती है । इसलिए आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं ।

डॉ० शेख़ सईद

गंजाम, उड़ीसा

प्रतिक्रिया

'कान्ति' के सितम्बर 2011 ई० अंक में प्रकाशित आपके लेख, ''भारतीय संदर्भ में राष्ट्रवाद : एक विवेचन'' पर नवम्बर 2011 के अंक में मेरी सम्मति छाप दी, जबकि आपका लेख उस समय अधूरा था । अक्तूबर नवम्बर के अंकों में लेख के शेष दो भाग छपे हैं । उनसे तो कुछ और ही सिद्ध होता है जो संस्कृत ग्रंथों में अभीष्ट वांछित नहीं है ।

प्रो० चन्द्र प्रकाश आर्य

करनाल, हरियाणा

बर्ख़ास्त हो मोदी प्रशासन, जभी होगा न्याय

गोधरा कांड के बाद गुजरात में भयानक नरसंहार हुआ । एक ही समुदाय के निर्दोषों की इज़्ज़तें लूटी गयी, लोगों ओर मकानों को जलाया गया तथा लूटपाट की गयी । असहाय लोगों को कैंपों में पनाह दी गयी, लेकिन हर कहीं अत्याचार जारी रहा और तब से अब तक न्याय का चेहरा कुछ इस प्रकार सामने आ रहा है कि उन सब में पूर्व नियोजित षड्यंत्र की ही गंध आ रही है ।

यदि देश के किसी एक क़ानून पर नज़र डालें तो अज़मानती प्राथमिकी दर्ज होते ही आरोपी को हिरासत में लेक़र जांच आरंभ कर दी जाती है । सक्षम न्यायालय आरोपी के ज़मानत पर रिहा करने, न करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है । लेकिन राज्य स्तरीय भीषण नरसंहार में ऐसा कुछ दिखायी नहीं दिया । निर्दोष पीड़ितों ने अज़मानती प्राथमिकी दर्ज कराने के प्रयास किये उन्हें अस्वीकर किया गया । न्यायालय में याचिकाएं दायर की गयीं, वे क़ानूनी अटकलबाज़ियों तथा बिना किसी प्रशासनिक सहायता के निरस्त हो गयी । जिन्होंने न्यायालय द्वारा अपना प्रकरण दृढ़ किया, उन्हें डराया-धमकाया गया और साक्षियों को मार भी डाला गया, ताकि प्रकरण स्वत: ही निरस्त हो जाए ।

दूसरी ओर द्वेष भावनाओं के चलते इशरत जहां को आतंकी बताकर उसे फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मार गिराया गया । उस मुठभेड़ की जांच एजेंसी द्वारा दी गयी रिपोर्ट को अब गुजरात प्रशासन अस्वीकार करने तथा अन्य जांच एजेंसी द्वारा जांच कराने की मांग में लग गया है । न्याय के प्रति यह कार्य तब ही संभव हो सकता है जब तक कि मोदी प्रशासन को बर्ख़ास्त न कर दिया जाए । वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सभी निरस्त याचिकाओं पर जांच पश्चात अपराधियों के प्रति कार्रवाइयां की जानी चाहिए । इस संबंध में राज्य एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पीड़ितों के सहायतार्थ कड़ा रुख़ अपनाकर उन्हें न्याय दिलाने में आगे आना चाहिए ।

मलिक

नागपुर

कुछ प्रयास शेष

मासिक पत्रिका 'कान्ति' का दिसम्बर 2011 अंक का मैंने सरसरी दृष्टिकोण से अध्ययन किया । 'सती प्रथा : कुछ प्रयास शेष' लेखक मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना' का आलेख मुझे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सुधार व जनचेतना हेतु अच्छा लगा । सती प्रथा एक भयंकर रोग है जिसका कारण अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, अराजकता की जटिलता

आदि है । पुरातन से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो वर्तमान युग में सती प्रथा का अभिशाप बहुत कम रह गया है ।

देश को स्वतंत्र हुए क़रीब 65 वर्ष हो गये हैं । अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में अभी सती होना भी कट्टर धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर अच्छा माना जाता है । राजस्थान में झुंझुनू ज़िला के अंतर्गत दादी जी का सती मंदिर आज भी स्थापित है, नित्य यहां पूजा-पाठ होती है ।

मेरी राय में राजस्थान में सती होने की 28 से अधिक घटनाएं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हो चुकी हैं । सती प्रथा को आमूलचूल रोकना क़ानून लागू करने से पर्याप्त नहीं है परन्तु इसके लिए समस्त सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को आगे आना होगा । सामाजिक सुधार व सती प्रथा को पूर्णतया रोकने के लिए जनचेतना व जागृति का अथक प्रयास करना होगा ।

मैं लेखक के विचारों को अपनी ओर से साधुवाद देता हूं व पूर्णतया समर्थक हूं ।

रामस्वरूप झैवर

साहित्यांचल शाखा भीलवाड़ा (राज॰)

टुकड़े-टुकड़े

उत्तर प्रदेश राज्य के चार टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित कराना कोई अच्छा क़दम नहीं है । अन्य राज्यों में भी ऐसी मांग उठ सकती है । क्या देश स्वतंत्रता पूर्व की तरह छोटी-छोटी रियासतों में बंटकर रह जाएगा ? क्या इससे जातिवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा ?

यशपाल जैन आदर्श

जयपुर, राजस्थान

सुन्दर प्रतिबिम्ब

'कान्ति' वास्तव में हमारी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब ही तो है । नेकी के सिपाही सबसे ज़्यादा ज्ञानवर्द्धक और रोचक आलेख होता है । जो जानकारी आप दे रहे हैं वह अंयत्र दुर्लभ है । ईदुल अज़हा पर दिये गये सभी लेख अच्छे लगे । 'कान्ति' का अलख यूं ही जलाए रखिए !

शराफ़त अली ख़ान

बरेली, उत्तर प्रदेश

बाल दिवस

14 नवम्बर बाल दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन है । इस अवसर पर यदि इन बच्चों के प्रति ध्यान दिया जाए तो कुंठित कर देने वाली बहुत से कुसंस्कार दिखायी देते हैं । कभी भ्रूणावस्था में 'कन्या भ्रूण' के नाम पर हत्या की जाती है तो कभी उनके जन्म के समय प्रसव की शल्यक्रिया में आड़-पेंच का बहाना बताकर चिकित्सक तीसों हज़ार रुपये वसूल कर रहे हैं । जन्म पश्चात् कुछ अभिभावक उनके रोने-धोने, मल-मूत्र आदि से तंग आने लगते हैं ।

अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में व्यस्तता के कारण माताएं अपने बच्चों को नौकरानियों के हवाले कर देती हैं, जो समय का लाभ उठाकर उनके भाग्य का आहार स्वयं खाती-पीती हैं । कहीं पिता भी अपने दैनिक कार्यों के कारण बच्चों के सोने के बाद घर पहुंचते तथा उनके उठने के पूर्व घर से निकल पड़ते हैं । ऐसे बच्चे कुसंगति का शिकार होकर अवज्ञा, झूठ, क्रोध, चोरी-जुआ जैसे कार्यों में लग जाते हैं । उनमें अश्लील हरकतें, व्याभिचारी गुण पैदा हो जाते हैं । अनाथ बच्चों की पीड़ाओं में बलात्कार की घटनेाएं होती हैं । उनका संपूर्ण जीवन अंधकारमय कर दिया जाता है । ऐसी दशाओं में मासूम बच्चे कैसे अपने पैर जमाएंगे ? अतएव माता-पिता, शिक्षकों को इन मासूमों की प्रत्येक ग़लत व्यवहारों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए । उनमें शिक्षा के प्रति प्रेम, आदर-सम्मान, सेवा, भाईचारा के साथ उत्तम गुणों को निर्मित किया जाना चाहिए ।

मलिक

नागपुर

'सदाकांक्षा' 2011

'सदाकांक्षा' (2011) का अगला अंक विभिन्न विधाओं पर केन्द्रित होगा। रचनाकार बन्धुओं से निवेदन है कि विभिन्न विधाओं पर अपनी पांच उत्कृष्ट रचनाएं संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ 30 दिसम्बर 2011 तक निम्नलिखित पते पर भिजवाने का कष्ट करें। 'सदाकांक्षा' के निरंतर प्रकाशन के लिए हमें आपका भरपूर सहयोग अपेक्षित है।

संपादक, 'सदाकांक्षा'
इस्लामी साहित्य संगम
2703, बारादरी, बल्लीमारान, दिल्ली-110006
ई-मेल : sadakanchha@gmail.com

पटाख़ों से हानियां

नागपुर में दीवाली पर पटाख़ों से 15 स्थानों पर आग लगी, जिससे बड़े पैमाने पर मकानों, दुकानों और सामानों का नुक़सान हुआ । पटाख़ों से एक लड़का अंधा हो गया और दूसरे की आंख गंभीर रूप से ज़ख़्मी हो गयी । सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, नागपुर के नेत्र विभागाध्यक्ष ने बताया कि पटाख़ों में सल्फ़र और मैगनीज होता है, जो आंखों के लिए बहुत हानिकारक है । उन्होंने कहा कि दोनों लड़कों की आंख की हालत बहुत ख़राब है । पटाख़ों से जले 11 मरीज़ भी अस्पताल में भर्ती हैं ।

पटाख़ों के शोर से कई तरह का प्रदूषण भी फैलता है । इस एक शहर की हालत से देश के हज़ारों गांव तथा शहरों की हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है । समाज सेवकों एवं धर्मगुरुओं को चाहिए कि वे दीवाली एवं अन्य अवसरों पर पटाख़ों से जान व माल के होने वाले नुक़सान से लोगों को अवगत कराएं, ताकि फ़िज़ूलख़र्ची की यह हानिकारक परंपरा समाप्त हो ।

हसनैन कैफ़

भंडारा, महाराष्ट्र

खजूर का पेड़ लगाया जाए

मुस्लिम भाइयों के यहां खजूर का बड़ा महत्व है । रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ़्तार के लिए इसका विशेष आयोजन किया जाता है । वैसे कुल मिलाकर खजूर एक ग़रीबनवाज़ फल है । इसमें भरपूर शक्ति होती है और सभी भोजन तत्व इसमें पाये जाते हैं ।

अंतिम संदेष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने 300 से भी ज़्यादा खजूर के पेड़ लगाये थे । खजूर के पेड़ के बारे में कई बातें मशहूर हैं । इससे कई तरह के लाभ बताये जाते हैं । इसे लगाने वाला सुखी रहता है । यह सब पढ़ने और सुनने के बाद स्वयं मैंने भी खजूर का एक बीज गमले में डाल दिया, जो अब पांच वर्ष का एक पौधा हो गया है । यह मेरे मकान की छत पर है।

मेरी विन्ती है कि हर मुस्लिम इस काम को करे । वह खजूर खाने के बाद उसकी गुठली को इधर-उधर फेंकने के बजाय गमले में रोप दे या अगर स्थान हो तो ज़मीन में । देखते-देखते ही वह एक वृक्ष बन जाएगा । ख़ासकर हर मस्जिद में इसका रोपण अवश्य किया जाना चाहिए ।

घेवरचन्द गोदीका

जयपुर, राजस्थान

लेख खोजपूर्ण लगा

'कान्ति' के नवम्बर के अंक में प्रकाशित 'हज के लिए जाने वालों को सुविधाएं देने में सरकार लाचार व बेबस क्यों ?' पढ़ा । लेख खोजपूर्ण लगा । इसके लिए लेखक को मुबारकबाद ।

मुहम्मद मुश्ताक़ बेग

(एडवोकेट)

इन्दौर (म०प्र०)

विदेशी निवेश

खुदरा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंज़ूरी देना सही क़दम नहीं है और न ही हमारे राष्ट्रहित में । सरकार को इस मुद्दे पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है । यह तो वो बात हुई 'घर के पूत कवारे डोले पड़ोसियों के फेरे ।'

अभिषेक जैन

राजापार्क, जयपुर

माल का लालच और ईमान दोनों किसी बन्दे के दिल में हरगिज़ जमा नहीं हो सकते

मद्रासी

मद्रासी होटल
मालवीय रोड
रायपुर (सी०जी०)
फोन : 0771-2539516,2236788

मद्रासी होटल
शॉप नं० 1-7
मोतीबाग़ चौपाटी, रायपुर
फोन : 0771-2533946, 5053603

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)



एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 94 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 12000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 15 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● कुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,
UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
CORE BANKING A/C NO. : 300402010010581, ☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

एज़ाज़ी नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

अनुपम अलौकिक क़ुरआन

■ कर्नल सतीश वर्मा
जयपुर (राज०)

दर्शनशास्त्र में रुचि रहने के कारण मुझे तीव्र अभिलाषा होती थी कि इस्लाम के बारे में जानूं । यह प्रक्रिया 1952 से ही चलती आ रही थी जब मैं बी०ए० का विद्यार्थी था । आचार्य रजनीश (प्रोशो) मेरे सहपाठी थे । जबलपुर (म०प्र०) में वे मेरे बचपन से दोस्त भी थे । हम दोनों सच्चाई जानने के इच्छुक थे ।

अक्सर सोचता था कि एक अनपढ़ आदमी ने कैसे विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या को बिना किसी दबाव या हथियार के, एक साथ बांध रखा तथा अपने साक्ष्य के प्रति निष्ठावान रखा कि मक्का में हज के दौरान हर देश या जाति (वर्ग) का मुसलमान बिना किसी भेदभाव के एक साथ बोल उठता है "लब्बैक अल्लाहुम्मा" (ऐ खुदा, मैं हाज़िर हूं") अपने आपमें यह एक अनूठा आश्चर्य है जो विश्व इतिहास में कहीं नही मिलता ।

ख़ुदा ईमान लाने वालों से नबी (सल्ल०) के माध्यम से साफ़ कहता है कि अपने माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करो । किसी को मत सताओ । सूरा अल-बुरूज में ख़ुदा कहता है कि ईमान लाने वाले बराबर हैं उन्हें किसी भी प्रकार कष्ट मत होने दो । सूरा अल-मआरिज में नबी (सल्ल०) के माफ़िक़ ख़ुदा हमें शारीरिक व मानसिक, वैचारिक, नेतिकता तथा चरित्र के बारे में चेताता है । वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा क़ुरआन भाईचारा, प्रेम, सच्चाई, चारित्रिक दृढ़ता तथा न्याय पर आधारित पूरी मानवजाति के लिए मार्गदर्शन है ।

यहां यह समझने वाली बात है कि ख़ुदा के सामने हाज़िर हूं का यथार्थ मतलब है ऐ ख़ुदा अपने पापों की तौबा करते हुए, आप पर ईमान लाकर मैं आपके सामने आपकी कृपा का मोहताज़ हूं, मुझ पर रहम कर । यहां कोई मुक़दमे में जीतने की या भौतिक सुख की प्राय: कामना नहीं करता । इसके विपरीत मंदिरों में, गिरिजा घरों में हम ईश्वर से मांगते हैं, पास होने का आशीर्वाद, मुक़दमा जीतने की दुआ, आदि ।

जब मैंने क़ुरआन को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस्लाम किसी फ़िरक़े का धर्म नहीं है बल्कि समस्त मानवजाति के लिए सीधा सच्चा जीवन का मार्ग है । इस्लाम एक दर्शन न होकर जीवन पद्धति का नायाब नमूना है ।

क़ुरआन में कुल 114 सूरा है तथा बहुत-सी आयतों में यह चेतावनी दी गयी है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार परखा जाएगा व दंड तथा फल पाएगा । ठीक यही चीज़ संत तुलसी ने रामायण में कही है "निज कृत कर्म योग सब भ्राता" जिसे क़ुरआन में डेढ़ हज़ार वर्ष पहले उदाहरण देकर समझाया है । सूरा 'अल-इख़्लास' साफ़ कहा है कि "न ख़ुदा जनिता है और न जन्य" वह सर्व शक्तिमान अनूठा है, अत: अवतार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। असीम् को हम कैसे सीमा में बांध सकते हैं । आर्थिक व्यवस्था, राजनीति, खगोल ज्ञान आदि पर क़ुरआन में वर्णित आयतों को छोड़ दें तो नैतिकता पर क़ुरआन में अलैकिक रूप से ज़ोर दिया गया है ।

ख़ुदा ईमान लाने वालों से नबी (सल्ल०) के माध्यम से साफ़ कहता है कि अपने माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करो । किसी को मत सताओ । सूरा अल-बुरूज में ख़ुदा कहता है कि ईमान लाने वाले बराबर हैं उन्हें किसी भी प्रकार कष्ट मत होने दो । सूरा अल-मआरिज में नबी

(सल्ल॰) के माफ़िक़ ख़ुदा हमें शारीरिक व मानसिक, वैचारिक, नेतिकता तथा चरित्र के बारे में चेताता है । वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा क़ुरआन भाईचारा, प्रेम, सच्चाई, चारित्रिक दृढ़ता तथा न्याय पर आधारित पूरी मानवजाति के लिए मार्गदर्शन है ।

अपने आस्ट्रेलिया प्रवास के दौरान वहां के लोगों में क़ुरआन के प्रति उत्सुकता देख, जब मैंने उन्हें क़ुरआन में निहित नैतिकता के बारे में तथा नारी के अधिकारों व सम्मान के बारे में बताया, तब लोग आश्चर्य में भर गये तथा कई शंकाएं भी दूर करनी चाहीं । मैं यहां केवल दो मुख्य शंका ले रहा हूं जो वहां के लोगों ने पूछीं ।

(1) क़ुरआन में एक साथ चार सशर्त विवाह का क्यों अनुमति है ?

मैंने उन्हें साफ़ कहा कि पूरे क़ुरआन में सिवाय सूरा अन-निसा आयत-3 के कहीं भी चार विवाह का ज़िक्र नहीं है तथा सूरा अन-निसा आयत-3 में सशर्त अनुमति दी गयी है । साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर अंदेशा हो कि उनके साथ इन्साफ़ न कर सकोगे तो एक ही पत्नी रखो ।

तलाक़ के मामले में भी क़ुरआन में संयम बरतने की या सुलह के रास्ते खोजने की सलाह तथा भोग से बचने की सलाह दी जाती है । (सूरा अल-बक़रा-226-228)

लोगों की यह दूसरी शंका थी कि नबी (सल्ल॰) ने ख़ुद 12 शादियां क्यों की ? मैंने उन्हें बताया कि क़ुरआन में दिये मार्गदर्शन को नबी (सल्ल॰) के जीवन से तुलना करते हुए पढ़ें तो आश्चर्यजनक सत्य प्रकट होते हैं ।

हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) के बेटे हज़रत इसहाक़ (अलैहि॰) का परिवार 12 फ़िरक़ों में बंटकर पूरे अरब में फैल गया था । कालांतर में इन फ़िरक़ों में आत्म सम्मान तो था पर एकता नहीं थी, नारी का सम्मान नहीं था ।

नबी (सल्ल॰) ने जब इस्लाम का प्रचार किया तो सबसे ज़्यादा ज़ोर सच्चाई, एकता, भाईचारा तथा एक अल्लाह की इबादत पर ज़ोर दिया।

सोचने की बात है कि केवल उपदेश से अपने आपको दूसरों से अच्छा समझने वाला गिरोह आपसी वैमनस्य भूलकर समान कैसे समझता जबकि हर गिरोह ख़ुदा और नबी (सल्ल॰) पर विश्वास करता था । नबी (सल्ल॰) ने हर फ़िरक़े की एक महिला चाहे कुंवारी, विधवा या तलाक़शुदा हो, से शादी करके, अपने उदाहरण द्वारा, हर गिरोह में नारी सम्मान को बढ़ावा दिया, एकता पैदा की, समानता व भाईचारा पैदा किया । यह था एकता, क़ायम करने का नया तरीक़ा, बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती या रक्तपात के ।

इस तरह मैंने आस्ट्रेलिया के उन लोगों को जो सभा में एकत्र थे, समझाया कि क़ुरआन को समझने के लिए नबी (सल्ल॰) की ज़िन्दगी की मिसाल सामने रखकर पढ़ो तथा समझो तब कई सच्चाइयां मिलेंगी व राज़ खुलेंगे ।

क़ुरआन की बारीकियां तथा उसमें छुपा ज्ञान चंद शब्दों में नहीं समझाया जा सकता । उसे केवल ख़ुद के जीवन में निष्ठापूर्वक उतार लेने में ही उसकी अहमियत समझ में आ सकती है ।

नक़ुशा

नयी सदी में
जब औरत है प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार
हिन्दुस्तान का इज़्ज़ो वक़ार
तब भी बेटी
महाराष्ट्र में पैदा होकर
नकुशा; दगाड़ी; धोंडी, ठहरे
यानी एक बेसूद व बेमक़सद-सा पत्थर
दर्दो रंजो अलम का पैकर
क़दम-क़दम रुस्वाई ज़िल्लत
उसकी ज़ात से सबको नफ़रत
अपने तक नालां व बरहम
अफ़सुर्दा, बेज़ार, परेशां
जैसे गिरी हो बिजली उन पर
जैसे मुसीबत, महरूमी हो बरसी उन पर
क्योंकि वह बेटा जो नहीं है !
और बेटे की सबको हसरत !
जबकि बेटी रश्क सरापा
जो तस्वीरे कायनात का हुस्न निखारे
शायर का मौज़ू-ए-सुख़न है
जिसके ज़िक्र से फ़न रौशन है ।

■ इन्तिज़ार नईम
2525 बारादरी, बल्लीमारान
दिल्ली-110006

ईश्वरीय ग्रंथ पवित्र क़ुरआन

■ अब्दुल्लाह अडियार

आमतौर से धार्मिक पुस्तकें दावा तो यह करती हैं कि वे इन्सानों को खुदा से मिलाती हैं, लेकिन व्यवहारत: जो चीज़ हमारे सामने आती है, वह यह कि वे इन्सानों को शासकों, पूंजीवादियों और पुजारियों आदि के आगे झुका देती हैं और जनता के हाथों को ज़ंजीरों से जकड़ने और उनको बिल्कुल बेबस बना देने का काम भी यही किताबें करती हैं ।

शासकों को ईश्वर का अवतार, प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया आदि उपाधियां दी गयीं । कुछ किताबों में आज़ादी की बात केवल कह दी गयी है, लेकिन व्यवहारत: इन्सान को इन्सानी गुलामी से मुक्ति दिलाने में वे असफल रही हैं । दूसरी तरफ़ हम देखते हैं कि ईशग्रंथ पवित्र क़ुरआन मजीद पुकार-पुकार कर कहता है कि इन्सान को इन्सान की बन्दगी नहीं करनी चाहिए । इन्सान को इन्सान का अनुसरण नहीं करना चाहिए । इन्सान को इन्सान की पूजा नहीं करनी चाहिएं । इन्सान को दूसरे इन्सानों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए । क़ुरआन ने इन शिक्षाओं को इतने विस्तार से बयान किया है कि उसके मानने वालों की रगों में ये विचार ख़ून बनकर दौड़ने लगे । इस तरह क़ुरआन ने उपासना और बन्दगी के योग्य केवल अल्लाह को बताया । उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आज्ञापालन केवल अल्लाह का होना चाहिए और मदद भी सिर्फ़ उसी से मांगी जानी चाहिए ।

इस शिक्षा को ग्रहण करने से क्या होता है और व्यवहारत: क्या हुआ ? इन्सान पर से इन्सान की ख़ुदाई मिटा दी गयी । इन्सान का इन्सान पर ज़ुल्म, अत्याचार और हर प्रकार की ज़्यादती बन्द हो गयी । मानव-चिंतन और विकास पर रोक लगाने वाली रुकावटों को ख़त्म कर दिया गया ।

इन्सान को सच्ची आज़ादी मिली । हर एक ख़ुदी और स्वाभिमानी की आंख खुली । इन्सानी जीवन से अंधेरे ख़त्म हुए और प्रकाश की धारा प्रवाहित हो गयी ।

मानव चिंतन की फुलवारी में मधुर पवन के झोंके आये और इन्सान ख़ुशी और हर्ष से झूमने लगा । इन्सान पर इन्सानी ख़ुदाई को पूर्णत: समाप्त करने की अद्वितीय सफलता जिस किताब के हिस्से में आयी, उस किताब का नाम है क़ुरआन मजीद !

इससे बढ़कर मानव-अधिकारों का घोषणा पत्र मानव जाति के कभी नहीं देखा । मेग्नाकार्टा से कहीं ज़्यादा, बहुत महान मानव-अधिकारों का घोषणा पत्र अगर कोई है तो यह ग्रंथ क़ुरआन मजीद है ।

इस किताब ने ग़ुलामों के हाथों में पड़ी हुई ज़ंजीरों को तोड़ा । सारे इन्सानों को एक ही पंक्ति में समान अधिकारों के साथ ला खड़ा किया । इन्सानी आज़ादी का यह विधान, रोशनी का यह मीनारा सारे इन्सानों को संबोधित करके कहता है : 'इन्सानो ! हमने तुमको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारे क़बीले और वंश बना दिये ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो ।' (क़ुरआन, 49:13)

इस शिक्षा ने लोगों को बताया कि मानव-जाति एक कुटुम्ब है । एक-दूसरे को पहचानने के लिए ही क़बीले, वंश और परिवार बने हैं ।

- जन्म के आधार पर ऊंच-नीच ।
- जाति के आधार पर ऊंच-नीच ।
- परिवार के आधार पर ऊंच-नीच ।

ये सभी भेदभाव जड़ से उखाड़ कर फेंक दिये गये । सारे इन्सान स्वतंत्र पैदा हुए हैं, वे सब समान अधिकारों और समान जीवन के अधिकारी हैं ।

यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि इन्सानों को दूसरों की हुकूमत से रिहाई दिलाकर और उन्हें समान अधिकार प्रदान करके क्या क़ुरआन ने उन्हें बेलगाम छोड़ दिया ? क्या उन्हें सरकश बना दिया ? क्या उन्हें ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर दिया ? नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं ।

क़ुरआन ने अल्लाह का तक़वा (ईशभय) इख़्तियार करने की ताकीद की । केवल एक ख़ुदा से डरो, दूसरों से न डरो, इसका आदेश दिया । इन शिक्षाओं के द्वारा ईशभय दिल में बिठाकर केवल ईश्वरीय क़ानूनों के आगे नतमस्तक होने का बुलन्द हौसला क़ुरआन ने इन्सान को दिया ।

अत्याचारी शासकों, अन्याय पर आधारित क़ानूनों, शोषण करने वालों, युद्ध, बीमारी, मौत, निर्धनता और दरिद्रता, धन

और प्रतिष्ठा की क्षति, इन तमाम आशंकाओं से न डरने न घबराने और न डगमगाने की शिक्षा एवं प्रशिक्षण देकर कुरआन ने इन्सान को बहादुर प्रतिष्ठित और गौरवपूर्ण बना दिया । इन्सान को इन महान गुणों से मालामाल करने वाली एक ही किताब है और वह है कुरआन मजीद ।

रेगिस्तान की गोद में पलने वाले अरब अपने क़बीलों के गृह युद्ध में उलझे हुए थे । समकालीन सभ्यता और संस्कृति की उन्हें हवा तक न लगी थी । इस महान पुस्तक ने ऐसे लोगों को सभ्यता और सुशीलता से सुसज्जित कर दिया और उन्हें दुनिया पर शासन करने की क्षमता विवेक और उपायों से अवगत कराके उन्हें हर प्रकार से बहादुर बना दिया ।

यह बड़ा कारनामा वास्तव में कुरआन की क्रांतिकारी शिक्षाओं का परिणाम है । मैं इस सत्य की घोषणा बिना किसी असमंजस्य के हिमालय की चोटियों पर खड़े होकर करने के लिए तैयार हूं ।

इस दिव्य ग्रंथ की एक विशेषता यह है कि इसने हर क़दम पर इस बात की ताकीद की है कि आदमी हर हालत में न्याय पर जमा रहे और कभी भी न्याय का दामन हाथ से न छूटने दे । हक़ और न्याय का दामन छोड़ने वालों को इसने आख़िरत (परलोक) के दर्दनाक अज़ाब से डराया है । आपके अपने रिश्तेदार का मामला हो तब भी उनके लिए हक़ और इन्साफ़ का दामन न छोड़ो । इस बात की ताकीद कुरआन करता है । इसी न्याय और इन्साफ़ की शिक्षा का असर है कि इस्लामी हुकूमत के अद्वितीय हक़ और इन्साफ़ के नमूने इतिहास में सुरक्षित हैं ।

इन्सान की आज़ादी, इन्सानी बराबरी और न्याय इन तीन उत्कृष्ट मौलिक सिद्धांतों पर कुरआन मजीद मानव समाज का निर्माण करता है ।

कुरआन का एक और विशेष गुण देखिये :

बहुत-सी धार्मिक पुस्तकें इन्सान के सांसारिक जीवन को पाप का जीवन कहती हैं । उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने की, उसको त्याग देने की और उसको छोड़ देने की शिक्षा देती हैं ।

इसके विपरीत कुरआन यह कहता है कि इन्सान खुदा की एक उत्कृष्ट रचना है । वह जीवन में मानव कर्तव्यों के महत्व को उजागर करता है, इन कर्तव्यों को पूरा करने की ताकीद करता है ।

वह कहता है कि इन कर्तव्यों को पूरा करने के परिणामस्वरूप तुम्हें एक पूर्ण जीवन मिलेगा और जीवन में सौंदर्य एवं आकर्षण पैदा होगा । हम कह सकते हैं कि मानव जीवन को आदर और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखने वाली किताब सिर्फ़ कुरआन मजीद है ।

यह किताब ज़िन्दगी के झमेलों से भागने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि यह किताब तो कहती है कि ज़िन्दगी के इसी संघर्ष से पूर्ण जीवन इन्सान को प्राप्त होता है ।

- ऐसी विशेषताओं से परिपूर्ण यह किताब वास्तव में ईश्वरीय किताब है ।
- ऐसी नेमतों से मालामाल करने वाली यह किताब अवश्य ही पवित्र किताब है ।
- ऐसी बुलन्दियों तक पहुंचाने वाली यह किताब नि:संदेह महान किताब है ।

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(Prof Z.H.Khan) Chairman

(Prof M. B. Zaman) Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

हज़रत उमामा बिन्त अबुल आस (रज़ि॰)

■ तालिब हाशमी

हज़रत उमामा (रज़ि॰) अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की नवासी और हज़रत ज़ैनब (रज़ि॰) की बेटी थीं। आपके पिता हज़रत अबुल आस बिन रबीअ् (रज़ि॰) उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा (रज़ि॰) के सगे भांजे थे। आप (सल्ल॰) हज़रत उमामा (रज़ि॰) से बहुत प्यार किया करते थे।

एक बार हब्शा के बादशाह नज्जाशी ने आप (सल्ल॰) की सेवा में तोहफ़े के तौर पर एक अंगूठी भेजी। आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : "यह अंगूठी मैं उसको दूंगा जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है।"

सुनने वालों ने समझा कि यह सम्मान निश्चित रूप से हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि॰) को हासिल होगा, लेकिन आप (सल्ल॰) ने हज़रत उमामा (रज़ि॰) को बुलाया और वह अंगूठी हज़रत उमामा (रज़ि॰) की उंगुलियों में पहना दी।

कुछ रिवायतों में अंगूठी की जगह सोने के बहुमूल्य हार का उल्लेख मिलता है। आप (सल्ल॰) ने हज़रत उमामा (रज़ि॰) को बुलाकर यह हार उनके गले में डाल दिया।

सहीह बुख़ारी में है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को अपनी इस नवासी से बहुत प्यार था। उनके लगाव का हाल यह था कि आप (सल्ल॰) अक्सर अपनी इस नवासी को अपने साथ मस्जिद ले जाया करते थे। एक दिन आप (सल्ल॰) इस हालत में मस्जिद पहुंचे कि हज़रत उमामा (रज़ि॰), जो उस समय एक नन्हीं-सी बच्ची थीं, उनके कंधे पर सवार थीं। मुहब्बत का यह हाल था कि आप (सल्ल॰) ने उन्हें अपने कंधे से नहीं उतारा और उसी तरह नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी।

जब आप (सल्ल॰) रुकूअ में जाते तो नन्हीं उमामा को आहिस्ता से नीचे उतार देते और जब ख़ड़े होते तो फिर अपने मुबारक कंधे पर बिठा लेते। इसी तरह आप (सल्ल॰) ने पूरी नमाज़ अदा की।

सन 8 हिजरी में जब उमामा (रज़ि॰) की मां हज़रत ज़ैनब (रज़ि॰) की मृत्यु हो गयी तो वे नाना की सरपरस्ती और निगरानी में आ गयीं। सन 11 हिजरी में जब आप (सल्ल॰) का इन्तिक़ाल हुआ तो हज़रत उमामा (रज़ि॰) व्यस्क हो चुकी थीं। कुछ दिनों के बाद जब हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) का इन्तिक़ाल हो गया तो हज़रत अली (रज़ि॰) ने हज़रत उमामा (रज़ि॰) से निकाह कर लिया।

सन 40 हिजरी में जब हज़रत अली (रज़ि॰) को शहादत नसीब हुई तो उनकी शादी हज़रत मुग़ीरा बिन नौफ़िल (रज़ि॰) से हुई।

उनके शादी के सिलसिले में एक रिवायत यह मिलती है कि हज़रत अली (रज़ि॰) की शहादत के बाद ख़ुद अमीर मुआविया (रज़ि॰) हज़रत उमामा (रज़ि॰) से शादी करना चाहते थे। लेकिन हज़रत इमाम हसन (रज़ि॰), जो उस समय हज़रत उमामा (रज़ि॰) के सरपरस्त थे, ने महसूस किया कि हज़रत उमामा (रज़ि॰) का रुझान उनकी तरफ़ नहीं है। इसीलिए उन्होंने हज़रत मुग़ीरा (रज़ि॰) का बुलाकर सारी बातें बतायीं। हज़रत मुग़ीरा (रज़ि॰) इसके लिए तुरंत तैयार हो गये और इमाम हसन (रज़ि॰) की अनुमति से उनके साथ निकाह कर लिया। उस समय तक हज़रत उमामा (रज़ि॰) की इद्दत की अवधि पूरी हो चुकी थी।

कहते हैं कि हज़रत मुग़ीरा (रज़ि॰) से उनके यहां एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम यह्या था, लेकिन अन्य रिवायतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अधिकांश लोगों का मानना है कि हज़रत उमामा (रज़ि॰) को कोई संतान नहीं हुई।

2. हज़रत इज़्ज़ा बिन्त अबू सुफ़ियान (रज़ि॰)

हज़रत इज़्ज़ा बिन्त अबू सुफ़ियान (रज़ि॰) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हबीबा (रज़ि॰) और अमीर मुआविया (रज़ि॰) की सगी बहन थीं। उन्होंने कब इस्लाम क़बूल किया इसका तो पता नहीं है लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि उन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया था।

कहा जाता है कि एक बार उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) ने अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से कहा : ''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरी बहन इज़्ज़ा को भी अपने निकाह में ले लें और इस तरह उसे सम्मानित करें ।''

संभवत: उस समय तक हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) को यह ज्ञात न था कि अल्लाह तआला ने दो सगी बहनों को एक व्यक्ति के निकाह में जमा होने से मना कर दिया है ।

आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : ''क्या तुम इस बात को पसन्द करती हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारी सौत बने ?''

हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) ने सहज भाव से जवाब दिया : ''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मैं अकेली ही तो आपकी पत्नी नहीं हूं । आप (सल्ल॰) की और भी कई पत्नियां हैं । मेरा जी चाहता है कि मेरी बहन इज़्ज़ा भी आपकी पत्नी बनने का गौरव प्राप्त करे ।''

आप (सल्ल॰) ने जवाब दिया : ''ऐसा करना जायज़ नहीं ।''

इसी सिलसिले की एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने जवाब दिया : ''इज़्ज़ा मेरी साली है और पत्नी के जीते जी उसकी बहन से निकाह जायज़ नहीं ।''

हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) ने अर्ज़ किया : ''हमने तो सुना है कि आप अबू सलमा (रज़ि॰) की बेटी से निकाह का इरादा रखते हैं ।''

आप (सल्ल॰) चौंक पड़े और आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, ''अबू सलमा (रज़ि॰) की बेटी से !''

हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि॰) ने कहा, ''जी हां !''

आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, ''यदि वह मेरी साली न भी होती तो भी मुझ पर हलाल न थी । वह तो मेरी रज़ाई भतीजी है क्योंकि मैंने और उसके पिता अबू सलमा (रज़ि॰) ने हज़रत सौबिया (रज़ि॰) का दूध पिया है ।''

AQUIL MUKHTAR
DEVELOPERS PVT. LTD.



M.D. MR. MUKHTAR AHMED
MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),
Mumbai-400011
Tel. No. : 23482660/23482688/23482762
Fax : 23484245

डॉक्टरों का नैतिक दायित्व

■ मेडिकल लाइन में यह मार्केट का निर्धारित नियम है कि जब एक डॉक्टर दूसरे को कोई मरीज़ रेफ़र करता है तो उसके बदले एक निर्धारित कमीशन लेता है । कई बार तो ऐसा होता है कि जो डॉक्टर ज़्यादा कमीशन दे मरीज़ उसे ही रेफ़र किये जाते हैं ।

इसी तरह डॉक्टर एक निश्चित जांच घर से अपने मरीज़ का टेस्ट करवाता है, जहां से उसे निर्धारित कमीशन मिलता है, जो 40 प्रतिशत तक होता है ।

दवा बनाने वाली कंपनियां भी अपनी दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को उपहार दिया करती हैं, जो छोटी-बड़ी चीज़ों से लेकर कार और विदेश यात्राओं तक हो सकते हैं । कंपनियों के पास इसके लिए नियमित फंड होता है । डॉक्टरों को और भी कई सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके बदले डॉक्टर अपने मरीज़ों को उन दवाओं का सुझाव देते हैं।

इस तरह के लेन-देन के बारे में शरीअत का क्या आदेश है ।

जवाब : डॉक्टरी एक सभ्य और प्रतिष्ठित पेशा है, जनसेवा है । जो लोग इस पेशे को अपनाते हैं उन्हें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ-साथ अल्लाह की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है, अगर वे अपने काम के प्रति ईमानदार रहे और अल्लाह की सृष्टि को फ़ायदा पहुंचाना उनका उद्देश्य हो । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का कथन है–सबसे बेहतर आदमी वह है, जिससे दूसरे इन्सानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो ।

यह दुखद है कि यह प्रतिष्ठित पेशा भी उपभोक्तावाद की भेंट चढ़ गया है । दौलत कमाने की होड़ लगी हुई है । डॉक्टरों, जांच घरों, अस्पतालों और दवा बनाने वाली कंपनियों का गठजोड़ हो गया है । मरीज़ों के फ़ायदे और उसके कल्याण का मुद्दा पीछे छुट गया है और सब दौलत के ढ़ेड़ इक्ट्ठा करने में जुटे हैं ।

शरीअत के पांच उद्देश्य बताये गये हैं–जान की सुरक्षा, माल की सुरक्षा, दीन की सुरक्षा, बुद्धि की सुरक्षा, वंश की सुरक्षा । एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया, "जिस आदमी से सलाह ली जाए उसे अमानतदार होना चाहिए ।" एक दूसरी हदीस में बताया गया है कि, "न खुद नुक़सान उठाया जाए और न किसी को नुक़सान पहुंचाया जाए ।"

मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना ही डॉक्टरों का लक्ष्य होना चाहिए । इसके तहत डॉक्टरों, जांच घरों, अस्पतालों और दवा बनाने वाली कंपनियों का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि मरीज़ों को अनावश्यक दवाएं नहीं दी जाएं । सस्ती और कम दवाओं से काम चल सक़ता हो तो महंगी और ज़्यादा दवाएं नहीं लिखी जाएं । अनावश्यक टेस्ट नहीं कराये जाएं । अगर केवल दवाओं से काम चल सकता हो तो ऑपरेशन नहीं किया जाए । लेकिन इससे हटकर अपने स्वार्थ के लिए मरीज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठना नाजायज़ है । यहां हम कुछ स्थितियों की चर्चा करते हैं–

● एक ही दवा विभिन्न कंपनियां विभिन्न नामों से तैयार करती हैं । उनकी क़ीमतें भी अलग-अलग होती हैं, लेकिन उनकी तासीर एक जैसी ही होती है । ऐसे में डॉक्टरों को चाहिए कि वे अपने मरीज़ों को कम क़ीमत वाली दवा लेने का ही सुझाव दें । यह सोचना कि महंगी दवा से मरीज़ मनोवैज्ञानिक तौर पर अधिक संतुष्ट होगा सही नहीं है ।

● कई बार दो विभिन्न दवाओं के घटक तो समान होते हैं, लेकिन किसी एक में एक तत्व अधिक होता है, जिसके कारण उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है । इस आधार पर उसका मूल्य भी अधिक होता है । ऐसी स्थिति में डॉक्टर यदि उचित समझे तो महंगी दवा का सुझाव दे सकता है ।

● रोग की पहचान के लिए विभिन्न तरह की जांचों का महत्व बढ़ गया है, लेकिन बिना किसी ख़ास ज़रूरत के केवल जांच घरों को लाभ पहुंचाने और अपने कमीशन के लिए मरीज़ पर जांच करवाने का बोझ डालना उचित नहीं है । इसी तरह यदि ऑपरेशन के बिना भी काम चल सकता हो तो केवल अस्पताल को लाभ पहुंचाकर अपना कमीशन पक्का करना नैतिकता और मानवता से गिरी हुई बात है । इस तरह की और भी स्थिति हो सकती है, जहां हमेशा डॉक्टरों को मरीज़ के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए ।

● डॉ० मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ समोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09670641947, 09451097177

जामिया का बैंक खाता नं०

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

A/c No. F.C.R. CD-149 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बेवॉ चौराहा

मुरब्बी

■ विष्णु प्रभाकर

गांव के ठीक बीचोबीच उनकी दुकान थी। चारों तरफ़ नाना रूप टोकरियां सजाकर बीच में एक चौकी पर वह शाहनशाह की तरह तनकर बैठते थे। चेहरे की झुर्रियां बुढ़ापे की साक्षी देने लगी थीं और कहीं चोट खाकर एक पैर भी कुछ लंगड़ा गया था। लेकिन आवाज़ की कड़क सदा आयु को धोखा दे जाती थी। हर दीवाली के दिन वह सबसे पहले जलेबियों का टोकरा लेकर भंगियों की बस्ती में पहुंचते थे। घर में जब कभी विवाह-शादी अथवा पुत्रोत्सव का अवसर आता तो सबसे पहले वह गांव के भंगी-चमारों को दो-दो आने देते थे। हाथ से दान और मुंह से गाली देने में उनका सहज विश्वास था। हर गाली के साथ, 'राम थारा भला करे' कहना वह कभी नहीं भूलते थे। इसी शक्ति के बल पर वह गांव के मुरब्बी बन गये थे।

उस दिन पैंठ का दिन था। छोटा-सा बाज़ार भीड़ से गुलजार था। चारों ओर से उठती आवाज़ों और धूल के कारण वातावरण में एक धुंधली गूंज पैदा हो आयी थी। सहसा भीड़ में से किसी ने कहा, "मका राम-राम नन्दू चौधरी। किंधे चले।"

चौधरी ठिठके फिर हंसकर बोले, "ओ हो, शेख़ जी दिक्खे हैं। अजी लौंडिया के हाथ पीले करने हैं। सौदा-सुलफ लेने आया हूं। तम सुनाओ किंधे जाओ हो।"

शेख़ जी कुछ जवाब दें कि उस पार अपने चौकी पर बैठे हुए मुरब्बी एकाएक पुकार उठे, "नन्दू भाई, नन्दू भाई होत। अरे मका सुनेगा भी, यार! यहां तो आ जरा।"

कंधे पर चादर डाले नन्दू चौधरी ने मुरब्बी को देखा। फिर पास आकर कहा, "राम-राम मुरब्बी। दिके तुमको ही देक्खूं था। लौंडिया का ब्याह है ना, बर्तन चाहिए।"

मुरब्बी ने गहरी आत्मीयता से कहा, "हां-हां, क्या डर है? अभी चलता हूं और कपड़ा नहीं लोगे? राम थारा भला करे, तमाखू, चावल..."

नन्दू कुछ उत्तर दे कि इससे पहले ही श्रीधर पाण्डे आ पहुंचे। बोले, "मुरब्बी, बढ़िया चावल चाहिए पांच सेर, क्या भाव है?"

जैसे किसी ने गाली दे दी हो, "क्या कहा, भाव? दिको घर वालों से भी कहीं भाव-ताव हो है। मंगल, ओ मंगल, अबे हराम के खाने वाले, सुनै नहीं। पीलीभीत वाला चावल तो ला। गुरु आये हैं। हां-हां, वही कोने वाली बोरी में है।"

पाण्डेजी बोले, "अजी मुरब्बी! पहले भाव बताओ।"

मुरब्बी मुड़े, "तो साफ़-साफ़ कह दूं। भगवान थारा भला करे, ढाई पा कम तीन सेर का भाव है। लेकिन न आपके लिए आधा पर कम तौल दूंगा।" "ओ हो हाजी करीमुद्दीन दिक्खे हैं, सलाम हाजी जी! खड़े क्यूं रह गये, इंधे बैठो ना। बढ़िया बासमती दिखाऊं?"

हाजी साहब ने कहा, "बस एक बार दिखा दो। बार-बार की बात मुझे अच्छी ना लगे।"

मुरब्बी को जैसे किसी ने चांटा मारा। तमककर बोले, "तुमने क्या बात कही, हाजी साहब! कभी खोट्टा माल दिया है क्या?"

हाजी साहब बोले, "नहीं-नहीं, यह मैंने कब कहा?"

मुरब्बी ने उसी स्वर में कहा, "और कैसे कहोगे? दिके थारे सहारे दुकान पै बैट्ठा हूं। पूछ लो गुरु से जो कभी उल्टी बात कही हो। यह देक्खो, यह है बासमती देहरादून को। सूंघो ज़रा। ख़ुशबू है, ख़ूशबू। कहे देता हूं कि कढाव में डालते ही गिरह भर की न हो जाए तो नाम बदल देना। भगवान थारा भला करे।"

हाजी साहब ने सूंघते हुए कहा, "ख़ुशबू तो है पर कुछ नयी..."

मुरब्बी फिर तिनक उठे, "क्या कहा? नयी मालम दे है। वही बात है जैसी रूह वैसे फ़रिश्ते। दिके हाजी साहब, दस साल से तो मेरी दुकान में पड़ी है। ऐसी बासमती तो दीवा लेकर ढूंढ़ढ़ों तो भी न मिले। भगवान थारा भला करे, तुम होगे तीस-पैंतीस के। जब थारे अब्बा जीवें थे, क्या नाम था उनका, बड़े भले थे, क्या मजाल कभी दूसरी दुकान पै पैर रखा हो। दिके एक दफे माल नहीं आया था तो बोले,

'मैं तो दूसरे की दुकान का रास्ता ही नहीं जानता ।' तब चचा खुद बाजार से सौदा लाये और तुम कहो कि बासमती नयी है । यह चालबाज़ी थारे साथ करूंगा । मूंछ मुंडा दूंगा कि कोई हराम का खाने वाला कह तो दे, बासमती पुरानी नहीं है । भगवान थारा भला करे, वह बात है..."

इसी बीच में देवी खाना खाने के लिए कहने आ गया । बस उबल पड़े, "खाने की पड़ गयी अभी से ? हराम के खाने वाले ! देखता नहीं कि दम मारने की फुरसत नहीं । जाकर कह दे कि खाने बिना काम नहीं अटकेगा । मैं उट्ठा तो शादियां अटक जाएंगी ।"

पाण्डेजी हंसकर बोले, "लेकिन मुरब्बी, जीने के लिए तो खाना ज़रूरी है ।"

उसी गहन गंभीरता से उन्होंने उत्तर दिया, "तो भी गुरु, सांझ तक रुके रहने में कोई हर्ज नहीं है । भगवान थारा भला करे, यमराज को अभी मेरी ज़रूरत नहीं है । उसके कौन-सी औलाद बैठी है जो शादी रचानी पड़े ।"

एक कहकहा लगा और फिर धीरे से गायों के खूरों के साथ अंधकार बिखेरती संध्या ने उस गांव में प्रवेश किया । मुरब्बी काफ़ी थक गये थे । पैरों की नसें सुन्न पड़ गयी थीं । उन्हें सहलाते हुए मंगल से बोले, "ओफ्फो भाई, अब जान में जान आयी । भगवान थारा भला करे, जैसे सारी दुनिया की शादियां इसी बार होंगी, खाना-पीना भी हराम हो गया । अच्छा, जब दुकान बढ़ाना शुरू कर । अरे, देबी ! ओ देबी, दीवा तो जला ला । दिके इस आले में रखा है ।"

बोलते-बोलते रुपये-पैसों का ढेर सामने लगा लिया । कहा, "हराम के खाने वाले कहवै हैं कि मुरब्बी इतना कमावै, कुल जमा सौ रुपये भी तो नहीं आये दिक्खे, क्या बचेगा ? राम थारा भला करे, मुश्किल से दस रुपये । अरे, हां, देबी, ओ देबी दलाली का क्या रहा ? कितनी दफ़ा कहा, पैसे के मामले में यक़ीन नहीं किया करै, पर समझ में ही नहीं आवै । भगवान थारा भला करे, कब समझोगे ? क्या कमा के खाओगे ? मका बिज्जू की तरह क्या देक्खे, जाके ला ।"

वह गया ही था कि छोटा लड़का राधे आ गया । बोला, "चच्चा, मैं कल शहर जाऊंगा ।"

"तो फिर ?"

"फिर क्या ? तमस्सुकों की मयाद गली जा रही है । नालिश करनी पड़ेंगी । कोई ले के ना दे है । ज़रूरत के वक़्त पैर पकड़ लें और फिर तोते की तरह आंख फेर लें ।"

मुरब्बी ने कहा, "सब पै दावा ठोकना चाहिए ।"

राधे बोला, "दावा तो ठोकूंगा ही, पर उनमें एक तमस्सुक मुनव्वर का भी है । थारा यारबास है, कल को कहोगे कि पूछा भी नहीं ।"

मुरब्बी के मुख पर सहसा कितनी ही हल्की-गहरी परछाइयां तेज़ी से उभरीं लेकिन तुरंत ही धुंधला गयीं । उसी सहज कड़क के साथ जवाब दिया, "इसमें यारबास क्या करेगा ? भगवान थारा भला करे, रुपया लिया है तो देना होगा । नहीं देता तो नालिश करनी होगी ।"

राधे बोला, "तब कल जाकर वकील को काग़ज़ दे आऊंगा ।"

लेकिन जैसे ही उसकी पीठ फिरी, मुरब्बी जैसे चीख़ उठा, "ऊंहूं थारा यारबास है । कहोगे पूच्छा भी नहीं । पूछकर क्या कर लिया । मुझसे कहलवाना चाहता था । शर्म नहीं आयी हराम के खाने वाले को । बाप से भी छल करे, लाला को पता नहीं कि मैं उसे तब से जानूं हूं जब लाला पैदा भी नहीं हुए थे । ग़रीब किसान खेती करके पेट पाले है, ऐसा यार-बास कि झूठ-झूठ भी काम का पता लग जाए तो दिके भागा आवे । परार साल गंगा माई चढ़ आयी थीं, सब घाट बहा ले गयीं पानी इतनी गहरा कि हाथी डूब जाए । लेकिन उसने कहा साल भर का त्योहार यूं नहीं छोड्डा जा, नहान होगा । भगवान थारा भला करे, मन्दर का कूंआ उसी ने अपने हाथों से खोदा था । बोला—वही हाथ अब भी हैं । रही जान की बात सो हाथ में नहीं, मन में हो..."

मंगल ने धीरे से कहा, "अब तो रोट्टी ले आऊं ।"

वह चौंक पड़े, "क्या कहा ? हां, हां, ले आ । सवेरे का भूक्का हूं । देख, परांवठों में अजवायन डलवा देना और हां, चूरन लाना मत भूल जाना । अरे मेरे यार, चला जावे है । बात तो सुन लिया कर, दिके मुनक्का ख़त्म हो गयी, लेते आना । भूलना मत । अब खड़ा-खड़ा क्या देक्खे है । भगवान थारा भला करे, जा दौड़ के जा ।"

मंगल गया तो घासवाली ने आवाज़ दी, "मुरब्बी ! घास नहीं लोगे ?"

एकदम जवाब दिया, "नहीं" ।

और जैसे दूसरे ही क्षण कुछ याद आ गया हो, पुकार उठे, "घास वाली ! अरी ओ घास वाली ! सुनती नहीं ।

"एक ही गठड़ी है ?"

घास वाली ने वहीं से जवाब दिया, "आजकल घास मिले कहां । ये ही मुश्किल से लायी हूं । पेट तो भरना है । राम बरसता ही नहीं ।"

"बरसेगा, ज़रूर बरसेगा और राम क्या करे, करम भी तो हम खेट्टे करने लगे हैं । उसका कोप ही तो है कि जानवरों के लिए घास नहीं । जा, जा, डाल आ । भगवान थारा भला करे, लौटती बार पैसे ले जाना ।"

घास वाली गयी तो देवी की ओर देखकर बोले, "देखा देबी, न्यार की कितनी मुसीबत है । अबकी बार मुनव्वर के खेत में कुछ नहीं हुआ, नहीं तो क्या वह न्यार पर पैसे डालने देता । क्या हुआ जो रुपये नहीं दिये ? अरे, तमस्सुक पलट देता, पर मैं तो कहूंगा नहीं । क्यों कहूं ?"

मंगल खाना लेकर आ गया तो पैसे संभालने का भार देवी को सौंप दिया । खाते-खाते इधर-उधर मुस्तैद कुत्तों को पुकारने लगे, "तो...तो...तो...ले, ले, अरे ले भी । वह देख, वह तेरे पा के पीच्छे पड़ा है । हट...हट, अरे परे हट, बस यहीं, वहीं खड़ा रह ।"

यह लुका-छिपी चल ही रही थी कि मुनव्वर आ गया । सिर पर मोटा साफ़ा, बदन पर फटी मिरजई और घुटनों तक की धोती और आंखों में निरीहता । बोला, "रोट्टी खा रहे हो मुरब्बी । बहुत देर कर देते हो ।"

मुरब्बी ने जवाब दिया, "आजकल तो यही रोना है भाई! ब्याह न जाने किस-किस के होंगे, पर मुसीबत मुझे उठानी पड़े ।"

मुनव्वर हंस पड़ा । फिर दो क्षण तक कोई किसी से नहीं बोला । मुरब्बी ने ही वह चुप्पी तोड़कर पूछा, "कैसे आये थे ?"

एक क्षण सोचते हुए मुनव्वर ने जवाब दिया, "सुना है, छोटे लाला नालिश करने जा रहे हैं । इस फ़सल तक रुक जाते तो..."

मुरब्बी ने ज़ोर से हुंकारा भरा । कहा, "तो ?"

मुनव्वर उसी तरह बोला, "दिके, तम उसे ज़रा कह देखते ।"

मुरब्बी ने एकदम जवाब दिया, "मैं कहूं ? नहीं । मैं कुछ नहीं कहता । भगवान थारा भला करे, मैं किसी के झगड़े में नहीं पड़ता ।"

मुनव्वर सहसा हतप्रभ-विमूढ़ बोल नहीं सका । एक क्षण की थका देने वाली स्तब्धता के बाद मुरब्बी ने ही फिर कहा, "लेकिन तू रुप्ये दे क्यों नहीं देता ?"

मुनव्वर धीरे से इतना ही बोला, "ये तम कहोगे । होते तो क्या नहीं देत्ता ?"

मुरब्बी ने फिर दृष्टि उठाकर उसे देखा और निर्लिप्त भाव से कहा, "तो मैं क्या करूं ? मंगल ! ओ मंगल !! पानी ला भाई और ये बर्तन हटा ।"

और फिर पानी पीते-पीते बोले, "देख, कहीं से कुछ हो सके तो किसी तरह से कुछ रुपये दे जा । बात टल जाएगी ।"

मुनव्वर ने कुछ कहना चाहा, पर 'मुरब्बी' के अतिरिक्त मुंह से कुछ निकला ही नहीं । जैसे दिल कुछ ठंडा होने लगा हो । कुछ देर शून्य में खोया-खोया सिर झुकाये खड़ा रहा और फिर चुपचाप चला गया । उसके जाते ही मुरब्बी ने तेज़ होकर मंगल से कहा, "गया तो जाने दे । हां, ज़रा देख के पानी डाल । दिन भर हाथ-मुंह धोने की फ़ुरसत नहीं हो, कितने गन्दे हो गये हैं और राम थारा भला करे, आज तो आंख भी कड़वा रही है । घर जाकर बड़ी बहू से सुरमा ले आना । भगवान थारा भला करे, समझ गया न ।"

मंगल ने अनमने भाव से पूछा, "आज ही लाएं ?"

और भी तेज़ होकर बोले, "और क्या कल लाएगा । आंख तो आज कड़वा रही है । हराम के खाने वाले, तुम से कुछ नहीं होता । ज़रा-ज़रा-सा काम भी कह के करवाना पड़े ।

फिर उठते-उठते बोले, "और खाट के पास पानी रख देना । थैली तकिये के पास । भगवान थारा भला करे । अबे मुनक्का ले आया था और चूरन ?"

मंगल ने जवाब दिया, "जी हां, सब ले आया था ।"

"तो मैं अभी आता हूं ।" यह कहकर मुरब्बी घर की ओर चल पड़े । बहुत दूर नहीं था । लेकिन रात का सन्नाटा उस बड़े गांव को अपने अन्तर में समेट चुका था । देवी की मां घर के भीतर के दालान में बैठी सूत अटेर रही थी । आयु पैंतीस वर्ष के आसपास लेकिन देखने में तीस की भी नहीं लगती थी । सदा मुस्कराती और काम में लगी रहती । देवी को आया देखकर उसने पूछा, "आ गया तू ? तेरे बाबा ने खाना खा लिया ?"

देवी ने जवाब दिया, "खा रहे थे । पर भाभी ! आज उनकी तबीयत कुछ ख़राब है । बहुत देर तक आप ही आप

HUDA BUILDERS & DEVELOPERS

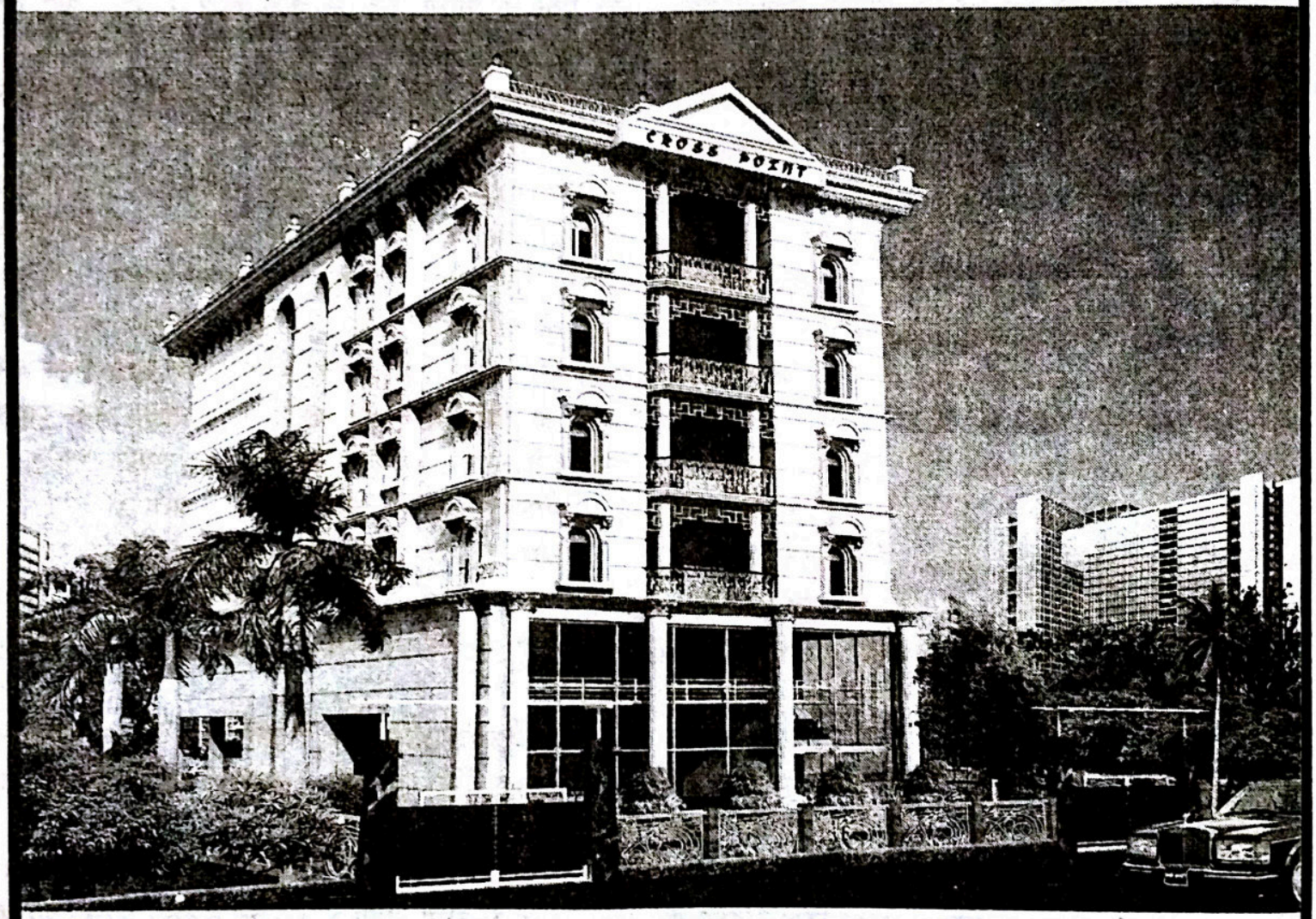

MD. MUKHTAR AHMED

MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),
Mumbai-400011

Tel. No. : 23482660/23482688/23482762

Fax : 23484245

बोलते रहे ।''

प्रभा हंस पड़ी, ''अरे यह तो उनकी आदत है ।''

देवी ने रहस्य की बात बताने की मुद्रा में कहा, ''ना, भाभी ! आज तो उनकी आंखों में पानी आ गया था । बार-बार मुनव्वर की बात करें थे । शायद चच्चा के उस पर रुपये चाहिएं ।''

निमिष मात्र में जैसे सब कुछ पारदर्शी हो उठा । बोली, ''तो ये बात है ! मैं जानूं हूं । तेरे चच्चा विष की गांठ हैं । नालिश-वालिश की बात होगी ।''

सहसा उसी समय दूर से खट्-खट् की आवाज़ पास आती चली आयी । उसी के साथ बहता चला आया एक स्वर, ''बेट्टी ओ बेट्टी !''

प्रभा हड़बड़ाकर उठी, ''तेरे बाबा दिक्खे हैं । ज़रूर कोई बात है । बिना बात वह घर नहीं आते । तीज-त्योहार या बीमार होने पर ही आते हैं ।'' तब तक मुरब्बी पास आ गये थे । प्रभा ने पूछा, ''कैसे आये ? तबीयत तो ठीक है?''

एक पल वह चुप खड़े रहे । फिर बोले, ''दिके बेट्टी, मेरी गुल्लक में कितने रुपये हैं ?''

प्रभा ने अचकचाकर उनकी ओर देखा, ''अभी परसों ही तो आपने सौ रुपये मंगवाये थे । हाथ खुला रखने पर क्या रुपया जुड़ै है ?''

मुरब्बी ज़ोर से हंस पड़े, ''भगवान थारा भला करे, बेट्टी! वो बात है कि हाथ खुला रक्खो तो जुड़ै नहीं, बन्द रक्खो तो जर लग जाए ।''

''लेकिन इस वक़्त आप रुपयों का क्या करेंगे ?''

'अब दिके क्या बताऊं ? मुनव्वर ने राधे से तीन सौ रुपये लिए थे । चुका नहीं पाया । चुकाने चाहिए थे । पर फ़सल ख़राब हो गयी । भगवान थारा भला करे, ग़रीब है । अब तमस्सुक की मयाद गली जा रही है ।''

प्रभा बोली, ''तो क्या हुआ, तमस्सुक बदला नहीं जा सके ?'' मुरब्बी ने धीरे से कहा, ''सके तो है, पर कहे कौन ? भगवान थारा भला करे, उसने न माना तो ? वो बात है कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल सोच्चूं हूं क्यों झगड़े में पड़ूं, पर वो भी तो वक़्त-बवक़्त हाथ बांधे हाज़िर रहे। राम थारा भला करे, गाय कैसी असील ख़रीदवा दी । चाहे बच्चा दूह ले । खिलायी अच्छी होगी तो आठ-दस सेर दूध ले लेना ।''

बोलते-बोलते वे जैसे कहीं खो गये । स्वर धीमा पड़ता गया । कहा, ''दिके, जब मैं फेरी लगाऊं था तो यही एक आदमी था जिसने मदद दी थी । महीनों इसकी झोंपड़ी में दुकान लगायी । राम थारा भला करे बेट्टी, हराम का खाने वाले, ये क्या जानें ! वो बात है जिसके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर परायी ।''

प्रभा ने पूछा, ''आपको कितने रुपये चाहिए ?''

''अभी तो सौ से काम चल सकता है । दिके बेट्टी, तेरी सास के बक्स में गुलुबन्द पड़ा होगा...''।

प्रभा एकाएक आपादमस्तक सिहर उठी, ''वो तो भाभी जी का है । उसका आप क्या करेंगे ?. ठहरिये, मैं अभी आयी ।'' मुरब्बी ने बैठते-बैठते कहा, ''हां-हां, बैट्ठा हूं । तू गुलुबन्द ले आ । भगवान थारा भला करे, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है ।'' वह तब तक जा चुकी थी । लंबी सांस लेकर कई क्षण मुरब्बी अपने आपसे बातें करते रहे, बड़बड़ाते रहे ।

जब प्रभा लौटकर आयी तो वह एकाएक चौंक पड़े, ''राम थारा भला करे, ले आयी गुलुबन्द ?''

प्रभा ने शांत स्वर में कहा, ''जी गुलुबन्द तो नहीं, सौ रुपये हैं । मेरे पास थे । जब आपकी मुल्लक में हो जाएंगे तो रख लूंगी ।'' मुरब्बी हतप्रभ-अनबूझ सहस्र युगों जितने एक पल में उसे देखते रहे । जब संज्ञा लौटी तो पुकारा, ''बेट्टी !'' लेकिन प्रभा तो अब वहां थी नहीं । राधे था जो तेज़ी से आता हुआ सहसा उनसे टकरा गया था । एकदम बोला, ''बच्चा, तुम यहां ? मका जी तो ठीक हैं ?''

मुरब्बी ने एकाएक अकड़कर कहा, ''जी साला कहां जावे । वो तो तेरा ही पता नहीं लगे । ले संभाल, बुढ़ापे में इस मुनव्वर ने जान आफत में डाल दी है ।''

राधे हतप्रभ-सा बोला, ''दिके समझा नहीं है ।''

मुरब्बी ने और भी शेर होकर कहा, ''समझने की इसमें क्या है ? नालिश करने को जा रहा था न, वही सौ रुपये दे गया है । बहुतेरा कहा कि मुझे बीच में न फांस पर तेरे सामने आते तो उसकी नानी मरे । अब भाई गिन ले । किसी साले का एतिबार नहीं । राम थारा भला करे, मैं चला ।''

और यह कहकर वृद्ध मुरब्बी लकड़ी से खटखट करते हुए वहां से चले गये । अक्खड़ राधे भौंचक कभी रुपयों को देखता, कभी उनके जाने की दिशा की ओर । खट-खट की आवाज़ निरंतर धीमी पड़ रही थी लेकिन अन्तर का तूफ़ान उतना ही तीव्र होता जा रहा था ।

इस्लामी कृषि-व्यवस्था की कल्याणकारिता

❖ मुहम्मद क़ुत्ब



जागीरदारी व्यवस्था शोषण पर आधारित है । वह यह ऐतिहासिक तथ्य है कि आरंभिक इस्लामी समाज़ दो वर्गों में बंटा हुआ था । (1) ज़मींदार और (2) किसान, जो ज़मींदारों की ज़मीन पर काम करते थे, पर यह मात्र ऊपरी एकरूपता थी, जिसकी बुनियाद पर किसी तरह भी इस्लाम की कृषि-व्यवस्था को जागीरदारी व्यवस्था सिद्ध नहीं किया जा सकता ।

इस्लाम और कृषि-दासता

इस्लाम कृषि दासता को कदापि सहन नहीं करता । उसके अनुसार कृषि दासता का, जो किसान को ज़मीन के एक विशेष क्षेत्रफल के साथ बांध देती है, बिल्कुल ही कोई औचित्य नहीं है । इस्लामी इतिहास गुलामों की सिर्फ़ एक क़िस्म को जानता है, जो विभिन्न लड़ाइयों में गिरफ़्तार होकर आने वाले लड़ाई के क़ैदियों पर सम्मिलित थी । इससे साबित होता है कि आरंभिक इस्लाम समाज में गुलामों की सामूहिक संख्या आज़ाद नागरिकों से बहुत कम थी । ये गुलाम अपने मालिक के खेतों में काम करते थे, यहां तक कि या तो उनके मालिक अपनी इच्छा से उन्हें आज़ाद कर देते थे या फिर वे खुद उनसे मुकातबत यानी लिखा-पढ़ी की मांग करके अपनी आज़ादी हासिल कर लेते थे ।

पश्चिम की जागीरदारी व्यवस्था के इतिहास में गुलामों की आज़ादी के इस तरह के किसी तरीक़े का पता नहीं मिलता, क्योंकि उस व्यवस्था की यह मंशा थी ही नहीं कि किसानों और कृषि-श्रमिकों को आज़ादी की भावना से भर दिया जाए । इसके विपरीत उसकी कोशिश हमेशा यह रही कि उनकी गुलामी को हमेशा की चीज़ बना दिया जाए, ताकि अगर किसान और कृषि प्रधान वर्ग कभी आज़ाद भी होना चाहे तो आज़ाद न हो सकें । पश्चिम में किसान को कृषि-दास समझा जाता था, जिसे ज़मीन की तरह बेचा और ख़रीदा जा सकता था ।

अगर ज़मींदार ज़मीन का टुकड़ा बेचता था, तो उस पर काम करने वाले तमाम किसान भी बिक जाते थे और ज़मीन के नये मालिक की मिल्कियत बन जाते थे । ये 'कृषि दास' ज़मीन के जिस टुकड़े पर काम करते थे, उसको छोड़कर न तो वे कहीं और जा सकते थे और न ज़मींदार की सेवा और चाकरी ही से उन्हें इन्कार या अवज्ञा का कोई अधिकार था ।

इस्लाम इस क़िस्म की कृषि-दासता की कल्पना से पूर्णतः अपरिचित है । सिवाय एक खुदा की गुलामी के, जो ज़िन्दगी व मौत का पैदा करने वाला है, वह गुलामी और आज्ञापालन की बाक़ी तमाम शक्लों का निषेध करता है, उनका घोर विरोधी है । उसके नज़दीक किसी जीव को यह हक़ नहीं पहुंचता कि वह अपने जैसी किसी दूसरी रचना को अपना गुलाम बना ले, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है और इस की वजह हमेशा कुछ ग़ैर-इस्लामी तत्व होते हैं । इस्लाम इसको सिर्फ़ एक अस्थायी और लोकतांत्रिक ढंग की शक्ल समझता है, जिसे वह बाक़ी नहीं रखना चाहता, बल्कि यह चाहता है कि अपने तमाम साधनों को काम में लाकर उसका बिल्कुल ही अंत कर दे । वह एक ओर गुलामों में यह भाव और उमंग पैदा करता है कि वे अपनी

जागीरदारी के विरुद्ध है इस्लाम



आज़ादी की मांग करें और दूसरी ओर राज्य को अनिवार्य करता है कि वह गुलामी के बंधन से मुक्ति चाहने वाले गुलामों की हर तरह से सहायता करे ।

आर्थिक जीवन के क्षेत्र में भी इस्लाम इन्सान की, अपने ही जैसे दूसरे इन्सानों की, गुलामी को पसन्द नहीं करता, लड़ाई के क़ैदियों को गुलाम बनाने की इजाज़त उसने खुशी से नहीं दी, बल्कि मजबूरी में दी थी, क्योंकि उस समय इस समस्या का कोई और उपयुक्त हल मौजूद नहीं था । जब यह हल मिल गया और गुलामों के अन्दर आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से आज़ाद समाज के आज़ाद नागरिकों की चेतना जाग गयी, तो इस्लाम ने उन्हें आज़ाद कर दिया ।

आर्थिक ढांचे की बुनियादें

इस्लाम के आर्थिक ढांचें की बुनियादें, कार्य करने की स्वतंत्रता, पूर्ण सहयोग, एक-दूसरे की सेवा के भाव पर रखी गयी है । अतएव इस्लामी राज्य अपने क्षेत्र में उन तमाम विवश व्यक्तियों के अधिकारों और स्वार्थों की रक्षक और निगहबान होती है, जो आर्थिक दौड़ में पीछे रह जाते हैं और यथोचित जीवन की तमाम सुविधाओं से महरूम होते हैं । इस्लामी समाज में कोई व्यक्ति ज़मींदारों का गुलाम बनकर रहने पर मजबूर नहीं होता, क्योंकि सरकार अपने तमाम साधनों के साथ उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए होती है । इस्लामी सरकार अपने हर नागरिक को ज़िन्दगी की बुनियादी ज़रूरतें जुटाती है, पर उसके बदले में वह न तो उसे ज़लील करती है और न उसकी आज़ादी, मान-सम्मान और स्वाभिमान पर डाका डालती है ।

अपने आंतरिक स्वरूप और आर्थिक व्यवस्था, दोनों दृष्टि से इस्लाम जागीरदारी व्यवस्था की बिल्कुल विरोधी है और उसने एक ऐसे घेरे में आकर मानवता को जागीरदारी व्यवस्था की लूट-खसोट से निजात दिलायी थी, जबकि वह अभी कृषि-दासता के चंगुल में भी नहीं फंसी थी ।

जागीरदारी व्यवस्था में किसान पर कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का एक कमरतोड़ बोझ होता था, पर इस्लामी इतिहास में उनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं मिलता । इस्लामी युग में अगर कोई किसान ख़तावार साबित हो जाता था, तो इस्लाम की दृष्टि से ज़मींदार को यह हक़ तो हासिल था कि वह चाहे तो अपनी ज़मीन उससे लेकर किसी और किसान के सुपुर्द कर दे, पर उसे किसान को किसी तरह के जुल्मोसितम या अन्याय व अत्याचार का निशाना बनाने का कोई अधिकार न था, क्योंकि इस्लाम ज़मींदार और उसके श्रमिकों के दर्मियान ताल्लुक़ात को आक़ा और गुलाम के आधार पर नहीं, बल्कि आज़ादी और बराबरी की बुनियादों पर क़ायम करता है ।

ज़मींदार और किसान के आपसी संबंधों की शक्लें

इस्लाम की दृष्टि में किसान और ज़मींदार के दर्मियान जायज़ क़ानूनी ताल्लुक़ की दो शक्लें संभव हैं–

1. आपसी समझौता, 2. साझेदारी,

आपसी समझौते की शक्ल में किसान ज़मीन की कुल पैदावार में से एक तय किया हुआ हिस्सा ज़मींदार को ज़मीन के किराये के तौर पर देने का पाबन्द होता है । इससे जो पैदावार बची रहती है, वह उसकी मिल्कियत बन जाती है

और इससे वह अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करता है । इस्लामी व्यवस्था में, न सिर्फ़ किसानों की आज़ादी हर प्रकार से सुरक्षित रहती थी, बल्कि वह ज़मीन और उसकी खेती के सिलसिले में जो तरीक़ा मुनासिब समझता, उसे अपना सकता था ।

ऐसे ही साझेदारी की शक्ल में वह ज़मीन की पैदावार में ज़मींदार के साथ बराबर का शरीक होता था, पर ज़मीन की खेती वग़ैरह पर जो ख़र्च होते थे, वह ज़मींदार को सहन करने होते थे । किसान का काम सिर्फ़ ज़मीन को आबाद करना और उसकी खेती और देखभाल करने तक ही सीमित था ।

इस्लामी कृषि-व्यवस्था की विशेषताएं

मामले की इन दोनों शक्लों में से किसी में भी न जबरी बेगार की कोई गुंजाइश है कि ज़मींदार धौंस जमाकर किसान से बेगार लेता रहे और न इस बात का कोई ख़तरा है कि ज़मींदार अधिनायकवादी अधिकारों और आरक्षणों को हासिल कर के किसानों को कर्तव्यों और पाबन्दियों के एक ऐसे विधान में जकड़ दे, जो अधिकारों और आरक्षणों से पूर्णत: ख़ाली हो, क्योंकि इस्लाम ज़मींदार और किसान के ताल्लुक़ात की नींव समान स्वतंत्रता, समान कर्तव्य और आरक्षण और 'कुछ लो और कुछ दो' के समान नियम पर उठाता है ।

ज़मीन चुनने की स्वतंत्रता

इस्लामी व्यवस्था की पहली विशेषता यह है कि इसमें किसान को इस बात की पूरी-पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह ज़मीन का जो टुकड़ा चाहे, खेती के लिए स्वत: किराये पर ले सके। इसी तरह वह जिस ज़मींदार की साझेदारी अपनाना चाहे, अपना सकता है और जब चाहे उसे छोड़ सकता है ।

समझौते में बराबरी

इस व्यवस्था की दूसरी विशेषता यह है कि ज़मींदार से ज़मीन के बारे में समझौता करते समय उसे ज़मींदार के मुक़ाबले में समान हैसियत प्राप्त होती है । वह दबकर या डरकर मामला करने पर मजबूर नहीं होता, क्योंकि वह इस्लामी समाज का एक आज़ाद व्यक्ति होता है और उसको इस बात का पूरा हक़ पहुंचता है कि अगर वह समझौते को अपने लिए फ़ायदेमंद न पाए, तो उसको समाप्त कर दे । ज़मींदार उस पर कोई समझौता ज़बरदस्ती नहीं ठूंस सकता और न इससे इन्कार की शक्ल में उसे किसी प्रकार से बदले की कार्रवाई का निशाना ही बना सकता है । श्रमिक की हैसियत से भी किसान को ज़मींदार के मुक़ाबले में बराबर के क़ानूनी आरक्षण प्राप्त होते हैं । वे एक-दूसरे के साथ बराबर के शरीक होते हैं, अतएव ज़मीन से जो पैदावार होती है, उसे वे आपस में बराबर-बराबर बांट लेते हैं ।

सहयोग एवं सहायता

पश्चिम की जागीरदारी व्यवस्था में धार्मिक और दूसरे त्योहारों के मौक़े पर ग़रीब किसान ख़ुशहाल और समृद्ध ज़मींदारों को तोहफ़े-तहायफ़ देने पर मजबूर था, पर इस्लामी व्यवस्था में उसके बिल्कुल उल्टी स्थिति मिलती है । यहां पर ग़रीब किसान ज़मींदारों को तोहफ़े देता नहीं था, उनसे तोहफ़े-तहायफ़ वसूल करता था ।

इस्लामी युग में ख़ुशहाल ज़मींदार ईद और ख़ुशी के दूसरे पर्वों, मुख्य रूप से रमज़ान के पावन और मुबारक महीने में, अपने ग़रीब किसान भाइयों की सेवा में तोहफ़े-तहायफ़ भेजते थे, उनको भोज पर बुलाते और समाज के ज़रूरतमंदों और मुहताजों की सहायता करते थे । दूसरे शब्दों में इस्लामी व्यवस्था में ख़ुशहाल और मालदार लोग ग़रीब किसानों को 'सुसभ्य' यूरोप की तरह उनसे तोहफ़े-तहायफ़ क़बूल करने के बहाने ढूंढ़ने के बजाय अपने धन-दौलत को उनके हित व कल्याण पर बेझिझक ख़र्च करते थे । इससे स्पष्ट है कि इस्लाम में पश्चिमी जागीरदारी व्यवस्था की तरह किसानों से जबरी बेगार लेने और ग़ैर-ज़रूरी कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों की ज़ंजीरों में जकड़ने की कदापि कोई गुंजाइश नहीं है ।

किसानों की अन्याय व अत्याचार से सुरक्षा

रह गये यूरोपीय जागीरदारी व्यवस्था में ज़मींदारों के वे कर्तव्य जो किसानों को नाजायज़ तौर पर अपना ग़ुलाम बनाये रखने और उनसे जबरी बेगार लेने के बदले में वे उन्हें दूसरों के दमन-चक्र से बचाने की स्थिति में अंजाम देते थे, तो सच तो यह है कि इस्लामी व्यवस्था में इस दृष्टि से कभी कोई अभाव नहीं पाया गया, क्योंकि समृद्धिशाली मुसलमान यही कर्तव्य स्वेच्छा से अंज़ाम देते थे और इनके बदले में

वे किसानों से किसी बदले या मुआवज़े के तलबगार न होते थे । उनके कार्य में मात्र अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने की भावना थी और वास्तव में यही वह चीज़ है, जो एक श्रेष्ठ और पाकीज़ा अक़ीदे की बुनियाद पर क़ायम होने वाली जीवन-व्यवस्था को शेष जीवन-व्यवस्थाओं से विशिष्ट बनाती है ।

एक क़िस्म की व्यवस्था में आदमी अपने ही भाइयों के साथ नेकी और भलाई इबादत समझ कर करता है और इस तरह ईश्वरीय सान्निध्य की प्राप्ति का तलबगार होता है, जबकि दूसरी क़िस्म की जीवन-व्यवस्था में अपने भाइयों से नेकी और भलाई भी एक तरह का व्यापारिक कारोबार बन जाती है, जिसमें शरीक विभिन्न लोगों में से हर एक की इच्छा और कोशिश यही होती है कि वह मुनाफ़े का ज़्यादा हिस्सा खुद ले उड़े और दूसरों को बस उतना और वही कुछ दे, जो अनिवार्य हो और जिसके दिये बिना कोई रास्ता न हो । चुनांचे लाभ-हानि की इस दौड़ में मूल निर्णायक वस्तु भौतिक साधन होते हैं, जिसके पास ये ज़्यादा होते हैं, वह बाज़ी ले जाता है और कोशिश करता है कि ज़िन्दगी के सारे फ़ायदे सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए मुख्य कर ले ।

ज़मीन लेने की आज़ादी

जागीरदारी व्यवस्था की तीसरी विशेषता यानी ज़मींदार का यह हक़ और अधिकार कि वह जिसे चाहे और जितनी चाहे, अपनी ज़मीन खेती करने के लिए दे और फिर अपनी इच्छा से इन श्रमिकों के लिए कर्तव्यों और बेगार की एक लंबी-चौड़ी सूची तैयार करके उनके सिर थोप दे, पूर्णत: मालिक की यूरोपीय धारणा और कृषि-दासता की पैदावार है, इस्लाम इससे पूर्णत: अनभिज्ञ है, क्योंकि वह सिरे से कृषिदासता ही को स्वीकार नहीं करता ।

इस्लाम के नज़दीक पट्टे पर ज़मीन लेने की शक्ल में कोई किसान के अधिकार और हक़ों को जो चीज़ सीमित करती है, वह उसकी अपनी इच्छा होती है या उसकी आर्थिक स्थिति । ज़मींदार को किसान के मुक़ाबले में कोई विशेष आरक्षण प्राप्त नहीं होते, बल्कि सिर्फ़ यह हक़ प्राप्त होता है कि पट्टा लेते वक़्त किसान ने उनको जितना रक़म देने का वादा किया था, वह रक़म उनको बराबर मिलती रहे ।

इसी तरह कृषि-साझेदारी की शक्ल में कोई किसान कितनी ज़मीन लेने का अधिकारी है ? इस्लामी व्यवस्था में इसका आश्रय भी मात्र ज़मींदार की इच्छा पर नहीं होता था, बल्कि खुद किसान की अपनी इच्छा पर था । अगर ख़ानदान के दूसरे व्यक्ति, मुख्य रूप से बेटे ज़मीन को आबादी और खेती के सिलसिले में उसकी मदद के लिए मौजूद होते और वह यह महसूस करता कि वह अधिक क्षेत्रफ़ल की ज़मीन संभाल सकता है, तो उसकी प्राप्ति की राह में भी कोई रुकावट न थी ।

कृषि श्रमिक होने की हैसियत से उसकी ज़िम्मेदारियां केवल ज़मीन के उस क्षेत्रफल तक सीमित होती थीं, जो उसके हाथ में होता था और उस वक़्त तक उसकी और ज़मींदार की संयुक्त संपत्ति समझा जाता था, जब तक उससे पैदावार हासिल न हो जाए । जहां तक ज़मींदार की बाक़ी ज़मींदारी और जागीरों का ताल्लुक़ है, वह कृषि-श्रमिक की हैसियत से किसान की ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं होती थीं और न वह यूरोपीय श्रमिकों की तरह वहां जाकर उनमें खेती करने या कोई और सेवा करने का पाबंद था ।

ज़मींदारों के वर्चस्व का अंत

इस्लाम और जागीरदारी व्यवस्था में अन्तर और मतभेद का खुला पहलू जागीरदारों के वे प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार हैं, जो जागीरदारी युग में उन्हें किसानों पर प्राप्त थे । अपनी जागीरों की सीमाओं में सामाजिक और राजनीतिक जीवन के तमाम मामलों में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त था और वे स्याह व सफ़ेद के मालिक थे, मगर इस्लाम ने आकर जागीरदारों की खुदावंदी के इस बुत को टुकड़े-टुकड़े कर दिया, क्योंकि वह इस प्रकार के आरक्षणों का घोर विरोधी है और वह मानव-जीवन को उनकी गंदगियों से पाक व साफ़ रखना चाहता है ।

यूरोप की क़ानून-व्यवस्था और जागीरदारी

यूरोपवासी किसी ऐसी क़ानून-व्यवस्था से भी महरूम थे जिसकी रोशनी में वे ज़मींदार और किसान के आपसी ताल्लुक़ात को संगठित कर सकते । रोमी क़ानून ने जो बाद में तमाम पश्चिमी विधानों की बुनियाद बना, जागीरदारों को इतने विस्तृत और असीम अधिकार दे रखे थे कि अंतत: वे अपनी जागीरों और इलाक़ों में सर्वशक्ति प्राप्त बादशाह बन

क़ादिरी दवाख़ाना की कामयाब यूनानी दवाएं

DIAL
033-2469-3173
033-2489-3539



किसी भी प्रकार के दर्द, चोट, मोच, गठिया, जलने, कटने और बच्चों की मालिश में बहुत ही लाभदायक।



जाफ़रानी तेल®

गैस्टिक के दर्द में?

क़ब्ज़ ट्रोजन

अनपच, भूख की कमी, जिगर का दर्द, क़ब्ज़, सीने की जलन और पेटी की सभी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक।

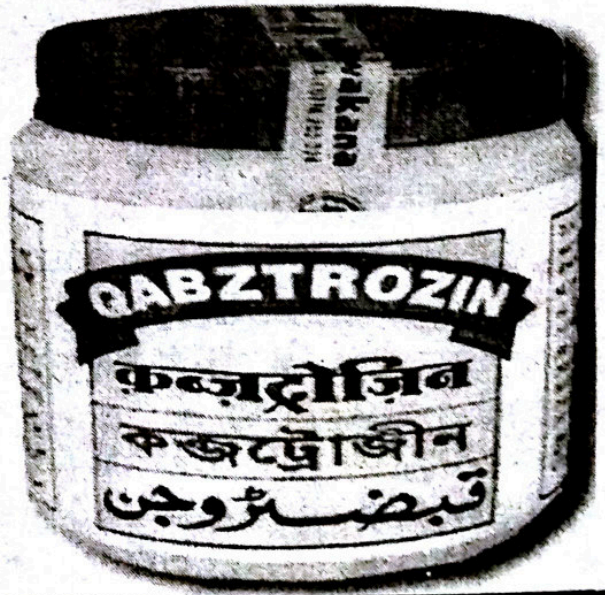

Qadri Dawakhana
B-18, NAWAB WAJID ALI SHAH ROAD, KOLKATA - 24,

DISTRIBUTORS:
DARYA BADI DAWAKHANA 393, E. R. Road, Pydhonie, Mumbai - 400 003 Ph: 022-2341-1957.

RELAX ENTERPRISES 3416, Bahishti Wada, No.1, Dhule, - 424 001 Ph: 02562-236952

बैठे थे, जो अपनी प्रजा के लिए न सिर्फ़ क़ानून बनाते थे, बल्कि उन्हें जैसे चाहते थे, लागू भी करते थे । ये जागीरदार एक ही वक़्त में विधान-निर्माता भी थे और प्रशासनिक और न्यायिक उच्च पदाधिकारी भी । इस तरह एक दृष्टि से उन्होंने राज्य के भीतर राज्य स्थापित कर रखा था । जहां तक देश की सरकार का ताल्लुक़ था, वह उस समय तक उनसे किसी क़िस्म की कोई छेड़ख़ानी नहीं करती थी, जब तक वे सरकार की आवश्यकतानुसार अपनी तमाम सैनिक और आर्थिक ज़िम्मेदारियां निभाते रहते थे ।

क़ानून का राज्य

इस्लाम इस जीवन पद्धति से बिल्कुल अपरिचित है । इस्लामी व्यवस्था में एक ही केन्द्रीय सरकार होती है, जो मुल्की क़ानून यानी इस्लामी शरीअत को अपने नागरिकों की ज़िन्दगियों में लागू करने की ज़िम्मेदार होती है । उसकी निगाह में सब नागरिक समान रूप से मान-सम्मान के अधिकारी होते हैं और किसी नागरिक को सज़ा केवल इसी स्थिति में दी जा सकती है, जबकि उसका जुर्म सच-मुच साबित हो जाए । बाद में जब राज्य इस्लामी सिद्धांतों से हटकर विरासती बादशाही के रूप में ढला, तो उस वक़्त भी उसमें इस्लामी राज्य की कुछ विशेषताएं मौजूद थीं, जैसे वह अपने कार्य क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों के लिए ज़रूरतें जुटाती थीं, और उनके हितों की रक्षा करती थीं ।

इस्लामी राज्य की फैली सीमाओं का एक ही क़ानून चल रहा था । यही क़ानून का राज्य था, जिसने किसानों को जागीरदारों के दमन चक्र, लूट-खसोट और उनकी मनमानी इच्छाओं और अंधविश्वासों का शिकार बनने से बचाये रखा, क्योंकि उन पर जागीरदारों और ज़मींदारों की नहीं, बल्कि खुदाई क़ानून की हुकूमत थी, जिसकी निगाह में आज़ाद इन्सान होने की हैसियत से न केवल ज़मींदार और कृषि श्रमिक आपस में बराबर थे, बल्कि तमाम इन्सान समान और एक जैसे बर्ताव के अधिकारी थे ।

निस्संदेह मुसलमानों के इतिहास में एकाध ऐसी मिसालें भी मिलती हैं, जिनमें कुछ मुसलमानों ने हक़ व इन्साफ़ के बजाय सत्ताधारियों का साथ दिया और जान-बूझकर ऐसे अदालती हुक्म लगाये, जिनसे शासकों और जागीरदारों के स्वार्थों की सुरक्षा अभिप्रेत थी । लेकिन एक तो ऐसी मिसालें इस्लामी न्याय इतिहास में बहुत थोड़ी हैं और जैसा कि स्वयं कुछ यूरोपीय विद्वानों के लेख गवाह हैं, उनकी हैसियत अपवाद घटनाओं से अधिक नहीं । दूसरे इन गिनी-चुनी मिसालों के मुक़ाबले में इस्लामी इतिहास ऐसी अगणित उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिनमें क़ाज़ियों ने न सिर्फ़ ज़मींदारों, बल्कि गवर्नरों और मंत्रियों के ख़िलाफ़, बल्कि स्वयं शक्ति संपन्न ख़लीफ़ा के ख़िलाफ़ ग़रीबों और मज़दूरों के हक़ में फ़ैसले दिये पर इसके बावजूद न तो किसी क़ाज़ी को उसके पद से अलग किया गया और न किसी हाकिम ने उसके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई बदले की कार्रवाई की ।

आने-जाने की पूरी आज़ादी

इस्लामी इतिहास में यूरोपीय 'किसानों के पलायन' जैसे किसी आन्दोलन का कोई अस्तित्व नहीं मिलता । इसकी वजह यह थी कि इस्लामी व्यवस्था में किसानों को न क़ेवल एक जागीर से दूसरी जागीर, बल्कि इस्लामी राज्य की फैली सीमाओं के भीतर हर कहीं बेरोक-टोक आने-जाने की पूरी आज़ादी थी । जगह बदलने में कोई शक्ति उनकी राह में रुकावट नहीं थी, हां, अगर मिस्री किसानों की तरह वह स्वयं ही किसी विशेष स्थान को न छोड़ना चाहते, तो दूसरी बात थी ।

मिस्र को छोड़कर इस्लामी जगत के लगभग सभी देशों के किसानों ने आने-जाने की इस आज़ादी से पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि वे न तो मिस्री किसानों की तरह किसी विशेष भू-भाग की मुहब्बत में गिरफ़्तार थे और न उनकी राह में यूरोपीय किसानों की तरह कोई क़ानूनी और सामाजिक पाबंदियां ही रुकावट बनी हुई थीं ।

आज़ादी का जन्मजात अधिकार

यूरोपीय जागीरदारी व्यवस्था के इतिहास के अंतिम युग में किसानों को अपनी आज़ादी क़ीमत देकर ख़रीदनी पड़ी, पर मुसलमानों के इतिहास में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती । इसकी वजह सीधी-सादी सी है और वह यह कि इस्लामी इतिहास में किसानों को कभी कृषिदास नहीं समझा गया । वे आज़ाद पैदा हुए थे और समाज में उन्हें भी वैसे ही अधिकार मिले हुए थे, जैसे किसी दूसरे वर्ग के व्यक्तियों

को । चुनांचे उन्हें यूरोपीय किसानों की तरह इस बात की कभी ज़रूरत पेश नहीं आयी कि क़ीमत देकर अपनी आज़ादी ख़रीदें ।

मुसलमान जागीरदारों का कल्याणकारी चरित्र

एक और बात, जो जागीरदारी पर वार्ता करते समय हमारे सामने रहनी चाहिए, यह है कि इतिहास के हर दौर में इस्लामी जगत में बहुत-सी छोटी और बड़ी जागीरें हमेशा पायी जाती रही हैं, जिनकी आमदनी से जागीरदार न केवल अपनी ज़िन्दगी की ज़रूरतें पूरी करते थे, बल्कि थल व समुद्री व्यापार और बहुत से उद्योगों की सरपरस्ती भी करते थे, मानो उनका वजूद समाज के हित व कल्याण का कारण था, पर इसके विपरीत यूरोप में जब जागीरदारी व्यवस्था जन्मी, तो उसकी अति उन उद्योगों और व्यापारों को भी बहा ले गया, जो पहले से वहां पायी जाती थीं । इसके बाद यूरोप पर आध्यात्मिक पतन और ज्ञानात्मक ठहराव की एक लंबी काली रात छा गयी और अंततः इस्लाम ने आकर उसे इस अंधकार और अज्ञानता से बाहर निकाला और ज्ञान-ज्योति से जगमगाया ।

इसका एक अवसर तो धर्म युद्धों ने जुटाया, जबकि पहली बार यूरोप इस्लामी जगत के क़रीब आया । दूसरा अवसर वह था जब स्पेन की धरती पर दोबारा इन दोनों का आमना-सामना हुआ । यूरोप और इस्लाम के इस संबंध से ज्ञान-विज्ञान के पुनर्जागरण आन्दोलन ने जन्म लिया, जिसके कारण यूरोप धीरे-धीरे सदियों के धार्मिक और ज्ञान-विज्ञान ठहराव से आज़ाद हुआ ।

इस्लामी देशों में जागीरदारी

तात्पर्य यह कि जब तक इस्लामी जगत में इस्लाम एक प्रभुता संपन्न शक्ति के रूप में रहा, उस वक़्त तक किसी मुस्लिम देश में जागीरदारी व्यवस्था स्थापित न हो सकी, क्योंकि अपने आध्यात्मिक और आर्थिक, साथ ही बुनियादी अक़ीदे, नियमों और सिद्धांतों में इस्लाम और जागीरदारी दोनों एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं और जब भी इस्लाम को मौक़ा मिलता है, वह उन तमाम हालात की रोकथाम करता है, जो जागीरदारी व्यवस्था के विकास तथा स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं । बनू उमैया और बनू अब्बास के शासनकाल में जिस प्रकार की जागीरदारी व्यवस्था मिलती है, इसका प्रभाव क्षेत्र अति सीमित था, इसको कोई इतनी प्रगति या लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई कि यह मुसलमानों के सामाजिक जीवन का कोई स्थायी अंग बन जाता ।

इस्लामी जगत पर पश्चिमी सभ्यता का आक्रमण

उस्मानी शासन के पतन के अंतिम युग में, कुछ जागीरदारी व्यवस्था की परछायीं पड़ती नज़र आती है, पर यह वह ज़माना था, जब मुस्लिम जनता के दिलों में इस्लामी अक़ीदे कमज़ोर पड़ चुके थे और उनके सामूहिक मामलों की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में आ गयी थी, जो केवल नाम के मुसलमान थे । ठीक उसी दौर में जब पश्चिम के ईश-विमुख, भौतिकवादी और आक्रामक सभ्यता, विजेता की शान के साथ, इस्लामी जगत में घुस आयी, तो स्थिति और भी बिगड़ गयी । इस नयी सभ्यता ने मुस्लिम देशों में सैनिक क्रांतियां कीं, उनके तमाम आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को नष्ट कर दिया, सहायता व सहयोग की भावना को ठंडा कर दिया और उसकी जगह पूंजीवादी लूट-खसोट की अति घिनौनी शक्लों को इस्लामी देशों में बढ़ावा दिया, जिसके नतीजे में यहां के ग़रीब वर्ग एक ऐसी महरूमी के शिकार हुए, जिसका सिलसिला अब तक ख़त्म होने में नहीं आ रहा ।

यह जागीरदारी व्यवस्था, जो वास्तव में यूरोप से आयात की गयी थी, कुछ मुस्लिम देशों में अब भी अपने उन तमाम गुणों के साथ मौजूद है, उसके उद्गम, यानी यूरोपीय जागीरदारी व्यवस्था के विशिष्ट गुणों का बखान किया जाता है ।

वर्तमान मुस्लिम जगत में इसकी मौजूदगी के सिलसिले में इस्लाम पर क़तई कोई ज़िम्मेदारी नहीं आती, क्योंकि न तो वह उसके जन्म का ज़िम्मेदार है और न उसके जीवन और विकास में उसका कोई हाथ है । इस्लाम पर उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इस शक्ल में आ सकती थी, जबकि इन मुस्लिम देशों में वाक़यी उसकी हुकूमत होती और उसको उनके देश के क़ानून की हैसियत हासिल होती, क्योंकि इस समय जो 'मुस्लिम' शासक इन देशों पर सत्तारूढ़ हैं, वे अपना राज-काज इस्लाम के अनुसार नहीं चला रहे, बल्कि उन संविधानों और क़ानूनों के अनुसार चला रहे हैं, जो उन्होंने विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों से मांग लिए हैं ।

लड़खड़ाता लोकतंत्र और बेबस जनता

● डॉ॰ सैयद अब्दुल बारी

लोकतंत्र एक ऐसी शब्दावली है, जिसमें अनगिनत ख़ूबियां जमा कर दी गयी हैं । इसे मानव प्रतिष्ठा का पहला पत्थर कहा जाता है । इसे स्वेच्छाचार और तानाशाही का विरोधी कहा जाता है । अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा को बहुत याद किया जाता है उन्होंने घोषणा की थी कि जिस प्रकार मैं दास बनना नहीं चाहूंगा उसी प्रकार मैं स्वामी बनना भी नहीं चाहूंगा । एक ज़ार की जगह सैकड़ों ज़ार हों और एक हिटलर की जगह सैकड़ों हिटलर हों तो लोकतंत्र का क्या लाभ ।

वाल्ट व्हाइट मैन ने कहा था, ऐ दोस्त लोकतंत्र मात्र चुनावी राजनीति और सामूहिक व्यवस्था का नाम नहीं । लोकतंत्र तभी सफल है जब यह गतिशील रहे, मानव व्यवहार में फले-फूले और मनुष्य के पारस्परिक मामलों में सहयोगी हो । जान टी रोड के अनुसार लोकतंत्र में नैतिक मूल्य आत्मा जैसा होता है । लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ समानता है, अर्थात सबको समान अवसर प्राप्त हों और क़ानून की नज़र में सब बराबर हों । लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को धर्म और विचार की आज़ादी देता है । वह मनुष्य को आलोचना करने की भी स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता वहां जाकर समाप्त हो जाती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित हो ।

पिछले अनुभवों से यह दुखद सच्चाई सामने आती है कि लोकतंत्र बहुसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक के अधिकार हनन करने का तंत्र बन जाता है और बड़ी सादगी से यह कह दिया जाता है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक की राय से हर फ़ैसला किया जाता है । लोकतंत्र शक्तिशाली वर्ग का पोषक बन जाता है । लोकतंत्र में एक परिवार बड़ी आसानी से सत्ता पर अधिकार जमाये रहता है और जनता उसी को अपना स्वामी एवं अगुआ मानती है । टैड राबर्ट गोर अपनी पुस्तक 'माइनॉरिटी एट रिस्क' में 233 अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख करता है जो लोकतंत्र के अधीन बहुसंख्यक वर्गों के पंजे में जकड़े हुए हैं । लोकतंत्र भाषा और वंश के आधार पर बने वर्गों में संघर्ष को रोकने में असफल रहता है ।

साम्यवादी चिंतक लोकतंत्र को पूंजीपतियों के साम्राज्यवाद में बदलता हुए देखते हैं । यही सच्चाई है क्योंकि सभी पश्चिमी देशों में जहां लोकतंत्र का झंडा लहरा रहा है, जनसंख्या का एक छोटा भाग पूरे देश का धन समेट रहा है और पूरी आज़ादी के साथ देश की जनता का शोषण कर रहा है । पूंजीवादी व्यवस्था बड़ी आज़ादी से लोकतंत्र की गोद में फलती-फूलती है और ग़रीब जनता को और अधिक ग़रीब बनाती है ।

लोकतंत्र के अंतर्गत भ्रष्टाचार किस प्रकार विकसित होता है इसको हम अपने देश के लोकतंत्र में देख सकते हैं । इसने देश की पूरी व्यवस्था को इतना नीचे तक पहुंचा दिया है कि गौतम अधिकारी के अनुसार कि पूरे देश को अब यह नज़र आने लगा है कि इस देश में लोकतंत्र जल्दी ही लड़खड़ा कर ध्वस्त होने वाला है । सारे नैतिक मूल्यों और भलाई-बुराई के अन्तर को जनप्रतिनिधियों ने त्याग दिया है । हद तो य है कि अब जनप्रतिनिधियों ने खुलेआम ख़रीद-बिक्री होने लगी है । जनता परेशान है लुटेरे बन चुके जनप्रतिनिधियों से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए । यही कारण है कि जनलोकपाल की बहाली की मांग चारों ओर से आने लगी है और यह मांग ज़ोर पकड़ती जा रही है ।

अब लोग कहने लगे हैं कि लोकतंत्र अपनी सभी ख़ूबियों के बावजूद जवाबदेही के एहसास से ख़ाली जनप्रतिनिधियों को हैवान बना देता है । गौतम अधिकारी "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" 25 अगस्त 2011 ई॰ में लिखते हैं-"लोकतंत्र के पतन का यह संकेत है कि इसमें भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को पहुंच जाता है और भ्रष्टाचार के कीटाणु किसी समाज में उस समय फैलते हैं जब उसके व्यक्तियों के अन्दर से, विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के अन्दर से ज़वाबदेही का डर समाप्त हो जाता है । यह जवाबदेही का डर उस समय और ग़ायब हो जाता है जब किसी देश की न्यायपालिका बोझल, मन्दगति और लापरवाह होकर रह जाए और नागरिकों को उसकी

न्याय करने की योग्यता पर भरोसा न रहे ।

स्पष्ट है कि एक ऐसे समाज में जहां किसी परम शक्ति और कठोर हिसाब लेने वाली शक्ति पर आस्था न हो और चारों ओर सेकुलरिज़्म ने लोगों को धार्मिक आस्था से वंचित कर दिया है, केवल न्यायपालिका ही एक ऐसी संस्था बचती है, जिसका कुछ डर लोगों को ग़लत काम करने से रोक सकता है । अब अगर यह संस्था भी मात्र दिखावटी होकर रह जाए तो अपनी बेक़ाबू मनेच्छाओं के गुलाम लोगों को हर प्रकार के अपराध से कौन रोक सकता है । गौतम अधिकारी का यह विचार सच्चाई पर आधारित है कि जवाबदेही का एहसास और पारदर्शिता दो स्तंभ हैं, जिन पर एक अच्छी शासनप्रणाली निर्भर होती है ।

लोकतंत्र में आज़ाद प्रेस और सूचना का अधिकार व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है, मगर कठिनाई यह है कि भ्रष्टाचार और लालच प्रेस को भी बीमार बना देता है और सूचना का अधिकार भी क्या लाभदायक होगा जब बड़े-बड़े घोटाले के अपराधियों को सज़ा न मिले । शायद यह भी लोकतंत्र की मजबूरी है कि राजनीतिज्ञ बड़े-बड़े अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का पोषण अपना दायित्व समझते हैं और उनके कारण किसी अपराधी को इबरतनाक सज़ा नहीं मिल पाती । लोकतंत्र जीवन मूल्यों से वंचित समाज में हर प्रकार के अपराध का लाइसेंस देने वाली एक संस्था बन जाती है । यह बोलने और आलोचना करने का अधिकार तो देता है, मगर मनुष्य के भीतर की पशुता को नियंत्रित करने का इसके पास कोई यंत्र नहीं होता । पश्चिम ने नैतिकता और आस्था को ठोकर मारकर यह समझा कि उन्होंने मनुष्य को हर तरह से आज़ाद बना दिया है और मानवाधिकारों की सुरक्षा बड़ी ठोस व्यवस्था कर ली है । लेकिन महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को इस पश्चिमी सोच ने जिस प्रकार अकेला कर दिया है और पारिवारिक व्यवस्था को पूरी तरह बिखेर कर रख दिया है और पूर्ण स्वतंत्रता के नाम पर जो अत्याचार किया है उसका अनुमान हम पश्चिम के समाज को क़रीब से देखकर लगा सकते हैं ।

हमारे देश में लोकतंत्र देखने में सफल नज़र आता है और हम खुश हैं कि यह व्यवस्था यहां के अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों के लिए बड़ा उपयोगी है, नहीं तो अगर यहां का बहुसंख्यक वर्ग इसे हिन्दू राष्ट्र बना देता तो शायद दूसरे धर्म के लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता । हालांकि हिन्दू राष्ट्र बना देने के बाद बहुसंख्यक वर्ग भी यहां चैन से नहीं बैठ सकता और उसे लगातार गृह युद्ध का सामना करना पड़ता । लेकिन लोकतंत्र ने यहां बहुसंख्यक वर्ग को इतने अधिकार दे दिये कि उसने हिन्दू राष्ट्र बनाने के सपने को अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन करके बड़ी हद तक पूरा कर लिया ।

वह समुदाय जो अल्पसंख्या में होने के बावजूद आज़ादी से पहले अपनी जनसंख्या के अनुपात में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक चौथाई संसाधनों से लाभांवित हो रहा थी, आज़ादी के बाद उसका अधिकार संसाधनों के केवल 2-2.5 प्रतिशत तक ही रह गया । राजनैतिक दल तरह-तरह के दिलासे देते रहे, सरकारें बदलती रहीं, देश में स्वतंत्र प्रेस और आज़ाद न्यायपालिका भी काम करती रही । नागरिकों के समान अधिकारों की बातें भी होती रहीं, लेकिन इन सबके बावजूद आबादी के एक बड़े भाग को बहुत नीचे तक ले जाने का काम भी देश की सभी संस्थाएं इसी लोकतंत्र के अंतर्गत करती रहीं । हिन्दू राष्ट्र भी इससे अधिक और क्या करता ।

अब प्रश्न यह है कि इस बेकार लोकतंत्र का इलाज क्या हो ? जनलोकपाल से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम लगेगी, लेकिन निचले स्तर पर रिश्वतख़ोरी जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है, कुछ दिनों बाद लोकपाल भी उपयोगी नहीं रह जाएगा । वह समाज को अल्लाह के डर और उसके सामने जवाबदेही और उसकी पकड़ की कल्पना से बेगाना है, अपने अन्दर जवाबदेही का एहसास कैसे ला सकेगा । इस देश के मुसलमानों में भी अल्लाह की पकड़ का एहसास ख़त्म होता जा रहा है ।

हमारे देश बंधु भी अपनी परंपरा को भुलाकर पश्चिम को ही अपना आदर्श मान लिया है । वहीं पश्चिम जिसने बहुत पहले अपनी आस्था को निजी जीवन तक सीमित कर लिया था और पूरी तरह धन की प्राप्ति और अन्य क़ौमों को दबोचने व लूटने का चलन अपना लिया था । लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए जो इलाज ज़रूरी है उसकी ओर हमारा प्रबुद्ध वर्ग ध्यान नहीं दे रहा है और तरह-तरह की उल्टी-सीधी हरकतें की जा रही हैं । आवश्यकता है कि इस बीमार लोकतंत्र के इलाज की गंभीर कोशिशें की जाएं ।

आतंकवाद और धर्म

■ डॉ॰ शेख़ सईद
गंजाम (उड़ीसा)

आतंकवाद इस समय विश्व की सबसे ज्वलंत समस्या है। इसके कारण शांति, सुरक्षा एवं सभ्यता संस्कृति के लिए भयंकर ख़तरा उत्पन्न हो गया है। आज दुनिया में भारत सहित अनेक देश आतंकवाद की इस जटिल समस्या से गंभीर रूप में ग्रस्त और पीड़ित हैं। अब तक काफ़ी तादाद में बेगुनाह व्यक्ति आतंकवाद के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं और इसके चलते देखते ही देखते लाखों-करोड़ों रुपयों की सरकारी व ग़ैर-सरकारी संपत्ति नष्ट हो चुकी है।

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आतंकवाद किसी देश में संवैधानिक ढंग से स्थापित और निर्वाचित शासन व्यवस्था का विरोधी रहा है तथा वह समाज में हिंसात्मक उपाय का सहारा लेकर ख़ौफ़, दहशतगर्दी, ख़ून-ख़राबा, लूटपाट और नरसंहार का माहौल पैदा कर अपनी मांगें पूरी करवाने का, अपनी बात मनवाने का, ज़ोर-ज़बरदस्ती का हमेशा से हामी-हिमायती रहा है तथा इसी हिंसक दर्शन का यह पोषक एवं समर्थक रहा है। हिंसा-प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, अपहरण, विमान का अपहरण, वहशीपन, दरिन्दगी और बर्बरता उसकी रग-रग में, उसके मिज़ाज में शामिल और घुली-मिली रही है। वह बैलट के बजाय बुलेट का पक्षधर है।

यह एक स्वाभाविक मनःस्थिति है। मनोविज्ञान के अनुसार उपेक्षा, शोषण और उत्पीड़न जैसी परिस्थितियों में क्षुब्धावस्था में व्यक्ति या तो समझौतावादी और भाग्यवादी हो जाता है या आत्महत्या जैसी आत्मघातक कार्रवाइयों पर उतारू हो जाता है अथवा वह हाथ में हथियार उठाकर बग़ावत पर आमादा हो जाता है। देश में आतंकवाद की समस्या को इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य की रोशनी में देखा-समझा जाना चाहिए। मगर हैरत इस बात की है कि आतंकवाद की समस्या को पैदा करने वाली परिस्थितियों पर ग़ौर न कर कभी उसका संबंध इस्लाम से, कभी मुसलमान से जोड़कर, कभी उसे विदेशी शह पर उत्पन्न बताकर हम असलियत की तरफ़ से आंख मूंदे बैठे हैं। इससे समस्या का सही व स्थायी समाधान नहीं होने वाला है।

यहां एक बात मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि आतंक फैलाने वालों की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई मज़हब नहीं होता। उनका अस्ल मज़हब तो आतंक फैलाना होता है। ख़ून-ख़राबा करना होता है। अब वह आतंकवादी मुसलमान हो, हिन्दू हो, सिख हो या कोई और हो—इसमें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। अल्लामा इक़बाल ने क्या ख़ूब कहा है—"मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।" जो व्यक्ति इस प्रकार की वहशियाना हरकतें करता है, निश्चय ही वह समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह तो पूरी मानवता पर कलंक है।

अतः आतंकवादियों को किसी मज़हब या जाति से जोड़कर देखना और प्रचारित करना सर्वथा अनुचित एवं हानिकारक है। इससे लोगों में ग़लत संदेश जाता है। जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। आतंकवादी को इस्लाम कदापि पसन्द नहीं करता। इस्लाम हमेशा संपूर्ण विश्व में शांति और सहिष्णुता क़ायम करने का प्रयास करता रहा है। आतंकवाद का धर्म से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आतंकवाद का संबंध कुत्सित भावना, हिंसा, घृणा, नफ़रत एवं दूषित विचारों से है न कि धर्म से। एक शायर के शब्दों में—

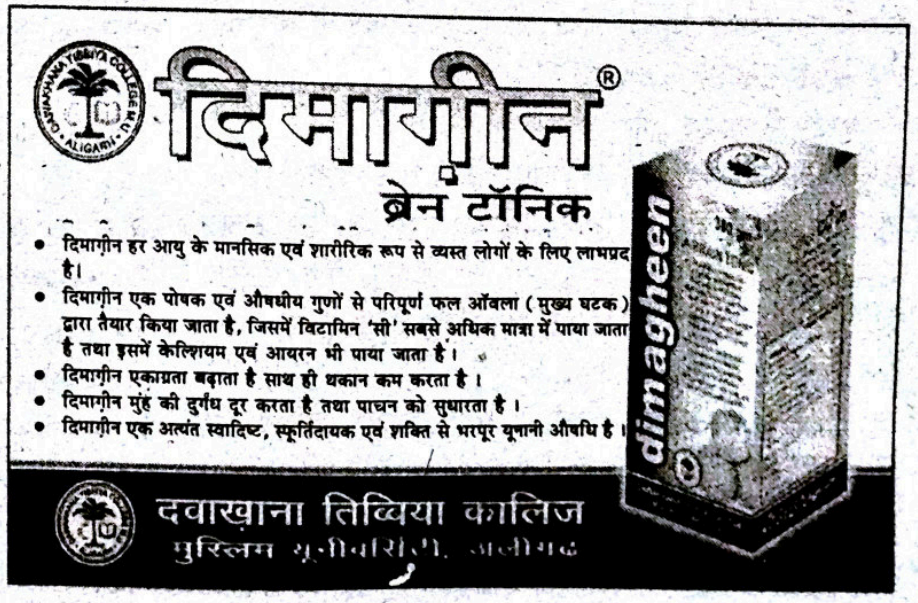

''हम आह भी करते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम
वह क़त्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होता ।

हिन्दी के शब्द 'धर्म' का उपयोग अधिकतर लोग ग़लत करते हैं । 'धर्म' अंग्रेज़ी के शब्द 'रिलीजन' का पर्याय नहीं है, 'रिलीजन' का पर्याय है–'सम्प्रदाय'। धर्म शब्द के अर्थ सम्प्रदाय से कहीं अधिक व्यापक है । इसका अर्थ कर्तव्य तथा गुण का कुछ मिला-जुला होता है । जैसे आग का धर्म है–जलाना, वायु का धर्म है–सुखाना, पानी का धर्म है–गीला करना आदि । इस शब्द में मनुष्य का कर्तव्य भी निहित है–संबंधियों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति । वस्तुत: धर्म शाश्वत होता है । मीडिया द्वारा आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा जा रहा है । क्या एल०टी०टी०ई० इस्लाम से संबंध रखते हैं ? असम,. नगालैंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्य आज नक्सलियों से जूझ रहा है । क्या वह इस्लामी आतंकवाद है ? अस्ल बात तो यह है कि इस्लाम और आतंकवाद का दूर-दूर तक भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इस्लाम का मतलब ही 'शांति' है । परंतु यह कहना सार्थक है कि ज़ुल्म, ज़्यादती, संकीर्णता और पक्षपात आतंकवाद के बीज तत्व हैं ।

सच्चाई यह है कि कोई धार्मिक व्यक्ति अमानवीय हरकतें कर ही नहीं सकता । इस्लाम और आतंकवाद एक-दूसरे के विपरीत हैं । इस्लाम का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है । इस्लाम आतंकवाद करने, यातनाएं देने और भ्रष्टाचार फैलाने की अनुमति नहीं देता । 'इस्लाम' का शाब्दिक अर्थ 'शांति' और 'अमन' है ।

अल्लाह के अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का कथन है–''संपूर्ण सृष्टि अल्लाह का परिवार है । अंत: अल्लाह को सबसे अधिक प्रिय वह है जो उसके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करे ।''

धरती में उपद्रव और फ़साद फैलाने वाले स्वार्थी तत्वों को क़ुरआन की चेतावनी है–''वह आख़िरत (परलोक) का घर तो हम उन लोगों के लिए आरक्षित कर देंगे, जो धरती में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और न बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं और परिणाम तो अंतत: डर रखने वालों ही के पक्ष में है ।'' (क़ुरआन, 28:83)

क़ुरआन में स्पष्ट लिखा है–''जिसने किसी व्यक्ति को किसी मनुष्य की हत्या का बदला लेने या धरती में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और कारण से मार डाला, उसने मानो सारे ही मानवों की हत्या कर दी और जिसने किसी के प्राण बचाये, उसने मानो सारे मानवों को जीवन दान किया ।'' (क़ुरआन, 5:32)

आतंकवाद हर लिहाज़ से निंदनीय है । इसके सभी रूपों का समापन होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद की समाप्ति के प्रयास में ख़ुद आतंकवादी नहीं बन जाना चाहिए । आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या को समाप्त करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा । आतंकवाद को शरण और साधन उपलब्ध कराने वाले देशों को वश में करना होगा । आतंकवाद के विरुद्ध नर्म रवैया अपनाने या आधे-अधूरे मन से काम करने से कुछ नहीं होगा । इसके विरुद्ध कड़ा रुख़ अपनाना होगा । आतंकवाद मानवता का शत्रु है, सभ्यता-संस्कृति का दुश्मन है । कठोर दमन, निष्पक्ष और न्यायोचित कार्रवाई से ही इस समस्या का अंत हो सकता है । यह तभी संभव है जब आतंक के दानव को अपने मक़सद में कामयाब न होने दिया जाए । किसी निरपराध की हत्या पूरी मानवता की हत्या के सदृश है । समय रहते ही ऐसी घिनौनी सोच को बदलना होगा, वरना देश आतंकवाद की आग में जलकर भस्म हो जाएगा ।

लघुकथा

गुंडे

शहर में यकायक दंगे की आग भड़क उठी । एक संप्रदाय विशेष के लोगों का क़त्लेआम किया जाने लगा । उनकी दूकानें और मकान भी लूटे और जलाये गये । क्षेत्र की क्षण-प्रतिक्षण बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रशासन को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी और दंगाइयों, गुंडों एवं बदमाशों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया । फिर भी न तो क़त्लेआम बन्द हुआ, न ही लूटपाट की घटनाओं में कोई कमी आयी । अमन-शांति की अपील भी जैसे फांसी के फंदे पर झूल गयी ।

पूरे इलाक़े को सेना के सुपुर्द कर दिया गया । चारों ओर सेना गश्त करने लगी । जिधर दंगाई दिखायी दिये, उन्हें गोली मार दी गयी । धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगी । इस आश्चर्यजनक सफलता के बारे में आम लोगों ने जानकारी प्राप्त करनी चाही । एक सेना अधिकारी ने दबे स्वर में इतना भर बताया 'दंगाई कोई और नहीं पुलिस वाले थे । लूटपाट और आग लगाने का काम करने वाले एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता और चमचे थे ।' जिसके नेता को निर्विरोध चुनाव जीतने की हार्दिक इच्छा थी, इसलिए यह दंगा कराया गया था । ● **तारिक़ असलम 'तस्नीम'**

डॉ॰ 'मानव' को कई सम्मान



साहित्य, बाल-साहित्य तथा शोध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के दृष्टिगत, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ॰ रामनिवास 'मानव' को, वर्ष-2011 का 'डॉ॰ प्रतीक मिश्र स्मृति-सम्मान' प्राप्त हुआ है । डॉ॰ प्रतीक मिश्र स्मृति शोध-संस्थान, कानपुर (उ॰प्र॰) द्वारा प्रसिद्ध इतिहासकार श्री रामकृष्ण तैलंग की अध्यक्षता में आयोजित एक भव्य राष्ट्रीय समारोह में केन्द्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जयसवाल ने शॉल, स्मृति-चिन्ह, सम्मान पत्र और ग्यारह हज़ार की नक़द राशि भेंट कर, डॉ॰ 'मानव' को सम्मानित किया । प्रख्यात साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षाविद् और समाजसेवी डॉ॰ प्रतीक मिश्र की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह सम्मान इससे पूर्व पद्मश्री डॉ॰ श्यामसिंह 'शशि' (2009) तथा डॉ॰ राष्ट्रबंधु (2010) को प्रदान किया जा चुका है ।

इस अवसर पर संस्थान के तत्वावधान में 'कविता की शाम : डॉ॰ 'मानव के नाम' कार्यक्रम भी आयोजित किया गया ।

उल्लेखनीय है कि चालीस महत्वपूर्ण साहित्यिक पुस्तकों के लेखक-संपादक डॉ॰ 'मानव' को देश-विदेश से शताधिक पुरस्कार, सम्मान और मानद उपाधियां प्राप्त हो चुकी हैं तथा इनके साहित्य पर चौवालीस बार एम॰फिल और आठ बार पी॰एच॰डी॰ हो चुकी है । इसके अतिरिक्त विश्व की अड़सठ भाषाओं में इनकी विविध रचनाओं का अनुवाद भी हो चुका है तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में इनकी अनेक रचनाएं भी शामिल की जा चुकी हैं ।

एक अन्य समारोह में साहित्य-सेवा तथा भारत-नेपाल साहित्यिक सद्भाव के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के दृष्टिगत वरिष्ठ साहित्यकार डॉ॰ रामनिवास 'मानव' को नेपाल में सम्मानित किया गया है । भीमनगर स्थित पंच सितारा होटल 'ओपेरा इंटरनेशनल' में आयोजित भव्य नेपाल-भारत साहित्यकार-मिलन समारोह में महाकाली साहित्य-संगम, नेपाल की केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष तथा नेपाली भाषा के विख्यात साहित्यकार वीरबहादुरचन्द 'विश्राम' ने नेपाली गौरव की प्रतीक टोपी, साहित्य, स्मृति चिन्ह तथा सम्मान पत्र भेंट कर डॉ॰ 'मानव' को सम्मानित किया । समारोह में मुख्य अतिथि का गौरव भी डॉ॰ 'मानव' को प्राप्त हुआ ।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व खटीमा (उत्तराखंड) में आयोजित एक अन्य समारोह में भी डॉ॰ 'मानव' को 'कमल रस्तोगी समग्र बाल-साहित्य सम्मान-2011' प्रदान किया गया । उत्तराखंड भाषा-संस्थान की निदेशक डॉ॰ सविता मोहन, उत्तर प्रदेश हिन्दी-संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ॰ विनोदचन्द्र पाण्डेय तथा वरिष्ठ हिन्दी-कहानीकार नासिरा शर्मा ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया ।

Prop : Abid Hussain
09413037652
09252235194

Shop : Mujahid Hussain
09214747172

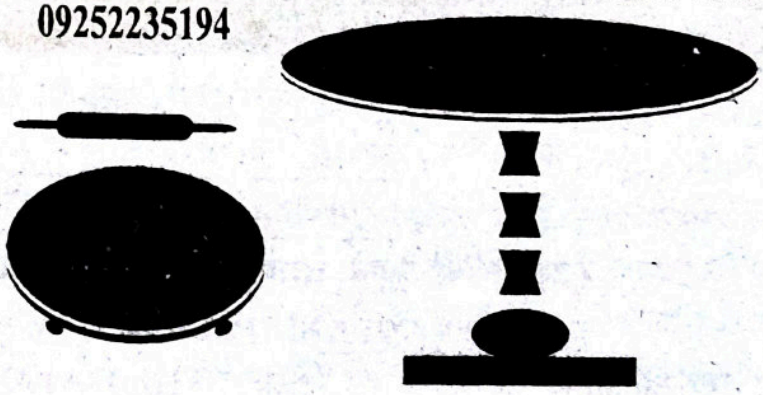

कान्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट

सभी प्रकार के वन पीस और ज्वाइंट पीस चकलों के निर्माता व थोक विक्रेता, मार्बल के फव्वारे तथा टेबल, टेलीफ़ोन स्टेंड, नोजल लैंप, गमले, घड़ी व फैंसी आइटम

Shop : Hotel Moti Mahal, Manglana Road, Makrana-341505
Fact : Bypass Mor, Opp : Sai Kirpa Petrol Pump, Makrana Road, Borawad (Raj.)

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

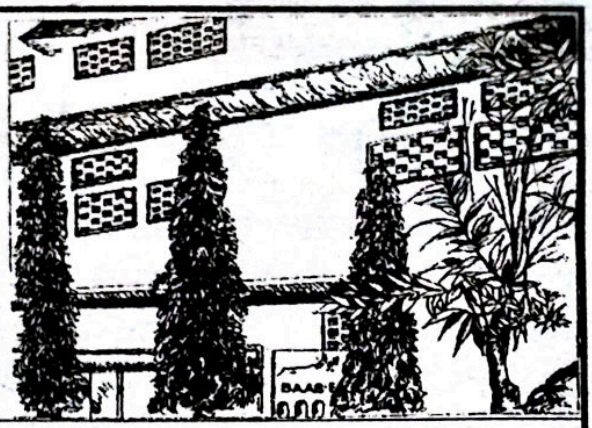

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 25 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई० से 2011 ई० तक 66 अनाथ बच्चियों और 41 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 20 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 12,000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 90,000/- रुपये ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, ☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

इस्लाम में अंधभक्ति नहीं

■ डॉ॰ आइशा अब्दुल्लाह

मेरा नाम डॉ॰ आइशा अब्दुल्लाह है । मेरा पुराना नाम चन्द्रा लीला था । मैं बंगलूरू के एक हिन्दू परिवार में पैदा हुई, लेकिन मेरे पिता ने मुझे हिन्दू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि मेरे पिता कभी किसी मंदिर में जाते ही नहीं थे । फिर भी वे नियम का पालन करने वाले व्यक्ति थे । मैंने कभी उनको झूठ बोलते हुए नहीं सुना । निस्संदेह उनके नैतिक चरित्र का प्रभाव मेरे व्यक्तित्व पर पड़ा । मेरी माता नियमित रूप से मंदिरों में जाती थीं और मैं भी कभी-कभी उनके साथ वहां चली जाती थी । विशेष रूप से परीक्षाओं के दिनों में मैं मंदिर अधिक जाने लगती थी और मेरी मां को नारियलों और अगरबत्तियों पर बहुत कुछ ख़र्च करना पड़ता था ।

मेरा मानना है कि प्राय: हिन्दुओं में मूर्तियों की पूजा का संबंध मात्र परंपराओं से बंधा हुआ है और धार्मिक आस्थाएं पारस्परिक और सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी हैं । शताब्दियों से लोग बिना सोचे समझे इन परंपराओं का पालन करते चले आ रहे हैं और यह लोगों का स्वभाव बन गया है, जिस पर विचार करने को कम ही लोग तैयार होते हैं ।

उदाहरणस्वरूप स्कूल के समय में मैंने रामायण और महाभारत पढ़ी थी । उनमें कुछ नैतिक शिक्षाएं भी हैं और ये रोचक भी हैं लेकिन उनमें ऐसी घटनाएं भी हैं, जिन पर कोई नासमझ छोटी बच्ची भी विश्वास नहीं कर सकती । जैसे यह कि रावण के दस सिर थे और कृष्ण जी महाराज की सोलह हज़ार पत्नियां थीं । मैं इस बारे में बड़े-बूढ़ों से पूछती कि ये कहानियां कहां तक सत्य हैं, किंतु कोई भी उत्तर नहीं देता । सब मुझे चुप रहने को ही कहते । अधिक कुरेदती तो डांट पड़ती । मैंने अनुमान लगा लिया कि स्वयं बड़े-बूढ़ों का मस्तिष्क भी इन प्रश्नों के विषय में साफ़ नहीं है ।

हिन्दू धर्म में उपास्यों की अधिकता ने भी मुझे परेशान किया । मैं जब भी इस पर ध्यान देती उलझ कर रह जाती, लेकिन डांट के डर से सवाल नहीं करती । इस परिस्थिति का परिणाम अंतत: यह हुआ कि धर्म पर से मेरा विश्वास उठ गया । यह उस समय था जब मैं प्री मेडिकल की छात्रा थी । डारविन का विकास का सिद्धांत कोर्स में था । मैं उससे बहुत प्रभावित हुई और सभी उपास्यों की इन्कारी हो गयी । अत: अगले कई वर्षों तक मैं पूर्णरूप से नास्तिक बनी रही । इसी बीच मैं अपने एक मुस्लिम साथी छात्र के संपर्क में आयी । हमारी घनिष्ठता इतनी बढ़ी कि हमने विवाह कर लिया, चूंकि मेरे लिए धर्म का कोई महत्व नहीं था, इसलिए मैंने इसकी परवाह ही नहीं की कि वह किस धर्म से संबंध रखता है । मेरे इस मुस्लिम सहपाठी डॉ॰ ज़ियाउल हक़ ने मुझे अपनी मां से मिलने का सुझाव दिया । उनकी मां लतीफुन्निसा एक आलिमा थीं ।

वे मुझ से बड़ी ही मुहब्बत और अपनत्व के साथ मिलीं और ठोस और अकाट्य प्रमाणों से एक महीने के भीतर ही मेरे मस्तिष्क के सारे कांटे निकाल दिये । उन्होंने मुझे इस्लाम की बहुत-सी शिक्षाओं से अवगत कराया और इस्लाम की उपयोगिताओं से परिचित कराया । मैंने जो प्रश्न किया, जैसी भी आपत्ति जतायी, उन्होंने बड़े स्नेह से उसका उत्तर दिया और मेरे संदेहों और भ्रमों को दूर किया । वे प्रत्येक सप्ताह दो विभिन्न स्थानों पर कुरआन की शिक्षाएं देती थीं और दोनों स्थानों पर मुझे बुलाती थीं । वे बस्ती-बस्ती घूमती थीं, किसी बस स्टॉप पर खड़ी हो जातीं या किसी पेड़ के नीचे ठहर जातीं । पास से जो भी बुर्क़े वाली महिला गुज़रती उसे रोक लेतीं और बड़े प्रेम के साथ उसे इस्लाम के आदेश और निषेध से अवगत करातीं । बुर्क़े वाली होने का अर्थ यह होता कि वह महिला मुसलमान है । लतीफुन्निसा के ध्यान का केन्द्र केवल मुस्लिम महिलाएं ही होतीं । उनका विचार था कि अगर मुसलमान महिलाएं वास्तविक अर्थों में इस्लामी शिक्षाओं को अपना लें तो इस्लाम को फैलने से कोई नहीं रोक सकता है । कुछ महिलाएं हमें अपने घरों में भी बुलातीं ताकि वहां बहुत-सी दूसरी महिलाओं तक भी दीन की बातें पहुंच जाएं ।

मैं लतीफुन्निसा के चरित्र, प्रेम और दीन के लिए उनके

अथक प्रयासों से बहुत प्रभावित हुई और अंतत: दिसम्बर 1973 ई॰ में मैं मुसलमान हो गयी । मैं अल्लाह की कृपा से मुसलमान तो हो गयी, लेकिन मैंने इसको गुप्त ही रखा, क्योंकि अगर मैं यह बात सबको बता देती तो मेरा सामाजिक बायकाट कर दिया जाता ।

जैसे-जैसे मैं मानसिक रूप से इस्लाम के निकट होती गयी और इबादतों में परिपक्व होती गयी, मेरा डर कम होता गया । मेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता गया कि मेरी प्रत्येक आस्था और कर्म के साथ प्रमाण मौजूद है । मेरा विश्वास पक्का हो गया कि कुरआन अल्लाह की किताब है । मेरी आत्मा यह सोचकर संतुष्ट हो गयी कि सैकड़ों देवताओं के बजाय एक अल्लाह की रहमत जिसका न कोई साझी है और न कोई समकक्षी की छांव में शरण ले ली है, अल्लाह के एक होने की आस्था निश्चित रूप से वह सबसे बड़ा उपहार है, जो इस्लाम ने मुझे प्रदान किया । मैं कितनी भाग्यवती हूं कि अपने पालनहार से प्रत्यक्ष संपर्क कर सकती हूं । उससे संपर्क के लिए अब न किसी पुरोहित-पंडित की आवश्यकता है, न नारियल उठाने की, न मंदिर में फूल ले जाने की । मैं बहुत प्रसन्न हूं कि इस्लाम में अंधभक्ति नहीं है । अब मैं बाहर जाती हूं या किसी यात्रा पर जाने की आवश्यकता पड़ती है तो किसी विशेष घड़ी या दिन की प्रतीक्षा नहीं करती । अब हमारे चारों ओर निराधार और हास्यस्पद रस्मों और आस्थाओं का कोई जाल नहीं है । इस्लाम इस प्रकार की सभी जकड़नों से स्वतंत्र है ।

इस्लाम में महिला प्रत्येक दृष्टि से पवित्रता और सम्मान की पात्र है । विशेष रूप से विधवा महिलाओं के साथ विशेष शुभेच्छा सहानुभूति और हितैषिता का व्यवहार किया जाता है । जबकि मैं जिस समाज से आयी हूं वहां स्थिति इसके विपरीत है । वहां विधवाओं को अशुभ समझा जाता है और उन्हें घृणा और तिरस्कार के अंगारों पर अपना जीवन बिताना पड़ता है । मुझे इस्लाम में इबादत की सादगी और एकरूपता ने भी बहुत प्रभावित किया । हर वह व्यक्ति जो इस्लाम का पवित्र कलिमा पढ़ लेता है अर्थात इस्लाम क़बूल कर लेता है, वह भाईचारे के मज़बूत बंधन में बंध जाता है और रंग, वंश आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर एक ही पंक्ति में खड़े होकर एक ही ओर मुंह करके इबादत करने लगता है ।

इस्लाम में आने से पूर्व मुझे बराबरी की यह हैसियत प्राप्त नहीं थी, इसके बावजूद कि मैं एक मान्यता प्राप्त डॉक्टर थी, मेडिकल साइंस की सबसे ऊंची डिग्री रखती थी, लेकिन सामाजिक आधार पर श्रेष्ठ नहीं थी । हिन्दू समाज में आज भी यह दृश्य नज़र आता है कि एक उदार हृदय वाला और दयालु ब्राह्मण भी कमतर जाति के हिन्दू को अपने बर्तन में पानी पीने की अनुमति कदापि नहीं देता है । इसी प्रकार केवल ब्राह्मण ही पुजारी बनने का सम्मान प्राप्त करता है, दूसरी जाति के हिन्दुओं को इसके योग्य नहीं समझा जाता ।

लघुकथा

क़द

राधा की हालत आज कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गयी थी । काफ़ी दवा करने के उपरांत भी उसकी बेहोशी नहीं टूट रही थी । राधा को इस हालत में देखकर उसका पति गोपी बुरी तरह घबरा उठा और वह रिक्शा लेकर तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा ।

डॉक्टर को लेकर जब गोपी अपने घर पहुंचा तब तक राधा अंतिम सांस ले चुकी थी । उसके बच्चे बिलख-बिलख् कर रो रहे थे । मुहल्ले के लोग सहायता के लिए दौड़ पड़े । पत्नी की मौत सुनकर गोपी सन्न रह गया था । वह अपलक अपनी मृत पत्नी की ओर देखे जा रहा था । तभी डॉक्टर के शब्द उसके कानों से टकराये–"गोपी ! जो होना था सो हो चुका है । मौत के आगे किसी का वश नहीं चला है । अब मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचना है । आप मुझे मेरी फ़ीस के सौ रुपये दे दीजिए ।"

गोपी ने अपनी जेब से सौ रुपये का नोट निकाल कर डॉक्टर को पकड़ा दिया और जब वह दस रुपये का नोट रिक्शा चालक को देने लगा तो उसने लेने से इन्कार कर दिया । उसने गोपी के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना भरे स्वर में कहा–"नहीं भाई ! मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है । इसे अपने पास रखो । अब इसकी मुझ से ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी । अपने बच्चों को संभालो और पत्नी का अंतिम संस्कार करो ।"

इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उसका गला भर आया था । फिर वह डॉक्टर को रिक्शे में बैठाकर अस्पताल की तरफ़ चल पड़ा था । रिक्शा में बैठा डॉक्टर जब आत्म-मंथन करने लगा तो उसे रिक्शा चालक का क़द अपने से कहीं ज़्यादा ऊंचा लगने लगा था ।

● **रोहित यादव**

क्यों न लगे मीडिया पर लगाम ?

❖ सी॰ के॰ रहमानी

कहावत है कि 'सच कड़वा होता है'। अगर कोई चोर को चोर कह दे तो वह मरने मारने को तैयार हो जाता है। हालांकि वह कोई ग़लत नहीं बल्कि सच बात कह रहा है लेकिन इसके बाद भी.वह राशन पानी लेकर चढ़ जाएगा। पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनते ही अनियंत्रित मीडिया पर लगाम लगाने की बात क्या कही कि लगभग पूरा पत्रकार समुदाय उन पर उबल पड़ा। परोक्ष रूप से उन्होंने चेतावनी भी दे डाली कि जिन लोगों के साथ तीन साल काम करना है उनके ख़िलाफ़ ऐसा बयान क्यों और कैसे दे दिया। महान पत्रकार यह मानने को तैयार ही नहीं कि मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहा है। जैसा कि पत्रकार हमेशा से कहते आये हैं सो इस बार भी कह रहे हैं कि यह प्रेस की आज़ादी पर ख़तरा है।

क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि पत्रकार की विश्वसनीयता निम्न स्तर जा पहुंची है। क्या इसरो नकारा जा सकता है कि आम आदमी पत्रकार पर 'बिकने' का भी आरोप लगाता है। क्या 'बिकने' की बात और अविश्वसनीयता यूं ही पैदा हो गयी है ?

यह ठीक है कि मीडिया सरकार और व्यवस्था की ख़ामियों को जनता के सामने लाता है। नेताओं के घोटालों का भंडाफोड़ करता है। जनता की परेशानियों को सामने लाता है वह तानाशाही और मनमानी के ख़िलाफ़ लोगों को सचेत करता है। उसके तमाम काम ऐसे हैं जिनसे लोकतंत्र को बनाये रखने में मदद मिलती है। लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी से मुंह चुराता है। वह अतिरंजना का शिकार हो जाता है। कभी-कभी ही नहीं अधिकतर वह एक पक्षीय हो जाता है। कई बार वह वकील तो कभी जज बन जाता है। जब मीडिया किसी के ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो ऐसे लगने लगता है कि जैसे उसकी पर्सनल दुश्मनी है और जब वह उसके समर्थन में आता है तो उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है। वह तथ्य नहीं बल्कि भावावेश में आकर अतिरेक का शिकार हो जाता है यह भी भूल जाता है कि उसकी रिपोर्टिंग से समाज में विघटन बढ़ेगा। यह

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

I. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.

2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.

3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.

4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the society

(Q. Hoda)
Chairman

(Prof. M. B. Zaman)
Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

कौन-सी पत्रकारिता का मानदंड है ?

बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है । बाबा रामदेव का अनशन और अन्ना का आन्दोलन हमारे सामने है । जब बाबा रामदेव अनशन पर बैठे तो मीडिया ने उन्हें सिर माथे पर बैठा लिया । 24 घंटे सिर्फ़ उनकी रिपोर्टिंग और उन पर ही चर्चा रहती थी । फिर न जाने क्या हुआ कि उनमें कमियां नज़र आने लगीं । कुछ समय बाद उनका अता-पता नहीं रहा । इसी तरह अन्ना आन्दोलन के साथ हुआ । 12 दिन तक हर चैनल और हर अख़बार में अन्ना थे । टीम के सदस्यों पर आरोप उछलने लगे । यह बात मीडिया का एक पक्षीय रूप उजागर करती है ।

यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि जैसी ख़बर मिली वैसी परोसते रहे । यानी अपनी तरफ़ से कोई खोजबीन नहीं की क्योंकि गला काट स्पर्धा में कोई भी चैनल पीछे नहीं रहना चाहता था । उसके पास खोजबीन के लिए कोई समय ही नहीं होता । क्या इस सच्चाई से मुकरा जा सकता है कि जब भी कोई विस्फोट होता है तो ख़बर इस तरह पेश की जाती है कि यह कांड मुसलमानों ने किया है । बिना जांच-पड़ताल के कह दिया जाता है कि अमुक मुस्लिम संगठन ने इस विस्फोट या कांड की ज़िम्मेदारी ली है । मालेगांव और जयपुर विस्फोट जैसे कई हादसे हमारे सामने हैं जिनका नतीजे कुछ और ही निकला । यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि मीडिया ने हिन्दू मुसलमानों के बीच दूसरी बढ़ाने का काम किया है । एक वर्ग विशेष को इस तरह पेश किया जाता है मानों वह शत्रु देश के लोग हों ।

चैनल शाही शादियां लाइव दिखाते हैं,- उसकी क्या ज़रूरत है ? उन शादियों से लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी ? उनसे आम आदमी का क्या सरोकार ? उलटे ग़रीब आदमी उसे देखकर डिप्रेशन में आता है क्योंकि वैसा वह अपने जीवन में कर नहीं पाता । ज्योतिष और कर्मकांड पर उसका पूरा ज़ोर रहता है । रात भर ज्योतिष और कर्मकांड दिखाये जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि अमुक यंत्र या ताबीज लेने से सब काम सिद्ध हो गये । क्रिकेट को ऐसे देखा और दिखाया जाता है मानों देश की सबसे बड़ी समस्या यही है । ग़रीबी, अशिक्षा, बेकारी, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, पानी, सड़कें जैसी मूलभूत ज़रूरतें क्रिकेट के मुक़ाबले पीछे हैं । यहां यह भोंडा तर्क भी दिया जा सकता है कि जनता जो देखना चाहती उसे हम दिखाते हैं ।

मीडिया ने बहुत बार सीमा को लांघा है लेकिन उसके ख़िलाफ़ क्या हुआ ? प्रेस परिषद बिना दांतों का शेर है । उसके होने या न होने का क्या लाभ या हानि है ?

तो क्या सब पत्रकार ऐसे ही हैं ? क्या सब चैनल यही कर रहे हैं ? नहीं, अपवाद सब जगह होते हैं सो पत्रकारों और चैनलों में भी है । एक चैनल ऐसा भी है जिसकी ख़बर पर भरोसा किया जा सकता है । वह खुद को भीड़ से खुद को कितना अलग रख पाता है, यह बात अलग है लेकिन वह अलग रखने की कोशिश ज़रूर करता रहता है । इसी तरह दो विदेशी चैनल ऐसे हैं जिस पर जानकारी भरे कार्यक्रम ही दिखाये जाते हैं । इन चैनलों पर भाषा की कोई समस्या नहीं । हिन्दी से लेकर लगभग हर भारतीय भाषा में कार्यक्रम डब हैं । ऐसे में अगर मीडिया पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है तो इसमें बुरा क्या है ? अनियंत्रित मीडिया को भी जवाबदेह होना ही चाहिए । इससे उसकी अतिरंजना पर लगाम लगेगी । भारतीय प्रेस परिषद को दंड देने का अधिकार मिलना ही चाहिए ।

लघुकथा

आजकल

सवेरे-सवेरे उस बिल्डिंग का नौकर कूड़ेदान में ढेर सारा जूठन फेंक गया । हमेशा की तरह वहां प्रतीक्षारत नंगे-अधनंगे बच्चे खिचड़ीनुमा जूठन पर टूट पड़े । वे सभी अधिक से अधिक भोजन पेट में उतार लेना चाहते थे । चन्द मिनटों बाद ही वहां कुछ भी शेष नहीं रह गया था । अब वे एक बार फिर ललचाई नज़रों से उसी बिल्डिंग की ओर देख रहे थे ।

अचानक उनकी दृष्टि एक चमचमाती कार पर पड़ी जो इधर ही आ रही थी, जिसकी पिछली सीट पर एक ख़ूबसूरत-सा कुत्ता अपने अगले दोनों पैरों के बीच सलाईस ब्रेड का एक मोटा टुकड़ा दबाये हुए बैठा था । जिस पर चार वर्षीय दीनू की नज़र पड़ी तो वह रोने लगा, उसे अपनी तेज़ होती भूख का एहसास हुआ ।

उसे रोता देखकर कुत्ता न जाने क्या सोचकर गुर्राया, ब्रेड का टुकड़ा खिड़की से बाहर गिर गया । वह ज़ोर-ज़ोर से भौंकने लगा । कार रुक गयी । एक मोटे आदमी का सिर बाहर निकला, उसने दीनू से ही कहा–'देखता क्या है उसे उठाकर इधर ला...लेकर भागा तो गोली मार दूंगा ।'

● **डॉ॰ तारिक़ असलम 'तस्नीम'**

न्यायतंत्र से घटता विश्वास : एक गंभीर चुनौती

■ मुहम्मद सलीम इंजीनियर

किसी भी देश और समाज की मज़बूती, उसका प्रगति और समृद्धि की राहों पर आगे बढ़ना अन्य चीज़ों के अलावा इस बात पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि उसकी न्याय व्यवस्था में वहां के आम लोगों का ख़ासतौर पर कमज़ोर और ग़रीबों का विश्वास कितना मज़बूत है । आम नागरिकों में न्याय व्यवस्था के मज़बूत विश्वास के लिए ज़रूरी है कि–

(1) आम आदमी की न्याय की संस्थाओं तक पहुंच आसान हो ।

(2) न्याय बिना किसी आर्थिक बोझ के उपलब्ध हो ।

(3) न्याय जल्द एवं त्वरित हो ।

(4) न्याय पक्षपात रहित हो ।

(5) न्याय का निर्णय होने के बाद बिना किसी देरी के उस पर अमल हो ।

इन मापदंडों को सामने रखकर हम अपने देश में न्याय व्यवस्था का ईमानदारी से जायज़ा लें तो निराशा का पहलू आशा के पहलू के मुक़ाबले में बहुत भारी नज़र आता है । यह हम सब देशवासियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है । किसी देश व समाज की न्याय व्यवस्था ही वह अंतिम सहारा होती है । जब समाज के दूसरे अहम हिस्से, सरकार, प्रशासन एवं पुलिस से जब न्याय की उम्मीद बाक़ी न रहे तब पीड़ित इन्सान न्याय की इन गरिमामयी संस्थाओं की तरफ़ जाने के लिए मजबूर होता है ।

लगभग 65 साल के आज़ाद भारत के इतिहास पर हम नज़र डालें तो कई मैदानों में हमने बहुत तरक़्क़ी की है और कई पहलुओं से देश बहुत आगे भी बढ़ा है और मज़बूत भी हुआ है, हालांकि इस प्रगति, तरक़्क़ी और मज़बूती का लाभ और प्रभाव आम भारतीय के हिस्से में अभी नहीं आया है । जहां तक कमज़ोर व्यक्ति, कमज़ोर वर्ग के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के अन्याय व अत्याचार का सवाल है उसमें कमी आने के बजाय, इसमें तेज़ी से वृद्धि ही होती जा रही है । यह हम सब देशवासियों के लिए गहरी चिंता का विषय है । देश व समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार व शोषण सिर्फ़ पीड़ितों ही को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उससे शोषक और अत्याचारी भी बुरी तरह प्रभावित होता है मगर उसे उसका आभास नहीं होता बल्कि वह उसे अपनी सफलता और वर्चस्व समझकर उससे उसी तरह आनंदित होता है, जिस तरह चरस या स्मैक का नशा करने वाला होता है । अन्याय व अत्याचार समाज में आपस में नफ़रत और द्वेष को बढ़ाता है जो देश व समाज को हर लिहाज़ से कमज़ोर करता है । इस तरह की परिस्थितियां हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं ।

देश व समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार व शोषण सिर्फ़ पीड़ितों ही को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उससे शोषक और अत्याचारी भी बुरी तरह प्रभावित होता है मगर उसे उसका आभास नहीं होता बल्कि वह उसे अपनी सफलता और वर्चस्व समझकर उससे उसी तरह आनंदित होता है, जिस तरह चरस या स्मैक का नशा करने वाला होता है । अन्याय व अत्याचार समाज में आपस में नफ़रत और द्वेष को बढ़ाता है जो देश व समाज को हर लिहाज़ से कमज़ोर करता है । इस तरह की परिस्थितियां हमारे देश में बढ़ती जा रही है ।

पीड़ित को अगर तुरंत न्याय मिल जाए और अपराधी को जल्द सज़ाएं मिलने लगें तो अपराधियों और अत्याचारियों के हौसले पस्त होते हैं, और अपराधों का रास्ता रुकता है, लेकिन जो आज हमारे देश में इसके विपरीत स्थितियां आम हो रही हैं उससे अपराधी का अहंकार बढ़ रहा है, वह क़ानून व न्याय व्यवस्था का उपहास कर रहा है, उसे लगातार

अपराध करने और सज़ा न मिलने की वजह से यह विश्वास हो गया है वह क़ानून की गिरफ़्त में नहीं आएगा, और आ भी गया तो, धन व राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से वह अपना कोई नुक़सान नहीं होने देगा । यह स्थिति पीड़ित में और अधिक असुरक्षा की भावना पैदा करती है और यह मजबूरी अन्दर ही अन्दर नफ़रत का लावा भड़काती रहती है । अपराधी और पीड़ित अगर सिर्फ़ व्यक्ति हों तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं हैं, मगर अपराध, अन्याय व शोषण अगर संगठित होकर, योजना और षड्यंत्र रचकर किये जाएं और पीड़ित भी वर्ग और समूह हों तो स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं और आज़ादी के बाद से ऐसी स्थितियां हमारे देश में बढ़ती ही जा रही हैं ।

ऐसी संगीन परिस्थितियों में जब अन्याय व अपराध करने वाले संगठित वर्ग व समूह हो जाएं और वे अपने अपराध व अन्याय को वैचारिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक व धार्मिक आधार भी प्रदान कर दें, तो सरकारें, प्रशासनिक ढांचा, क़ानून व्यवस्था के ज़िम्मेदार तंत्र और न्याय तंत्र भी अपने आपको कमज़ोर व असहाय महसूस करता है स्थितियां और ज़्यादा गंभीर और विस्फोटक हो जाती हैं, जब इन व्यवस्थाओं में भी दुर्भावना अन्याय और शोषण की मानसिकता के तत्व मौजूद हों । ऐसी स्थिति में पीड़ितों और न्याय के बीच फ़ासले लंबे होते चले जाते हैं और न्याय एक असंभव से क़रीब की चीज़ बन जाता है । ऐसी स्थितियां देश को अराजकता और गुलामी के रास्ते पर धकेलती चली जाती हैं ।

भारत विभाजन के साथ मिली आज़ादी और उस वक़्त का साम्प्रदायिक हिंसा के ज़ख़्म अब तक हम सबको विचलित करते रहते हैं, अब तक देश में हुए तक़रीबन 30 हज़ार से ज़्यादा साम्प्रदायिक दंगों में लगभग एक तरफ़ा तौर पर मुस्लिम समुदाय का जानी व माली नुक़सान व उसके नतीजे में पैदा हुई मानसिक पीड़ा का आकलन करना भी मुश्किल है, ये बुरी यादें एक दुस्वप्न की तरह हमें पीड़ित व भयभीत करती रहती है, मगर उससे ज़्यादा अफ़सोसनाक व निराशाजनक पहलू यह है कि इन घटनाओं में अभी तक पीड़ितों को न्याय मिला, न ही अपराधियों और षड्यंत्रकारियों को सज़ा और अब तो उसकी उम्मीद करना भी अपराध-सा महसूस होता है । विशेष रूप से मेरठ, मलियाना व भागलपुर की नियोजित हिंसा कुछ डरावने उदाहरण हैं । इन्साफ़ की



बात तो बहुत दूर की है आज तक सरकार को मुसलमानों से माफ़ी तक मांगने की प्रेरणा और हिम्मत नहीं हुई ।

1984 के सिख विरोधी दंगे देश के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है, आज तक हज़ारों पीड़ित परिवार न्याय के लिए तरस रहे हैं, सरकार ने सार्वजनिक तौर पर सिख समुदाय से माफ़ी मांगने में भी 20 साल से ज़्यादा लगाये, कुछ दबाव में आकर आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की, सिख समुदाय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बना दिये गये मगर ये सब चीज़ें न्याय का बदल नहीं हो सकतीं, मगर अफ़सोस की बात तो यह है कि मुस्लिम समुदाय पर हुए हमलों के लिए सरकार इतना भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पायी, सरकारों के ये दोहरे पैमाने देश के लिए बहुत घातक हैं ।

अभी बाबरी मस्जिद की शहादत की 19वीं बरसी गुज़री है, हमारी न्याय व्यवस्था का पूरी दुनिया में मज़ाक़ बन रहा है इस फ़ासिस्ट हमले ने हमारे देश का सर शर्म से झुका दिया, सब जानते हैं सच क्या है, सरकारें न्यायालय, राजनीतिक पार्टियां और स्वयं अपराधी भी जानते हैं, इन्साफ़ की बात क्या है, मगर इस मामले में इन्साफ़ राजनीति का गुलाम बना हुआ है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, लोगों को उद्वेलित कर उनका नेतृत्व करने वाले सब के सामने हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं अपने इस काले कारनामों को महिमामंडित कर रहे हैं और इसके आधार पर देश व समाज को बांटकर देश के उच्चतम पदों पर पहुंचने के स्वप्न भी देख रहे हैं, हमें विश्वास और ईश्वर से आशा है कि उनका यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा और ईश्वर हमारे देश की रक्षा करेगा ।

पर्यावरण संकट से निबटें

■ अक्षय कुमार झा 'सत्य'
भागलपुर (बिहार)

दुनिया में मानवाधिकार, लोकतंत्र और मुक्त बाज़ार न सिर्फ़ अग्रणी है, बल्कि बड़े-बड़े देशों में काले बादल बनकर मंडरा रहे हैं । बड़े पैमाने पर शक्तिशाली लोग संस्थाएं और औद्योगिक लोगों ने अनुशासन और दबाव को बेअसर कर दिया । रही बात मानवाधिकार की जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1948 में मानाधिकारों की वैश्विक घोषणा की थी । जिसका भरपूर उपयोग अमेरिका ने ही किया । अगर धारा-25 को देखें तो ''हरेक को ख़ुद के लिए और अपने स्वास्थ्य रहने के लिए उचित जीवन स्तर रखने का अधिकार है । जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, दवा और ज़रूरी सामाजिक सेवा शामिल है । इसमें बेरोज़गारी, अपंगता, बुढ़ापा या अन्यथा रोज़ी-रोटी का साधन न होने पर सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है ।''

लेकिन क्या हम अभी सुरक्षित हैं ? अगर सुरक्षा की बात करें तो ये बात उचित नहीं है । क्योंकि सबसे पहले हमें सुरक्षित रहने के लिए अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना नितांत आवश्यक है । जिससे हमारा ''पर्यावरण विकट संकट में'' अधमरा-सा पड़ा न रहे । इसका छोटा-सा उदाहरण ''पानी और हवा'' है । अगर पानी की बात करें तो देखें इसमें क्या-क्या अवांछनीय पदार्थ मिला है । कुछ साल पहले मीडिया में आयी एक ख़बर के अनुसार एक पुरानी जंगी फ्रांसीसी जहाज़ ''क्लीमेंस्यू'' को भारतीय समुद्र तट पर तोड़ने (डिसमैंटल) के लिए श्रीराम बेसल्स कंपनी ने मंगाया था । जो गुजरात के अलंग क़स्बे में डिसमैंटल एवं रीसाइक्लिंग करने वाली यार्ड में जाने की योजना थी । जिसमें सात से आठ सौ टन जानलेवा विशाक्त रसायन होने की संभावना थी । जो मनुष्य के शरीर और पर्यावरण के लिए विनाशकारी है । ''ग्रीनपीस'' नामक अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थान के कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से भारत आने पर आन्दोलन छेड़ा गया । बाद में फ्रांस की सरकार ने इसे वापस बुला लिया। वैसे जहाज़ वापस तो चला गया परंतु डिस्मैंटलिंग एवं स्क्रैप के व्यावसाय से जुड़ी हक़ीक़त दिखा गया जिससे देश की जनता अनजान थी । मानवाधिकार की दुहाई देने वाले विकसित देशों द्वारा मानवाधिकार हनन की ऐसी मिसालें देखी जा सकती है जहां ज़हरीले धातु के टुकड़ों के बीच अपनी रोज़ी-रोटी तलाशते मज़दूरों के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हर नियम-क़ानून बेमानी एवं निरर्थक साबित होते हैं । केन्द्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय ने एन०ई०पी० का प्रारूप अगस्त 2004 में आम लोगों के सुझाव जानने के लिए सार्वजनिक किया था । तैभी इसकी त्रुटियां दृष्टिगोचर हो गयी थीं । 90 पर्यावरणीय संगठनों के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने तत्काल पर्यावरण व वन मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया कि इस नीति का प्रारूप बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और यह ग़ैरलोकतांत्रिक है । एक भी ऐसा समुदाय जो पूर्णतया पर्यावरण पर आश्रित है, सलाह के लायक़ नहीं समझा गया । सिर्फ़ यह वेबसाइट पर अंग्रेज़ी में रखा गया । जुलाई 2005 में इस एन०ई०पी० का नया संस्करण बनाया गया । जिसमें प्रत्येक पृष्ठ पर ''गोपनीय'' अंकित था । 80 से ज़्यादा संगठनों और व्यक्तियों ने इस पर चिंता दर्शाते हुए प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र लिखा, परंतु उसका जवाब नहीं मिला ।

पर्यावरण से जलवायु परिवर्तन से आने वाली तबाही जो लोभ, लालच, धन लोलुपता, स्वार्थपरता और अहंकार की चरम सीमा अपने हितों और क्षणिक लाभों की ख़ातिर अमीर देश कायनात को तबाह कर देने पर तुले हुए हैं । पर्यावरणविदों का कहना है कि 20वीं शताब्दी के दौरान तापमान में पहले से ही 0.74°C की वृद्धि हो चुकी है और इस शताब्दी के अंत तक 1.1 से 7.00 तक की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और फ़सलों की पैदावार में आने वाली कमी की वजह से लाखों लोग घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे या वे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे । ''स्टेट ऑफ़ फोरेस्ट'' की रिपोर्ट के अनुसार पेड़ों के तेज़ी से कटाव की वजह से लगभग 728 वर्ग किमी० जंगल ख़त्म हो चुके हैं और घने जंगलों का प्रतिशत केवल 1.66 रह गया है ।

हमारी हिन्दी पुस्तकें

• औरत और इस्लाम	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	24.00
• औरत और प्राकृतिक नियम	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
• आख़िरत के अज़ाब से ख़ानदान को बचाईए	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	10.00
• आख़िरी नबी (सल्ल०)	हमूदा अब्दुल आती	5.00
• आदाबे ज़िन्दगी	मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ इस्लाही	110.00
• आतंकवाद और इस्लाम	डॉ० अब्दुल मुग़नी	12.00
• आतंकवाद और आक्रमक नीति	प्रो० खुर्शीद अहमद	10.00
• आवागमनीय पुर्नजन्म	डॉ० मुहम्मद अहमद	40.00
• अनेकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	60.00
• अहम हिदायतें	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	15.00
• अच्छे लोग	इरफ़ान ख़लीली	25.00
• अनूदित कुरआन मजीद	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	400.00
• अन्देशों के गिरफ़्तार	माइल ख़ैराबादी	15.00
• अन्धा इन्साफ़ (बच्चों के लिए)	मतीन तारिक बाग़पती	05.00
• अनमोल नसीहतें	अब्दुल बदीअ सक़र	35.00
• अपनी इस्लाह आप	नईम सिद्दीकी	05.00
• अमानत का बोझ	माइल ख़ैराबादी	10.00
• अल-असमाउलहुस्ना (काव्य)	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	05.00
• अल्लाह का दीन नौजवानों से क्या चाहता है	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	05.00
• अल्लाह के रसूल का व्यावहार अपने शत्रुओं के साथ	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	08.00
• अल्लाह ही के हो कर रहो	खुर्रम मुराद	08.00
• इक़बाल की कविताएँ (बच्चों के लिए)	सनाउल्लाह सुमन	14.00
• ईदुल-फ़ित्र किसके लिए?	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	04.00
• इंसान और उसकी समस्याएं	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	15.00
• इंसान अपने आप को पहचान	मौलाना वहीदुद्दीन ख़ां	06.00
• इंसान की आर्थिक समस्या और उसका इस्लामी हल	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	08.00

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

इस्लाम : एक बुद्धि-संगत धर्म

■ वी॰ गोर्डविन चाइल्ड

बहुत से लोग इस्लाम को धर्म के रूप में जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आन्दोलन की दृष्टि से उसका अध्ययन किया है । संक्षिप्त से संक्षिप्त शब्दों में इस बात को इस तरह अदा किया जा सकता है कि इस्लाम संसार के समस्त धर्मों में निराला है । वह एक इतिहास भी है और एक प्रबल आन्दोलन भी । वह राजनीति भी है और सामाजिकता भी ।

वह मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी है और आध्यात्म की अन्तिम पुस्तक भी, वह दीन (धर्म) और दुनिया का ऐसा योग है जो वास्तव में दुनिया के समस्त धर्मों से अपेक्षारहित कर देता है । कुरआन का अध्ययन करने के पश्चात यह बात माननी पड़ेगी कि उसका रचयिता चाहे कोई हो अपने युग ही का नहीं बल्कि बहुत से युगों का एक बड़ा शिक्षक है । कुरआन का रचयिता अपने प्रत्येक विषय में इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि कोई दावा बिना प्रमाण के न हो । वह बार-बार बुद्धि पर भरोसा करने पर बल देता है । बुद्धि से काम न लेने वालों को पशु कहता है और बुद्धि को ही वास्तविकताओं की कसौटी ठहराता है और कोशिश करता है कि अंधविश्वास से दूर रहे और व्यर्थ बातों को नाम मात्र को भी अपने विचारों में न आने दे । उसके सोचने का ढंग उस तत्वदर्शी से मिलता-जुलता है जो केवल विश्व पर विचार करता है और उससे नतीजा निकलता है । कुरआन की यह विशेषता पहले तो मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती है फिर उसे अपनी ओर खींचती है और अंत में उसे अपना शासित बना लेती है ।...

इतिहासकारों को यह बात समझने में बहुत ज़्यादा कृत्रिमता से काम लेना पड़ा है कि अरब के असभ्य मानवों ने बग़दाद और स्पेन में ज्ञान और कला की बुनियाद किस प्रकार डाली ? वे अरबों के ज्ञान और उनके रुझान को देखकर आश्चर्यचकित होकर रह गये । लेकिन यह बात न समझ सके कि उनके इस रुझान और मनोवृत्ति के प्रेरणाधार क्या थे ? किसी ने कोई कारण बयान किया, किसी ने इसे संयोग के सिर थोप दिया और किसी ने यूनानी विद्यालयों को इसका प्रेरक बताया । हालांकि यूनानी विद्याओं की ओर झुकाव भी उसी जाति का हो सकता है जो पहले से बौद्धिक विद्याओं का रसास्वादन कर चुकी हो ।

लेकिन यदि ये इतिहासकार कुरआन से परिचित होते तो उन्हें दूर की बातें बनाने की आवश्यकता न होती । कारण स्पष्ट है कि कुरआन बुद्धि का समर्थक है । अब बात बिल्कुल साफ़ है कि जिस जाति का धर्म बौद्धिक और प्रमाणिक हो वह विज्ञान और समाज संबंधी विद्याओं का विरोध नहीं होगी । बल्कि धार्मिक दृष्टि से विज्ञान का पृष्ठपोषण उसका कर्तव्य होगा । यदि कुरआन बुद्धि की उपयोगिता का समर्थक न होता तो मुसलमान भी विद्याओं के अभिभावक न बनते । और स्पेन के मार्ग से विज्ञान का दीप कभी यूरोप में प्रकाशमान न हो सकता ।...

हमारी सभ्य दुनिया में आर्ट को महत्व प्राप्त है । वह हमारे चरित्र का अंग बन चुका है । मगर दुनिया को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि कुरआन में आर्ट के लिए कोई स्थान नहीं । जिन लोगों ने सौन्दर्यवान में जीवन व्यतीत किया है और जिनको उसे उन्नति देने पर गर्व है वे निश्चय ही इस्लाम से निराश होंगे कि उसमें उनकी रुचि की कोई चीज़ नहीं लेकिन धन्य है कुरआन का रचयिता कि उसने चरित्र और आचरण की उन समस्त बुराइयों को चुनौती दी जो आर्ट के नाम से हमारे समाज को पथभ्रष्ट कर रही हैं और इसकी क़द्र उस समय मालूम होगी जब एक लंबी अवधि के पश्चात आर्ट की बुराइयां जीवन के धरातल पर आ जाएंगी और हमारी नयी नस्लों को घुन लगा देंगी ।

हमारा आर्ट क्या है ? मन की पथभ्रष्टता, नैतिक कुटिलता, मनोवृत्ति की अशांति, यौन-स्वच्छन्दता, भोग विलास की निरंकुशता और पुरानी बुराइयों को छिपाने का एक उपाय ।

कुरआन ने मूर्ति पूजा का निषेध और निन्दा कर के आर्ट के आधे भवन को ढा दिया क्योंकि आर्ट का बहुत बड़ा भाग प्राचीन काल की मूर्तियों और चित्रों की लज्जाजनक यादगार है और उन यौन संबंधी संपर्कों का स्मारक है जिन पर सौंदर्यवाद का खोल चढ़ा हुआ है ।

कुरआन दिव्य सौंदर्य का दर्पण अवश्य है अश्लीलता का शिक्षक कदापि नहीं है ।

आजकल आर्ट और माधुर्य कलाओं की बड़ी क़द्र है लेकिन जब समय आएगा, आर्ट की बुराइयां ज़ाहिर होंगी और उसकी पूर्वदर्शिता एक वास्तविकता के रूप में सामने आ जाएगी । (आज बड़ी हद तक सामने आ गयी है ।)

क़ुरआन ने जिन अनिवार्य कर्मों पर प्रकाश डाला है उन्हें पढ़कर विश्वास हो जाता है कि उसके रचयिता ने दीन (धर्म) और दुनिया को समोने का सफल प्रयत्न किया है । नमाज़ पांच वक़्त पढ़ी जाती है जो जीवन की एक निरंतर गति है एक अनदेखी सत्ता से संबंध पैदा करना और उसके द्वारा दुनिया के साथ उसकी स्थिति के अनुसार व्यवहार करना नमाज़ का सबसे बड़ा उद्देश्य है । और ख़्याल में नहीं आ सकता कि इससे उत्तम उपासना का कोई और तरीक़ा हो सकता है ।

क़ुरआन ने राजनीति में कोई कमज़ोरी नहीं दिखायी । राजनीति के प्रत्येक अंग में वही बल और प्रभाव है जो उसकी स्वाभाविक मांग है । सबसे बड़ी बात यह है कि क़ुरआन ने ख़िलाफ़त, ईश-भय, लोक सेवा और आख़िरत की कल्पना से राजनीति को विलग नहीं रखा और यही वह चीज़ है जिससे वर्तमान राजनीति वंचित है और इस वंचित होने ने दो महायुद्धों का तमाशा दिखाया है । मैं तो यहां तक कहता हूं कि यूरोप के समझौते, यूरोप के सुरक्षा संबंधी उपाय असफल रहेंगे, यदि उसके मूल में ईश-कल्पना और नैतिक मूल्यों के स्थान न दिया गया । जहां विश्व शांति के लिए बहुत से उपाय किये जा चुके हैं वहां धर्म के इस उपाय की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए ।-यदि इसके लिए कोई तैयार हो तो मेरा परामर्श होगा कि वह इस सिलसिले में क़ुरआन को कदापि न छोड़े क्योंकि इसका पथ-प्रदर्शन इस ग्रंथ से बढ़कर कोई और ग्रंथ नहीं कर सकता ।...खेद का विषय है इस्लाम के आदर्श राज्य के लिए अब तक किसी ने कोशिश नहीं की । मिस्र, तुर्की, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान आदि मुस्लिम देशों को उस स्टेट से कोई संबंध नहीं जिसका उदाहरण तेरह शताब्दी पूर्व उमर (रज़ि०) ने प्रस्तुत किया था । क़ुरआनी स्टेट और मुस्लिम स्टेट में अन्तर न करने के कारण लोग बहुत-सी ग़लतफ़हमियों में पड़ जाते हैं । जहां तक राजनीतिक बल का प्रश्न है वह स्वयं यूरोप के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ है । ऐसी शक्ति से अच्छी वह निर्बलता है जो हीरोशिमा, नागासाकी के विनाश पर विलाप करे और जो शक्ति पर दो आंसू बहाये ।

अमेरिका ने लौटाये डायनासोर के अंडे

अमेरिका ने चीन को दुर्लभ डायनासोर के क़रीब 6.5 करोड़ साल पुराने 22 जीवाश्म अंडे लौटा दिये हैं । इनकी तस्करी की गयी थी और नीलामी की जानी थी । शिन्हुवा संवाद एजेंसी ने गत दिनों बताया कि डायनासोर के अंडों के जीवाश्म व अमेरिकी आव्रजन एवं कस्टम प्रवर्तन विभाग ने 2007 में ज़ब्त किया था ।

इसके अनुसार, 'इनका संरक्षण बहुत अच्छे से हुआ है, उनमें से 19 में भ्रूणों को अब भी देखा जा सकता है ।' लॉस एंजिल्स में चीन के वाणिज्य महादूत छियू शाओफ़ांग ने कहा, 'वर्ष 2009 से यह तीसरी बार है जब अमेरिकी सरकार चीन सरकार को तस्करी किये हुए जीवाश्म वापस कर रही है ।'

पाक में भारतीय बंदर

आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन यह सच है । भारत से बॉर्डर पार करके आये एक बंदर को पाकिस्तानी अधिकारियों ने 'गिरफ़्तार' कर लिया है । एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल ने गत दिनों ख़बर दी कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के बहावलपुर में वाइल्ड लाइफ़ अधिकारियों ने बंदर को पकड़ लिया है । चैनल के अनुसार यह बंदर सीमा पार करके बहावलपुर के चोलिस्तान इलाक़े में आ गया था । स्थानीय लोगों ने पहले उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन जब बंदर उनके क़ाबू में नहीं आया तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ़ अफ़सरों को इसकी ख़बर दी ।

अधिकारियों ने काफ़ी मशक़्क़त के बाद उसे पकड़ा । बंदर को बहावलपुर चिड़ियाघर ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने उसका नाम बॉबी रख दिया है । पिछले साल मई में भारत में पुलिस ने एक कबूतर को पकड़ा था । पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के कथित अभियान पर आये उस कबूतर को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था ।

www.shoppinglanes.com
Virtual lanes, real shopping
Mr. S. Barvi
Business Development Director
+91 9049185093
shahbazworld@gmail.com
Softronikx Technologies & Solutions Pvt. Ltd.
B.O: L-81, A.F.E. Okhla, New Delhi-25.
M: 9958327318
H.O: B-3, Kalpataru Plaza, Bhawani Peth, Pune-2

समय का महत्व

● रामवृक्ष प्रसाद

हमारे दैनिक जीवन में 'समय' का बहुत बड़ा महत्व है, जो व्यक्ति समय के अनुसार कार्य करते हैं, उन्हें अपने कार्यों में अवश्य सफलता मिलती है तथा वे संतुष्ट एवं प्रसन्न रहते हैं । इसके विपरीत जो समय का महत्व न देकर कतराते फिरते हैं उन्हें कभी भी अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है तथा वे सदैव सशंकित एवं दुखी रहते हैं एवं उन्हें अपने जीवन में सदैव निराशा ही हाथ लगती है यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 'समय की पाबन्दी, शांत मन एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करता है ।

उदाहरणस्वरूप यदि हम रेलगाड़ी से सफ़र करना चाहें तो गाड़ी आने के पूर्व ही प्लेटफार्म पर पहुंचना होगा, जो व्यक्ति समय से पूर्व प्लेटफार्म पर पहुंचते हैं वे आसानी से रेलगाड़ी पर सफ़र करते हैं एवं उनकी यात्रा सफल होती है परन्तु जो व्यक्ति रेलगाड़ी के बाद स्टेशन पहुंचता है तो उसकी गाड़ी छूट जाती है और उसकी यात्रा असफल होती है एवं उसे अगली रेलगाड़ी के लिए पुनः घंटों इन्तिज़ार करना पड़ता है ।

उसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन की सारी घटनाओं के साथ समय का इसी तरह का संबंध है । जो विद्यार्थी अपने स्कूल के पाठ्यक्रम को प्रतिदिन अध्ययन करते जाते हैं उन्हें परीक्षा के दिनों में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वे कभी असफल नहीं होते हैं तथा वे सदैव प्रसन्न भी रहते हैं । ठीक इसके विपरीत वे विद्यार्थी जो समय का दुरुपयोग करते हैं तथा अध्ययन करने से कतराते हैं कि अभी तो बहुत समय है, परीक्षा के दिन आने पर कड़ी मेहनत कर लेंगे ।

यही सोचकर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं पर जब कुछ ही दिन परीक्षा में रह जाते हैं तो वे सदैव चिंता में रहते हैं कि कैसे पास करेंगे तथा परिश्रम भी करते हैं फिर भी एक साल की पढ़ाई वे कुछ ही समय में कैसे पूरी करेंगे ? नतीजा यह होता है कि वे परीक्षा में असफल होते हैं तथा परिवार एवं समाज में लज्जित भी होते हैं । उनका मन भी अशांत रहता है तथा वे अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं ।

कृषि कार्य में भी समय का बहुत बड़ा महत्व है । जो किसान समय के अनुसार अपने कृषि कार्य का संपादन करते हैं तथा देखरेख एवं सिंचाई वग़ैरह करते हैं उनके खेतों में अच्छी पैदावार होती है तथा वे एक ख़ुशहाल कहलाते हैं। ठीक इसके विपरीत जो किसान अपने खेतों में ठीक समय पर बीज नहीं बोते, समय पर सिंचाई वग़ैरह एवं देखरेख नहीं करते हैं उनके पौधे रोगग्रस्त एवं अच्छे नहीं होते हैं तथा उनके खेतों की पैदावार बहुत कम होती है तथा किसान की पूंजी भी वापस नहीं होती है वे किसान क़र्ज़दार हो जाते हैं उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है और वे सदैव असंतुष्ट एवं चिंतित रहते हैं किसी ने ठीक ही कहा है–

किसी रोगी को ही लीजिए, रोगी छटपटा रहा है यदि उस समय उसे उचित इलाज हेतु डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाए तो क्या रोगी ठीक हो जाएगा ? कुछ समय बाद यदि रोगी मर गया तो डॉक्टर आकर ही क्या करेगा ? इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में समय सीमा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । वाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक समय की पाबन्दी का बहुत बड़ा महत्व है जो लोग इसके महत्व को समझते हैं एवं इसका अनुसरण करते हैं वे तदनंतर सदैव आगे बढ़ते हैं । सफलता उनके पीछे दौड़ती है ।

एक बार 'पंडित जवाहर लाल नेहरू' ने अपने दोस्तों, को अपने यहां निमंत्रण दिया था । निमंत्रण कार्ड में दिनांक के साथ-साथ समय भी दिया गया था यानी 1 जनवरी, 1944 को प्रातः सात बजकर पांच मिनट में दावत होनी थी। समय के अनुसार पंडित नेहरू ने समय से पूर्व ही दावत की सारी सामग्री सजाकर इत्मीनान से स्वयं वे एक कुर्सी पर बैठकर दोस्तों का इन्तिज़ार करने लगे परन्तु सात बजकर पांच मिनट तक कोई नहीं पहुंचा तो वे स्वयं अकेले कुर्सी पर बैठकर दावत की सामग्री खाने लगे । कुछ देर बाद जब उनका एक दोस्त आया और देखा कि नेहरू अकेले भोजन कर रहे हैं तो पूछा–क्यों ? अकेले ही क्यों भोजन कर रहे हो ? नेहरू जी ने मुस्करा कर उत्तर दिया घड़ी देखो भाई। जब घड़ी की सुई भी किसी का इन्तिज़ार नहीं करती, तो मैं भी समय होने पर अकेले ही भोजन कर रहा हूं । मैं क्यों समय के बाद किसी का इन्तिज़ार करूं । समय के साथ ही कोई कार्य करना चाहिए । यह सुनकर दोस्त बहुत शर्मिन्दा हुआ और नेहरू से इसके लिए माफ़ी मांगने लगा । बाद में चलकर देश आज़ाद होने पर वही पंडित जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए ।

साइकिल से लाभ

वर्तमान समय में जबकि पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं तथा मोटापा जैसी बीमारियां दिन-प्रतिदिन सामान्य होती जा रही हैं, न केवल आर्थिक बचत तथा प्रदूषण नियंत्रण, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी साइकिल चलाना (साइकिलिंग) लाभदायक है । यह बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के लिए कारगर है । इससे शरीर को फिट रखा जा सकता है ।

साइकिलिंग से हृदय, धमनियों तथा फेफड़ों में रक्त की संचार प्रक्रिया तीव्र होती है और ये अंग स्वस्थ और मज़बूत बनते हैं तथा इनसे बीमारियां दूर रहती हैं । प्रतिदिन कुछ किलोमीटर साइकिल चलाकर व्यक्ति अपने पैरों की मांस पेशियों को मज़बूत बना सकते हैं । नियमित रूप से साइकिल चलाने से व्यक्ति का स्टेमिना (दमख़म) बढ़िया रहता है । मोटापे के शिकार लोगों के लिए भी साइकिल चलाना लाभकारी व्यायाम है । साइकिल को नियमित रूप से चलाकर वे शरीर की चर्बी कम कर सकते हैं तथा मोटापे से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं । साइकिलिंग से होने वाला व्यायाम व्यक्ति को तनाव, चिंता तथा अवसाद से मुक्त करता है । इसके अलावा साइकिलिंग रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है ।

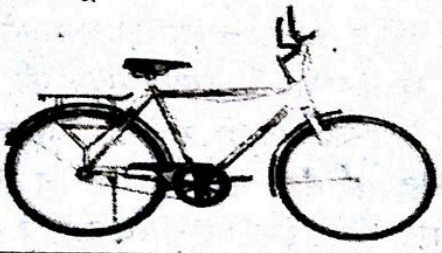

शारीरिक लाभ के अतिरिक्त साइकिलिंग पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से भी लाभदायक है । इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता तथा इससे पेट्रोल और डीजल का व्यय भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है ।

● विद्या प्रकाश

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

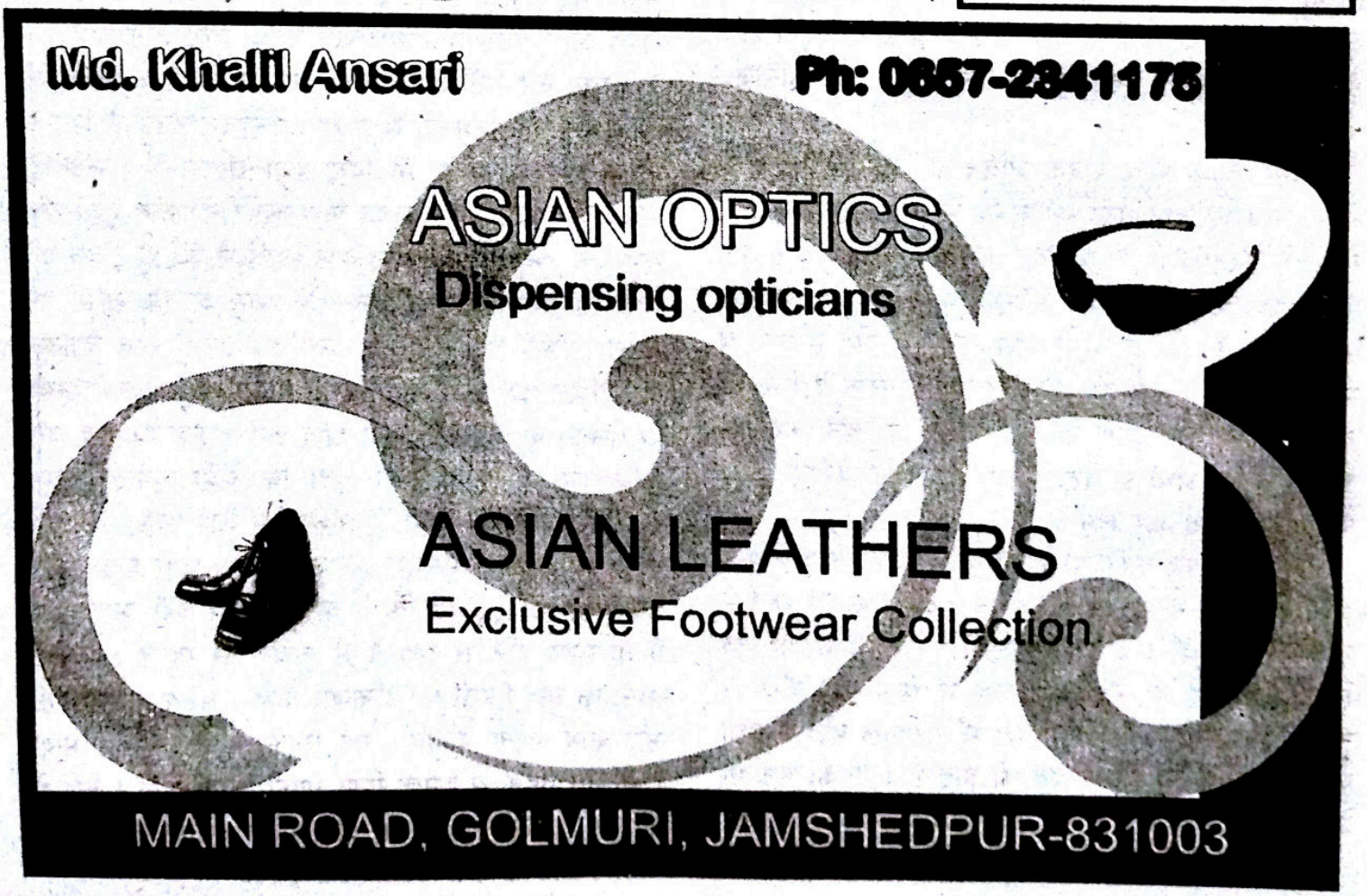

"जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करते हैं, उनकी उपमा ऐसी है, जैसे एक दाना बोया जाए, जिससे सात बालें निकलें और प्रत्येक बाल में सौ दानें हों।" (क़ुरआन)

SEAHATH CANNING COMPANY

Manufacturer & Exporters of Canned Fish



Website
www.seahathcanning.com

Manager - Marketing
ANEES MOHAMMED

Factory/office: Plot No. 8, Margao Industrial Estate.
St. Jose de Areal, P.O Curtorim - 403 709. SALCETTE - GOA (INDIA)
E-mail: seahath@gmail.com
Ph:0832-2860342(F),6481948(R),Cell: No.: 9225902984,Tele Fax: 0832-2860412

Posted on 20-21 December 2011
January 2012
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.12.2011

हिन्दी साहित्यों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2009-2011
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2009-11

CALENDER 2012

January
Safar 1433/Rabi-I

S	M	T	W	T	F	S
1 7	2 8	3 9	4 10	5 11	6 12	7 13
8 14	9 15	10 16	11 17	12 18	13 19	14 20
15 21	16 22	17 23	18 24	19 25	20 26	21 27
22 28	23 29	24 RA	25 2	26 3	27 4	28 5
29 6	30 7	31 8				

February
Rabi-I/Rabi-II

S	M	T	W	T	F	S
			1 9	2 10	3 11	4 12
5 13	6 14	7 15	8 16	9 17	10 18	11 19
12 20	13 21	14 22	15 23	16 24	17 25	18 26
19 27	20 28	21 29	22 30	23 RT	24 2	25 3
26 4	27 5	28 6	29 7			

March
Rabi-II/Jumada-I

S	M	T	W	T	F	S
				1 8	2 9	3 10
4 11	5 12	6 13	7 14	8 15	9 16	10 17
11 18	12 19	13 20	14 21	15 22	16 23	17 24
18 25	19 26	20 27	21 28	22 29	23 30	24 JO
25 2	26 3	27 4	28 5	29 6	30 7	31 8

April
Jumada-I/Jumada-II

S	M	T	W	T	F	S
1 9	2 10	3 11	4 12	5 13	6 14	7 15
8 16	9 17	10 18	11 19	12 20	13 21	14 22
15 23	16 24	17 25	18 26	19 27	20 28	21 29
22 JT	23 2	24 3	25 4	26 5	27 6	28 7
29 8	30 9					

May
Jumada-II/Rajab

S	M	T	W	T	F	S
		1 10	2 11	3 12	4 13	5 14
6 15	7 16	8 17	9 18	10 19	11 20	12 21
13 22	14 23	15 24	16 25	17 26	18 27	19 28
20 29	21 30	22 RJ	23 2	24 3	25 4	26 5
27 6	28 7	29 8	30 9	31 10		

June
Rajab/Sha'ban

S	M	T	W	T	F	S
					1 11	2 12
3 13	4 14	5 15	6 16	7 17	8 18	9 19
10 20	11 21	12 22	13 23	14 24	15 25	16 26
17 27	18 28	19 29	20 30	21 SB	22 2	23 3
24 4	25 5	26 6	27 7	28 8	29 9	30 10

July
Sha'ban/Ramadan

S	M	T	W	T	F	S
1 11	2 12	3 13	4 14	5 15	6 16	7 17
8 18	9 19	10 20	11 21	12 22	13 23	14 24
15 25	16 26	17 27	18 28	19 29	20 RM	21 2
22 3	23 4	24 5	25 6	26 7	27 8	28 9
29 10	30 11	31 12				

August
Ramadan/Shawwal

S	M	T	W	T	F	S
			1 13	2 14	3 15	4 16
5 17	6 18	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23
12 24	13 25	14 26	15 27	15 28	17 29	18 30
19 SW	20 2	21 3	22 4	23 5	24 6	25 7
26 8	27 9	28 10	29 11	30 12	31 13	

September
Shawwal/Dhul-Qi'dah

S	M	T	W	T	F	S
						1 14
2 15	3 16	4 17	5 18	6 19	7 20	8 21
9 22	10 23	11 24	12 25	13 26	14 27	15 28
16 29	17 ZQ	18 2	19 3	20 4	21 5	22 6
23 7	24 8	25 9	26 10	27 11	28 12	29 13
30 14						

October
Dhul-Qi'dah/Dhul-Hijja

S	M	T	W	T	F	S
	1 15	2 16	3 17	4 18	5 19	6 20
7 21	8 22	9 23	10 24	11 25	12 26	13 27
14 28	15 29	16 30	17 ZH	18 2	19 3	20 4
21 5	22 6	23 7	24 8	25 9	26 10	27 11
28 12	29 13	30 14	31 15			

November
Dhul-Hijjah/Muharram 1434

S	M	T	W	T	F	S
				1 16	2 17	3 18
4 19	5 20	6 21	7 22	8 23	9 24	10 25
11 26	12 27	13 28	14 29	15 MH	16 2	17 3
18 4	19 5	20 6	21 7	22 8	23 9	24 10
25 11	26 12	27 13	28 14	29 15	30 16	

December
Muharram 1434/Safar

S	M	T	W	T	F	S
						1 17
2 18	3 19	4 20	5 21	6 22	7 23	8 24
9 25	10 26	11 27	12 28	13 29	14 SF	15 2
16 3	17 4	18 5	19 6	20 7	21 8	22 9
23 10	24 11	25 12	26 13	27 14	28 15	29 16
30 17	31 18					